राजस्थान विधान सभा

पञ्चम बैठक, गुरुवार, दिनांक ८ मार्च, सन् १९५६ ई०

(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक प्रातः ८ बज कर ३४ मिनट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २०

ग्राम दादिया तहसील अराई के तालाब धनसागर से वर्तमान वर्ष में हुई सिंचाई

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम दादिया (तहसील अराई) के तालाब धनसागर से इस वर्ष कितनी भूमि की सिंचाई की गई ?

(२) ऐसी कितनी भूमि है जिसकी कूओं के होते हुए उक्त तालाब से आबपाशी हुई है ?

(३) ऐसी जमीनों की आबपाशी के लिये किन अधिकारियों ने आज्ञा दी है ?

(४) इस वर्ष उक्त तालाब का कितना पानी बरबाद हुआ है ?

(५) ग्राम पंचायत दादिया ने कितने शिकायती प्रार्थनापत्र पेश किये ?

(६) उक्त प्रार्थनापत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

(७) उक्त तालाब से फसल की आबपाशी करना कब से कब तक बन्द रहा ?

(८) उक्त कार्यालय में दादिया ग्राम पंचायत से कितने प्रार्थनापत्र आबपाशी जारी रखने के लिए पेश हुए ?

श्री खेतसिंह (उपसिंचाई मंत्री)—(१) २००० बीघा।

(२) ३०० बीघा करीबन।

(३) किसी भी सिंचाई अधिकारी ने आज्ञा नहीं दी।

(४) इस वर्ष आबपाशी करते समय कृषकों की गलती से करीबन ६० बीघा का पानी बरबाद हुआ।

(५) एक।

(६) इस विषय पर विभागीय कार्यवाही चल रही है।

(७) उक्त तालाब से आबपाशी करना १०।१।५६ से १०।२।५६ तक बन्द रहा।

(८) कोई प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत से प्राप्त नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—कृओं की जमीन जिसकी इससे आबपाशी की गई है, इसका क्या कारण है?

श्री खेतसिंह—वह किसानों ने अपने मनमानी तरीके से कर दी थी क्योंकि उस वक्त वहां पर इर्रिगेशन का स्टाफ नहीं था, जयपुर में परीक्षा के सिलसिले में आया हुआ था।

श्री चांदमल मेहता—सिंचाई के टाइम पर जो सिंचाई का अधिकारी है उसको यहां जयपुर में क्यों बुलाया गया और अगर बुलाया गया तो उसके स्थान पर दूसरे को क्यों नहीं डेपूट किया गया?

श्री खेतसिंह—वे परीक्षा के सिलसिले में सात रोज के लिये गये हुए थे और जाते वक्त गांव के पटेलों को कह गये थे कि निगाह रखना, फिर भी जानबूझकर किसानों ने गलती की और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पार्टी के आने के बाद भी यह कार्यवाही चालू रही और वहां की ग्राम पंचायत ने इसकी शिकायत सिंचाई विभाग को की?

श्री खेतसिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्रीचांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अलावा और किसी विभाग के अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराने को तैयार हैं कि इस मामले में कितना पानी बरबाद हुआ और कितनी बेजाब्तगियां हुई हैं?

श्री खेतसिंह—अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा जांच की कार्यवाही चल रही है। वह कार्यवाही मुकम्मिल हो जाने दीजिये। इसके बाद शिकायत होगी तो देखा जावेगा।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—पंचायत की तरफ से शिकायत आई, इसकी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री खेतसिंह—ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई।

श्री चांदमल मेहता—आपने साफ कहा है कि एक आई है।

श्री खेतसिंह—वह पंचायत की तरफ से नहीं, एक इन्डिविजुअल आदमी ने की है।

श्री चांदमल मेहता—जो इन्डिविजुअल आदमी ने प्रार्थनापत्र दिया उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—मैंने जवाब दिया कि इस समय विभागीय जांच हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपको अर्ज कर दूं कि मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है। पांचवां प्रश्न था मेरा कि ग्राम पंचायत दादिया ने कितने शिकायती प्रार्थनापत्र पेश किये और आपका जवाब भी बिलकुल साफ है कि एक। अब आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत की तरफ से कोई शिकायती पत्र नहीं आया, किसी इन्डिविजुअल की तरफ से आया, तो फिर जवाब पहले ही ऐसे देते।

श्री खेतसिंह—वह एक इन्डिविजुअल के द्वारा ही प्राप्त हुआ था और प्रश्न के भाग (८) में मैंने यही जवाब दिया है। आप उसे भी देख लें।

श्री चांदमल मेहता—पांचवां भी तो आपने ही दिया है। आप उसे देखें न ? और इसमें आपका जवाब भी साफ था कि एक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत ने रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई आवेदनपत्र भेजा या नहीं ?

श्री खेतसिंह—मुझे इसकी तो कोई जानकारी नहीं है। पर इतना कह सकता हूं कि एक रिपोर्ट एक इन्डिविजुअल व्यक्ति ने भेजी थी। इस पर विभागीय कार्यवाही चल रही है। पंचायत की तरफ से इत्तला आने की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—वह विभागीय कार्यवाही क्या हो रही है ?

श्री खेतसिंह—यह तो मैं नहीं कह सकता। पर वहां के काश्तकारों ने गलती की है, मनमाने रूप से आवपाशी की है; इसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी मौके पर जांच करने को नहीं गया ?

श्री खेतसिंह—यह तो आप इत्तला दे रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच सरकारी अफसरों के वहां ड्यूटी पर बराबर नहीं रहने के कारण उनके खिलाफ चल रही है या किसानों के खिलाफ चल रही है ?

श्री खेतसिंह—किसानों ने गलत आबपाशी की इसलिये उनके ही खिलाफ जांच हो रही है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी सही है कि उनके जाने के पीछे सात दिन में ही सारी सिंचाई हो गई ? इसके बाद में भी उनकी ढिलाई नहीं रही ?

श्री खेतसिंह—उनकी ढिलाई की शिकायत तो है नहीं। उनके जाने के बाद पीछे से किसानों ने सारी गड़बड़ी की। अगर ढिलाई का सवाल पैदा होगा तो देख लिया जावेगा !

श्री चांदमल मेहता—एक दिन में कितने बीघे की सिंचाई....

(घंटी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि शिकायत पंचायत द्वारा आने पर या इन्डिविजुअल व्यक्ति के द्वारा शिकायत आने पर उनकी जमीन की आबपाशी करना सिंचाग के अधिकारियों ने बन्द कर दिया ?

श्री खेतसिंह—ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है। आप ही इत्तला दे रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो इस इत्तला के बाद में क्या वहां के ग्राम पंचायत के सरपंच के मुआवजे में किसी अफसर को जाँच करने को भेजने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप अगला प्रश्न पूछिये। आज तो आप ही आपके सवाल हैं ?

प्रश्न संख्या २१

जनवरी १९५५ के पश्चात् जोधपुर रेन्ज के पुलिस थानेदारों को इन्स्पेक्टर के पद पर प्रोमोशन

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(ग) जनवरी, १९५५ के बाद जोधपुर रेन्ज में किन २ एस. आई. को प्रोमोशन दिया जाकर सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया है।

(ख) उक्त एस. आई. का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन सा स्थान है ?

(ग) ऐसे कितने एस. आई. हैं जो अधिक सीनियर होते हुए भी सर्किल इन्सपेक्टर नहीं बनाये गये हैं ?

Page No.5

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जोधपुर रेन्ज के श्री तेजराजसिंह सब इन्सपेक्टर को सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया।

(ख) जोधपुर रेन्ज की सीनीयोरिटी लिस्ट के बी ग्रुप में श्री तेजराज का अठारवां स्थान है।

(ग) ११ सब इन्सपेक्टर।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर इनका आधार क्या है। ११ उनसे सीनियर हैं तो उनको इन्सपेक्टर क्यों नहीं बनाया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया कि यह सिलेक्शन एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर होते हैं। ११ का नाम एप्रूव्ड लिस्ट पर नहीं था।

श्री चांदमल मेहता—एप्रूव्ड लिस्ट बनाते वक्त क्या २ क्राइटेरिया मुकर्रर होता है?

श्री रामकिशोर व्यास—सन् १९५३ में आई. जी. पी. और डी. आई. जी. की कांफ्रेन्स हुई थी उसमें उन्होंने यह सीनियोरिटी लिस्ट, लेन्थ ऑफ सर्विस, गुड एन्ट्रीज़, क्वालिफिकेशन्स एक्सपीरियेन्स आदि के आधार पर बनाई थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि जो यह क्राइटेरिया है जिस पर इसे सर्किल इन्सपेक्टर बनाया उसकी सर्विस बुक पर बैड एन्ट्री है?

क्या उसकी सर्विस बुक देख ली गई है?

श्री रामकिशोर व्यास—एप्रूव्ड लिस्ट पर जो नाम होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। बैड एन्ट्री है, यह भी देखा जाता है तथा और भी बहुत सी बातें देखी जाती हैं सीनियोरिटी लिस्ट बनाते समय; केवल एक ही चीज नहीं देखी जाती, कई बातें देखी जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि क्राइटेरिया जिसके द्वारा उनको सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया है उनकी सर्विस शीट में बैड एन्ट्री है।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं। एप्रूव्ड लिस्ट में उनका नाम था।

श्री चांदमल मेहता—क्या उनकी सर्विस शीट देख ली गई है कि कहीं कोई बैड एन्ट्री तो नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास—एप्रूव्ड लिस्ट में नाम होता है, उसको ही प्रोमोशन दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या एप्रूव्ड लिस्ट में यह क्राइटेरिया मान लिया गया है कि जिसकी सर्विस शीट में बैड नहीं होती है उसको भी प्रोमोशन दिया जाता है?

श्री रामकिशो व्यास—एप्रूव्ड लिस्ट में लेने के लिए सभी बातों को देखा जाता है।

प्रश्न संख्या २२

जयपुर शहर में बैंक कर्मचारियों से कार्यालय-काल के पश्चात् कार्य लेने के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में बैंक कर्मचारियों से ओवर टाइम काम लिया जाता है और उन्हें ओवर टाइम एलाउन्स दिया जाता है?

(२) श्रम विभाग द्वारा राजस्थान के निर्माण के बाद किस २ बैंक के खिलाफ ओवर टाइम अलाउन्स नहीं देने के अपराध में मुकदमें चालान किये गये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बैंक और इन्श्योरेंस कम्पनीज़ के मामले राजस्थान सरकार के आधीन नहीं हैं। इनके लिये अलग कानून है और केन्द्रीय सरकार उपयुक्त अधिकारी है।

प्रश्न संख्या २३

ग्राम अराई के तालाब सुरखेली नाड़ी से वर्तमान वर्ष में बारानी एवं कुए की भूमि की सिंचाई

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम अराई के तालाब सुरखैली नाड़ी से चालू वर्ष में कितनी बारानी और कुए की जमीन की आबपाशी की गई?

(२) उक्त आबपाशी कराने की आज्ञा किस अधिकारी द्वारा दी गई?

(३) उक्त तालाब की कितनी मोरिया हैं?

(४) उक्त मोरियों में कितनी मरम्मत तलब हैं और उनसे इस वर्ष कितने पानी का नुकसान हुआ है?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—(१) २०० बीघा।

(२) उक्त आबपाशी कराने की आज्ञा किसी भी सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा नहीं दी गई।

(३) ७

(४) तीन मोरियों में मरम्मत की आवश्यकता है ? उनसे इस वर्ष कुछ भी पानी का नुकसान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—यह पानी जो बरबाद हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? २०० बीघा को पिलाने से पानी बरबाद हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? आपने उसके मुताबिक नं० २ का जवाब दिया है।

श्री खेतसिंह—२०० बीघे का जो पानी बरबाद हुआ है इसकी जिम्मेदारी वहां के काश्तकारों की है।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ?

श्री खेतसिंह—यह वहां के एस. डी. ओ. इर्रिगेशन द्वारा की गई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सब डिविजनल ऑफिसर जो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के हैं वह वहां पहुँचे ही नहीं जांच करने के लिए ?

श्री खेतसिंह—जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—कौन सी तारीख को पहुँचे हैं ?

श्री खेतसिंह—तारीख मेरे पास नहीं है, अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि इस संबंध में तहसील पंचायत के सरपंच ने कोई प्रार्थना-पत्र पेश करके यह मांग की थी कि किसी ऑफिसर को भेजकर जांच कराई जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह कहा है कि भेजा ही नहीं ऑफिसर।

श्री खेतसिंह—जांच की आवश्यकता के लिए पंचायत की तरफ से मांग मेरे पास कोई पेश नहीं हुई।

श्री मेहता—जो जांच कराई गई है उसमें क्या यह सही है कि शिकायत कुनिन्दा को सुनने का मौका नहीं दिया गया ?

Page No.8

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि उनको मौका दिया गया है या नहीं।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि की मोरियां ऐसी हैं ?

श्री अध्यक्ष—एक तरफ तो आप कहते है कि जांच करने के लिए गया ही नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि मौका नहीं मिला।

श्री मेहता—मैंने इसलिए पूछा है कि चुपचाप चले गये हों और जो शिकायत करने वाला है उसके सामने जांच नहीं की गई है।

क्या यह सही है कि इस तालाब की एक मोरी ऐसी है कि जिससे प्रतिदिन १० बीघे का पानी खराब होता है और इस संबंध में वहां की तहसील पंचायत ने शिकायत की है ?

श्री खेतसिंह—वह मैंने आपसे निवेदन किया है कि तीन मोरियां ऐसी हैं जो मरम्मत तलब हैं, उनकी मरम्मत जल्दी ही कराई जायगी।

श्री मेहता—आपने कहा कि पानी बरबाद नहीं हो रहा है तो इस संबंध में कि किसी मोरी से पानी बरबाद होता है ऐसी शिकायत कभी की या नहीं ?

श्री खेतसिंह—ऐसी शिकायत आई उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मेहता—क्या अब आप इसकी जांच करायेंगे और जो पानी बरबाद होता है उसको बन्द करायेंगे ?

श्री खेतसिंह—यह पानी जो बरबाद होता है उसको बन्द किया जायगा, लेकिन जांच की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

एक माननीय सदस्य—२०० बीघे की इरीगेशन के लिए वाटर रेट्स क्या कायम हुई है ?

श्री खेतसिंह—यह प्रश्न बिल्कुल अलग है।

प्रश्न संख्या २४

जनवरी १९५५ के पश्चात् ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों की नियुक्तियों का आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या सामुदायिक योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

Page No.9

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद किन २ कर्मचारियों को बी. डी. ओ. मुकर्रर किया गया है ?

(ख) उक्त कर्मचारी नियुक्ति के पूर्व किस २ ओहदे पर क्या २ कार्य करते थे और उनकी क्या २ योग्यतायें हैं ?

(ग) बी. डी. ओ. का सिलेक्शन किसके द्वारा, किस आधार पर किया गया ?

श्री सम्पतराम (उपमंत्री)—(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद निम्नलिखित व्यक्तियों को खंड विकास अधिकारी बनाया गया है।

१. श्री लालसिंह चौधरी, आर. ए. एस. ए., एम. ए. एल एल. बी, सुमेरपुर।

२. श्री डी. एस. कोठारी	,,	बी. ए., एल एल. बी.	बारां
३. श्री एच. एस. रावत	,,	बी. कॉम.	सांभर।
४. श्री सेवालाल शाह	आर. टी. एस.,	बी. ए.	सेमलवाड़ा।
५. श्री बालकृष्ण बोहरा	,,	बी. ए., एल एल. बी.	देसूरी
६. श्री रामनारायण सक्सेना	,,	,,	लाड़पुरा।
७. श्री भंवरलाल दशोरा	आर. ए. एस.	,,	राजसमंद।
८. श्री ताराचन्द अग्रवाल	,,	बी. ए.	करणपुर।
६. श्री राधाकृष्ण शर्मा	आर. टी. एस.	बी. ए.	जयपुर। ऑफिशियेटिंग
१०. श्री लक्ष्मणसिंह धाभाई	,,	बी. ए., एल एल. बी.	कुम्भलगढ़। तहसीलदार
११. श्री भूरालाल पंचोली	,,	सिक्स्थ स्टेन्डर्ड	कोटड़ा।
१२. श्री जयकुमार जैन	,,	बी. ए. एल एल बी.	बस्सी। ऑफिशियेटिंग
१३. श्री पी. के. बी. कुरूप	आर. ए. एस.	,,	बूंदी। तहसीलदार

[श्री सम्पतराम]

१४. श्री बालेन्दु शर्मा		एम. ए. ,,	प्रतापगढ़ ।
१५. श्री लक्ष्मीनारायण माथुर	,,	,,	बैंगू ।
१६. श्री मोहनसिंह भंडारी	,,	बी. ए.	डूंगरपुर ।
१७. श्री किरण बाबू	,,	बी. एस सी, एल.एल. बी.	डीडवाना ।
१८. श्री राधाकृष्ण त्रिपाठी	आर. टी. एस	बी. ए. एल एल. बी.	भिलाड़ा ।
१९. श्री मूलराज धारीवाल	,,	,,	आहोर ।
२०. श्री रामजीलाल	,,	बी. ए.	चिड़ावा । ऑफिशियेटिंग तहसीलदार
२१. श्री नरेन्द्रसहाय सक्सेना	,,	,, ऑनर्स एल एल. बी.	,, झालरापाटन
२२. श्री रूपसिंह सोलंकी	आर, टी. एस.	बी. एस सी.	नोखा
२३. श्री अखेलाल भट्ट	,,	बी. कॉम.	सागवाड़ा ऑफिशियेटिंग तहसीलदार

(ख) विकास खंड नियुक्त किये जाने से पूर्व ये अधिकारी एस० डी० ओ०, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, इत्यादि पदों पर कार्य करते थे।

श्री चांदमल मेहता—यह भी बता दिया जाय कि वह किस २ पद पर काम करते थे; कि यह अमुक अमुक पद पर थे।

श्री सम्पतराम(ग)—इनका चुनाव कलेक्टर, कमिश्नर, रेवेन्यू बोर्ड की सिफारिश और व्यक्तिगत रेकॉर्ड देख कर सरकार द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों का स्थानीय विकास कार्यों में दिखाये गये उत्साह एवं लगन को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—यह जो मैंने (ख) में पूछा है कि उक्त कर्मचारी नियुक्ति के पूर्व किस २ ओहदे पर क्या २ कार्य करते थे और उनकी क्या २ योग्यतायें हैं?

Page No.11

श्री सम्पतराम—बड़े अफसोस की बात है, मैंने बता दिया कि वे एस० डी० ओ०, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार थे।

श्री चांदमल मेहता—प्रत्येक के बारे में बता दिया जाय कि अमुक आदमी एस० डी० ओ० था और अमुक आदमी तहसीलदार था।

श्री सम्पतराम—I am glad to infrom. श्री लालसिंह चौधरी आर० ए० एस०, श्री डी० एस० कोठारी, आर० ए० एस०।

श्री चांदमल मेहता—इसके साथ यह भी बता दें कि वे किस ओहदे पर थे।

श्री सम्पतराम—आर० ए० एस० केडर होता है।

श्री चांदमल मेहता—मैं निवेदन करता हूँ कि यह मेरा सवाल है, उसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—What is the harm if the hon b'le Deputy Minister tells that prior to his becoming the Block Development officer he was working as Tehsildar or S. D. O. Or Extra Magistrate. The record is available...

श्री सम्पतराम—यह मैं तहकीक नहीं कह सकता कि कौन २ एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट थे, कौन एस० डी० ओ० थे। उसमें आर० टी० एस० के आदमी थे, वे करीब २ तहसीलदार थे। आर० ए० ए० में कुछ एस० डी० ओज० थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसमें ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि नायब तहसीलदार थे और बी० डी० ओ० बना दिये गये हैं।

श्री सम्पतराम—हां, वे substantive नायब तहसीलदार थे लेकिन वे आफिशियेटिंग तहसीलदार का कार्य करते थे। जो लोग तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको बी० डी० ओ० बनाया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बी० डी० ओ० बनाने में आवेदन-पत्र मांग कर फैसला नहीं किया गया है?

श्री सम्पतराम—मैंने आप से अर्ज किया कि आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है। वे जिले में काम करते हैं; तो जिलाधीश, कमिश्नर तथा रेवेन्यू बोर्ड की सिफारिशों के मुताबिक सिलेक्शन किया जाता है। एप्लीकेशन देने का सवाल ही नहीं आता है।

श्री श्रीदास गोयल—कितने नायब तहसीलदार हैं जो कि आफिशियेटिंग तहसीलदार का वर्क कर रहे थे और बी० डी० ओ० बनाये गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (सामुदायिक योजना मन्त्री)—मैं स्पष्ट कर दूं। बी० डी० ओ० जो बनाये जाते हैं तो जहां तहसील का हैडक्वार्टर होता है वहां तहसीलदार बनाये जाते हैं। तो जहां तहसील का हैडक्वार्टर होता है वहां तहसीलदार बनाये जाते हैं और जहां एस० डी० ओ० होता है वहां एस० डी० ओ० बनाया जाता है। जिनका एम्प्लोयमेंट हुआ है वे तहसीलदार और आर० ए० एस० में एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट या एस० डी० ओ० वगैरह थे और वे नायब तहसीलदार जिन्हें पी० एस० सी० ने एप्रूव किया है और जो तहसीलदार को ऑफिशियेट कर सकते थे। जितने भी नायब तहसीलदार इसमें लिये गये है उन्हें उस जगह पर प्रमोशन मिलकर, एक अरसे से वे आफिशियेट कर रहे थे। उनका अभी फाइनल कनफर्मेशन नहीं हुआ है लेकिन वे तहसीलदार के बराबर हैं और उनका काम कर रहे हैं तथा पी० एस० सी० की एप्रूव्ड लिष्ट के मुताबिक प्रोमोशन देकर उनका सिलेक्शन कर दिया गया। As a tahsildar तो बी० डी० ओ० के लिये कलेक्टर, कमिश्नर और रेवेन्यू बोर्ड की रिकमन्डेशन मांगते हैं, एप्लीकेशन इन्वाइट नहीं करते हैं। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स जिनके नाम रिकमन्ड करते हैं उनको गवर्नमेंट बी० डी० ओ० एप्वाइन्ट करती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या नाम रिकमन्ड करने के बारे में मन्त्री जी ने कोई इशारा किया था ?

श्री अध्यक्ष:—not. clear.

श्री चांदमल मेहता—नाम किन किन का रिकमन्ड किया जाय, इस बारे में मन्त्रीजी ने कुछ इशारा किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—मन्त्री महोदय कोई इशारा नहीं करते। यदि जरूरत समझें तो वे स्वयं ही अपोइन्ट कर सकते हैं, उनको इशारा करने की जरूरत नही पड़ती।

श्री चांदमल मेहता—क्या उनमें से कोई किसी का सम्बन्धी है ?

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या २५

सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण दिए जाने सम्बन्धी

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. सहकारी समितियों को सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक से किन किन कामों के लिये कितना कितना कर्ज देने का कायदा है ?

[श्री चांदमल मेहता]

२. क्या सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य कामों में काम करने वाली श्रमिक सहकारी समितियों को ऋण देने का कोई नियम नहीं है ?

३. यदि हां, तो क्यों ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—१. सहकारी समितियों को उनके उपनियमों के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु नियत हल कर्जे तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण दिये जाने के नियम हैं।

२. ऋण देने का नियम है।

३. कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या यह बतायेंगे कि ऐसी कौन कौन सी श्रमिक सहकारी समितियां हैं जिनको ऋण दिया गया है ?

श्री खेतसिंह—यों तो यह प्रश्न अलग है लेकिन एग्रीगल्चर सोसाइटीज़ को ऋण दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न श्रमिक सोसाइटीज़ का है, इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि श्रमिक सहकारी समितियों में से किस किस को ऋण दिया गया ?

श्री खेतसिंह—यह प्रश्न अलग है।

श्री चांदमल मेहता—यह प्रश्न अलग नहीं है। मेरे प्रश्न का भाग २ इस प्रकार है:

"क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य कामों में काम करने वाली श्रमिक सहकारी समितयां को ऋण देने का कोई नियम ही नहीं है ?" और यह कहा गया है कि नियम है, तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या आज तक किसी को ऋण दिया गया है ?"

श्री खेतसिंह—किन किन सोसाइटीज़ को ऋण दिया गया, इसके बारे में तो अलग प्रश्न पूछिये। आपने पूछा था कि नियम है या नहीं, उसका जवाब दिया गया कि नियम है।

श्री चांदमल मेहता—इस पर यह तो स्वभाविक प्रश्न है कि किस किस को दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—आपने जो प्रश्न पूछा है........

श्री कंवरलाल जेलिया—आवाज सुनाई नहीं देती।

श्री अमृतलाल यादव—जो विकास की स्थिति के लिये सेन्ट्रल बैंक लोन्स एडवान्स करती

Page No.14

[श्री अमृतलाल यादव]

है उसके लिए राजस्थान की बैंक का नियम यह है कि अमुक अमुक सोसाइटीज को लोन दिया जाय। लेकिन श्रमिक सोसाइटीज़ बने तो उनको रुपये उधार देने का नियम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिये भी नियम है लेकिन उनकी निजी पेड अप शेयर केपिटल हो तो। जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार उनको लोन्स दिये जाते हैं। श्रमिक सहकारी समितियों को भी लॉन दिया गया लेकिन कितना दिया गया, यह अलग सवाल हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया--श्रमिक सहकारी समितियां सार्वजनिक निमाण के लिये या सिंचाई के लिये रुपये मांगे तो उनको क्या सुविधा दी जाती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और सुविधा देने की बात डेफीनिटली सोची जा रही है।

श्री कंवरलाल जेलिया—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों के लिये काम निर्धारित कर दिया गया है तो इस बारे में विचार कब तक होता रहेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—बहुत जल्दी निर्णय हो जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—उक्त निर्णय कब तक कार्य रूप में परिणत होगा ?

श्री अमृतलाल यादव—बहुत जल्द किया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं सही जवाब चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—किसी समिति को रुपये दिलाना चाहते हैं क्या ?

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि कई सहकारी श्रमिक समितियों ने सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, भेजे हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—उनका निर्णय सरकार द्वारा कब किया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी निवेदन किया कि सरकार की पोलिसी यह है कि ठेकेदारों की एजेंसी को खत्म किया जाय और सहकारी श्रमिक समितियों को प्रायोरिटी दी जाय।

श्री कंवरलाल जेलिया—जिस तरह भारत सेवक समाज में सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के कार्य में सुविधा दी है उसी तरह से क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—भारत सेवक समाज को यह सुविधा दी गई है कि वे श्रमिक सहकारी

[श्री अमृतलाल यादव]

समितियों का संगठन करें और काम करें। जहां तक श्रमिकों का सवाल है एक ठेकेदार के नीचे १०-१५ आदमी तो काम करते ही है, वे खुद मेहनत करते हैं, उनको श्रमिक सहकारी समितियें बनानी चाहिये। इसमें केपिटल का सवाल नहीं आता

श्री अध्यक्ष—The Questions are over

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न-लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

श्री अर्जुन सिंह (४) दिनांक ५. ३. ५६. से १६. ३. ५६ तक।

श्री संग्रामसिंह (१३४) दिनांक ५. ३. ५६. से १७. ३. ५६ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

भूस्वामी संघ के आन्दोलनकारियों के साथ होने वाले समझौते सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष—श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री जसवन्तसिंह—बहस शुरू हो उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री जसवन्तसिंह—मेरा निवेदन यह है कि कल बहस के दौरान में भूस्वामी संघ के आन्दोलन के मुत्तलिक मैंने सदन से निवेदन किया था कि सरकार ने पिछली जुलाई में जब कि भूस्वामियों की आम रिहाई हुई थी उस वक्त एक समझौता किया गया था। इस सदन में बार-बार मुख्य मन्त्री से लेकर और गृह मन्त्रीजी से लेकर सरकारी पक्ष के अन्य सदस्य भी यह कह रहे थे कि कोई समझौता नहीं हुआ। यह तो नामुमकिन है कि बगैर समझौते के आम रिहाई हो सकी। कल जब मैंने इसका जिक्र किया तो मेरे माननीय मित्र, श्री जयनारायणजी व्यास, जो शायद इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, ने जोर दिया कि यदि समझौता होता तो सरकार क्यों इन्कार करती और दुबारा आन्दोलन करने का भूस्वामियों के पास कारण क्या हो सकता है ? मैंने उनका चेलेन्ज एक्सेप्ट किया था और एक-दो दिन में उक्त समझौते की कोपी पेश करूंगा, ऐसा कहा था। भाग्य से कड़ी

Page No.16

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

मेहनत के बाद किसी तरह से पुलिस से बच कर उसकी कॉपी निकाल लाया हूँ, जिसको सदन में पेश करना चाहता हूँ और पेश करने से पहले इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उस वक्त इन ६ शर्तों को सरकार ने माना और उन ६ शर्तों को बाद में अमल में न लाने की वजह से निराश होकर अन्त में उन्हें फिर आन्दोलन करना पड़ा। यही इस आन्दोलन का कारण है। अब मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ। यह एक फोटोस्टेट कापी है उस समझौते की, जिस पर दस्तख्त हैं "मोहनलाल सुखाड़िया, तारीख २१-७-५५, मुख्य मन्त्री।"

पहली शर्त है: भूस्वामी........

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—इसका सारांश पढ़ दीजिये।

श्री जसवन्तसिंह—आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? अब बेचैनी काम नहीं देगी, क्योंकि भंडाफोड़ हो गया है।

मुझे खुशी है कि श्री जयनारायणजी व्यास भी अब सदन में आ गये। कल समझौते के बारे में आपने कहा था। मुझे खुशी है कि इस समय वे भी हाउस में आ गये हैं और वह समझौता भी मिल गया है, जिसे मैं सदन में पेश कर रहा हूँ। इसमें ६ शर्तें आम रिहाई की दी गई हैं, जिनको न मानने पर दुबारा आन्दोलन करना पड़ा है। ये शर्तें इस प्रकार हैं :

"(१) भूस्वामियों को पुनः स्थापित करने की योजना तैयार करने के लिये सरकार एक पुनर्वास समिति नियुक्त करने की घोषणा करेगी। इस समिति के सदस्य इस प्रश्न से परिचित जागीरदार, भूस्वामी संघ के प्रतिनिधि व सम्बन्धित अधिकारी होंगे और समिति की रिपोर्ट पेश होने पर सरकार जल्द उचित कार्यवाही करेगी।

(२) जागीर केन्द्रीय सलाहकार समिति में भी भूस्वामी संघ का प्रतिनिधित्व होगा।"

ये दोनों बातें २१ जुलाई को मुख्य मन्त्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने साइन करके एग्रीमेन्ट किया और २१ जुलाई को आम रिहाई हुई।

दिसम्बर में जब आन्दोलन शुरू हुआ....

श्री अध्यक्ष—कमेन्ट्री के अलावा आप इसको पढ़ ही दें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—"(३) चूंकि अन्तर्कालीन मुआवजे की रकम निश्चित होने में समय लग सकता है इसलिये ५,००० रुपये से कम आय वालों को उनके अन्तरिम मुआवजे की पहली किश्त के रूप में उनकी जागीर की उस फसल की वसूल शुदा पूरी रकम उनके गांव में दे दी जायगी मगर अन्तरिम मुआवजे की रकम तय होने पर दूसरी किश्त की अदायगी के समय पहली

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

किश्त में ज्यादा दी गई रकम व प्रबन्ध खर्च तथा रेख की रकम भी मुजरा ले ली जायगी और मुआवजे व पुनर्वास की रकम अन्तिम रूप से तय होने तक कर्जे की बकाया, अन्तरिम किश्तों में से नहीं काटी जायगी।

(४) ५,००० रुपये से ज्यादा आय वालों को अन्तरिम मुआवजे की पहली किश्त उनकी वसूल शुदा आमद में से प्रबन्ध खर्च, रेख की रकम काट कर तहसील के खजाने से चुका दी जायगी और बेशी रकम दूसरी किश्त के चुकारे के समय मुजरा होगी।

(५) मुआवजे के लिये नेट इन्कम कायम करने में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की रकम नहीं काटी जायगी।

(६) पुराने राजस्थान के जागीरदारों को वाजिउलअदा रकमें जल्द चुकाने की व्यवस्था कर दी जावगी।

Sd. मोहनलाल सुखाडिया २१-७-५५ "मुख्य मन्त्री"

उनकी ६ शर्तों में से एक भी शर्त पर चीफ मिनिस्टर ने अमल ३१ जुलाई तक नहीं किया और न कोई कमेटी बुलाई। आखिर में हताश होकर उन लोगों को दुबारा आन्दोलन करना पड़ा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी कमजोरी है। मैं इस समझौते की फोटो कोपी सदन की मेज पर रखता हूं और आशा करता हूं कि इसको प्रोसीडिंग्ज में शामिल किया जावेगा।

श्री जयनारायण व्यास—क्या अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता से पूछेंगे कि क्या उन्होंने सरकार को यह नोटिस भी दिया या नहीं कि हमारी ये शर्तें मानी नहीं गईं, इसलिये हम आन्दोलन कर रहे हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। जब इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उस समय सरकार को कहा गया कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिये आन्दोलन होता है।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय चीफ मिनिस्टर से इस सम्बन्ध में पूछा जावे कि........................

श्री अध्यक्ष—जब वे इसका जवाब देंगे तब सब Cover हो जावेगा।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—Brevity is the soul of wit and I would like every member tofinish within 15 minutes. After 12 minutes I will ring and then within three minutes he will finish.

श्री चन्दनमल वैद—In special cases ?

श्री अध्यक्ष—There are no special cases.

श्री हिम्मतसिंह—And supposing, sir, I only take 5 minutes; will you allot the rest of the time to other members.

श्री अध्यक्ष—No. The rest of time belongs to me.

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर दो दिन से बहस हो रही है और उनको धन्यवाद देने के समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इसमें समर्थन तो करना ही है, मगर जो प्रस्ताव श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने इस सदन के सामने रखा है उसमें उन्होंने इस प्रस्ताव को रखते समय यह बात कही थी कि ऐसे अभिभाषण की जांच करने के बाद इस प्रस्ताव को पास किया जावे कि जो भाषण हुआ है उसका क्या स्टेन्डर्ड हो सकता है और जिन जिन बातों का उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है वे इस तरह की हैं कि उसकी जांच करने के बाद इस प्रस्ताव को पास किया जावे। मैं भी सदन के सामने इसका जहां तक श्रीमन् राज-प्रमुख का एक हैड ऑफ दी स्टेट के नाते ताल्लुक है, कहूंगा, कि इस प्रस्ताव को पास करें और उनको धन्यवाद दें। लेकिन जब इस अभिभाषण की रिपोर्ट के अन्दर जावें तो जो बातें इस अभि-भाषण में हमारे सामने आनी चाहिये थीं नहीं आई हैं। इसमें सोशियलस्टिक पेटर्न का जिक्र किया गया है लेकिन इसमें सोशियलस्टिक पेटर्न की कोई बात हमारे नज़र में नहीं आई है। नज़र जरूर आई है यह बात, कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने लाखों रुपया हमारी सरकार को दिया और उन रुपयों को खर्च हमारी सरकार ने किया और कहा कि इतना करोड़ रुपया वहां खर्च किया, इतना लाख रुपया वहां खर्च किया और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन से कहूँगा कि इस मामले के लिये तो धन्यवाद की पात्र सेन्ट्रल गवर्नमेंट है, प्लानिंग कमिशन है जो लगातार हेमरिंग करता रहता है कि आप रकम को खर्च करो। राजस्थान सरकार से कहता है कि रकम खर्च करो, फिर भी हर साल बहुत सी रकम लेप्स होती है और वह काम में नहीं ली जा सकती है। इसलिए हमें धन्यवाद उनको देना चाहिये जिन्होंने कि हमें यह सुविधा दी है, जिसके कारण आज हम यहां पर खड़े होकर यह कह सकते हैं कि हमने ४ करोड़ रुपया फलां जगह खर्च किया, हमने इतने लाख रुपया लोन में खर्च किया और इतने रुपये सड़कों आदि पर खर्च किये। ये सारा श्रेय सेन्ट्रल गवर्नमेंट को है।

बीकानेर से आने वाले एक सदस्य ने जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं डेकोइट्स की प्रोब्लम को ठीक करने के बारे में कहा और इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर हियर")

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि डाकुओं की समस्या हमारे सामने एक बहुत जटिल समस्या थी और १९४९-५०, ५०-५१ और ५१-५२ तक उसका कोई संतोषजनक हल नहीं मिला। पुलिस लगातार कोशिश करती रही लेकिन लगातार नाकामयाब रही। सन् १९५१-५२ के बाद स्थिति काबू में आई और सन् ५२-५३ में एक नया

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

प्रयोग डाकुओं पर किया गया। एक बात तो यह होती है कि पुलिस उनका पीछा करे और उनको जिन्दा पकड़े या उनको गोली से मार दे; इसमें भी काफी कामयाबी मिली। इनके साथ साथ दूसरा तरीका यह भी काम में लाया गया और वह भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर द्वारा लाया गया कि डाकू लोग एक सफल नागरिक की तरह से सेटिल हो जायें और वे अच्छे नागरिक बनें। यह प्रयोग भी काफी कामयाब रहा। इस नीति के अनुसार कई डाकुओं ने सरेन्डर किया और कई लोग पकड़े गये और कई मारे गये और डाकुओं की समस्या काफी हद तक काबू में आ गई। बहुत कम रह गये, तो पाकिस्तान में शरण लेकर रहे। इस वक्त में सदन के सामने जो सवाल पेश किया गया है उसमें यह बात कही गई है कि यहां के जो माननीय सदस्य हादी हैं, हयात जो उनके रिश्तेदार थे, उनको बलवन्तसिंह का खतरा हुआ। एक बात यह कही गई कि सांकडा में जो डाकू चला जाता है उसको पनाह मिल जाती है, सरेन्डर हो जाता है। खुद होम मिनिस्टर साहब कहेंगे। सांकडा में होम मिनिस्टर साहब मौजूद रहे हैं, पुलिस ओफिसर्स मौजूद रहे हैं और जितनी भी बातें हुई हैं उनसे यह मालूम हुआ है कि खुद स्पीच देते हैं, उसमें कहते हैं कि प्रेरणा अच्छी रही और उन डाकुओं ने पीसफुल मेथड्स एडोप्ट कर लिये। एक बात गलत हुई और वह थी बलवन्तसिंह के बारे में। उसने वापिस यह काम शुरु कर दिया और पाकिस्तान में भाग गया। डाकुओं का जहां तक सवाल है कोई भी शख्स सदन में या सदन से बाहर चाहेगा कि उनको एम्ब्रेस करना चाहिए और उनको पनाह देनी चाहिए; मैं तो यह कहूंगा कि सदन को इस तरह का एटीट्यूड लेना चाहिए कि चाहे वह कैसा ही शख्स हो, चाहे उसकी कैसी ही पोजीशन हो, डाकुओं का साथी होने से उसे परस्यू करना चाहिए और उसको भी वही सज़ा देनी चाहिए जो कि एक डाकू को दी जाती है।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हीयर, हीयर" एवं करतलध्वनि)

इस मामले में अगर यह बात मान ली जाय, जैसा कि कल इस बात को रखा गया था कि हयात के कत्ल में आई. जी. पी, ने परस्यु नहीं किया और किसी व्यक्ति को किया, बलवन्तसिंह ने उसको गोली से मार दिया। मैं यह समझता हूँ कि यह एक अफसर के प्रति अन्याय है। आई. जी. पी. काफी जिम्मेदार अफसर हैं, बड़े अफसर हैं और मैं समझता हूँ कि लॉ एन्ड ऑर्डर की प्रोब्लम कुशल ढंग से हल कर सकते हैं और कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई सुबूत हमारे नज़दीक नहीं आया है लेकिन उनके प्रति यह कह देना कि किसी पर्सन को (अश्रव्य) करते हैं इसलिए आई. जी. पी. साहब न बचा सके, यह उस अफसर के प्रति अन्याय है। अलबत्ता यह बात है कि थोड़े समय पहले केबिनेट में बहुत इम्पोर्टेन्ट सदस्य थे, उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं वे यह बात बताते हैं कि उनकी केबिनेट की नीति इस तरह की है अथवा उनके ओफिसर्स इस तरह का काम करते हैं या मिनिस्टर साहब को उनके सहयोग की आवश्यकता होती है तो उनको किसी तरह खुश रखते हैं और वैसा काम कर देना चाहिये और आज जो गवर्नमेंट की पोलिसी है वह इम्प्लीमेंट हुई है, उसका बयान करते वक्त रोशनी डाली, तो शायद उनकी जबान से अनकॉन्शियस आई. जी. पी. के लिए शब्द निकल गये जो गलत हैं।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

दूसरे मेड़ता के सदस्य श्री नाथूरामजी ने भाषण के वक्त एक बात कही थी कि यह पोलिसी है। जिसको रोटी से गरज है वे रोटी के लिए डकैत नहीं होते हैं, बल्कि आदतन डकैत होते हैं और डकैतियां करते हैं, रोटी के लिए डकैतियां नहीं करते हैं और कैसा भी संरक्षण उनके मुतल्लिक किया जाय कभी सक्सेज फुल नहीं हो सकते और किसी तरह की कामयाबी नहीं हो सकती। मैं आपसे कहूँ। इस सदन में आपके जरिये माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ, कि गवर्नमेंट की पोलिसी क्या है? गवर्नमेंट के जिम्मेदार लोग भाषण इस सदन में जाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि थोड़े दिन पहले सदन के बहुत इम्पोर्टेन्ट सदस्य जो गवर्नमेंट के बाहर सदन के कस्टोडियन कहलाये जाते हैं और आम तौर पर केबिनेट के गार्जियन कहलाये जाते हैं वे किसी डाकू से मिलने जाते हैं। पुलिस आफिसर्स के साथ वे सोजत की पहाड़ियों में गये, एक बहुत इम्पोर्टेन्ट डाकू से मिलने के लिए।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि व "हियर हियर")

श्री भैंरूसिंह—उनका नाम बता दीजिये।

श्री द्वारकादास पुरोहित—नाम सरेन्डर कराने वाला बता देंगे।

एक माननीय सदस्य—हम कांग्रेस की इन्टर्नल पोलिटिक्स में नहीं हैं।

श्री द्वारकादास पुरोहित—यह इन्टरनल पोलिटिक्स नहीं है, यह एक वाकया है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—मुझे तो पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य—नाम आप छिपा ही रहने दीजिये।

श्री द्वारकादास पुरोहित—मुख्य सचेतक, जो यहां के है वे साहब थे। मैं नहीं चाहता था कि आपको नाम बताऊं लेकिन आपके आग्रह को रोक भी नहीं सका। मेरे ख्याल से आप डाकू का नाम आउट नहीं करवायेंगे।

(हंसी)

यह कह सकता हूँ कि वह बहुत बड़ा डाकू है।

श्री भैंरूसिंह—ऐसा हो कि वह डाकू गिरफ्तार हो गया हो?

श्री जयनारायण व्यास—पहला अक्षर "जे" से शुरू होता है।

श्री द्वारकादास पुरोहित—"जे" मैं नहीं जानता। क्या वजह है कि एक तरफ गवर्नमेंट

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

अपनी तरफ से डिसाइड करने के लिए दूसरे आदमियों को भेजती है और सदन में यह कहती है कि यह पुलिस करती है। मैं नहीं समझा कि आज का युग डेमोक्रेसी का है या डेमोब्रोगी का। डेमोब्रोगी का है तो कुछ नहीं कहना है और यदि डेमोक्रेसी का है तो कुछ बातें और बता दूं कि हमें यह सोचना है कि गवर्नमेंट की पोलिसी क्या होनी चाहिए। अगर पोलिसी का इकोनोमिक रिहेबिलिटेशन नहीं होता है, पोलिसी इकोनोमिक नहीं होती है तो मेरे ख्याल से आज की जनता, आज का सदन कम से कम कोई भी इसको गवारा नहीं कर सकता है। लोग नहीं समझ सकते कि सोशल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है जो आधार है वह इकोनोमिक है। कई चीजें इकनोमी के बगैर डेवलप नहीं हो सकतीं। पहले फयुडेलिज्म पैदा हुआ और जब फन्कशन्ड हुआ, जब वह आउट ओफ डेट हो गया तो मोनार्की और केपिटेलिस्ट सोसाइटी डेवलप हुई। वह भी किसी समय फन्क्शन्ड थी और वह भी आज जब आउट ऑफ डेट हो गई तो हम सोशलिस्ट पेटर्न की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह कहना कि रोटी का सवाल नहीं है, इकोनोमिक नहीं है, आदतन डकैतियां करते हैं, आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आज से दस साल पहले बहुत सी जातियां थीं किसानों की, बेगार देती थी, आदत थी, जागीरदार Chattels की तरह बेगार लेते थे लेकिन आज लोग बेगार देने को तैयार नहीं हैं। आज जमाना बदल गया है, युग ने करवट ले ली है, इकोनोमिक्स का जो आधार है वह बदला है, सारी चीजें बदली हैं। आपको यह सोचना है कि यदि इकोनोमिक आधार और ऑल्टरनेटिव चीजें सामने नहीं रहती हैं और सारे काम पुलिस से कराना चाहते हैं या गवर्नमेंट डंडे से सारे काम कराना चाहती है तो क्या डेमोक्रेसी में डंडे चलाये जायं ? तो क्या यह डेमोक्रेसी हुई ? यह डिक्टेटरशिप हुई, ओटोक्रेसी हुई। यह माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं वे खुद पसन्द करें।

उसके बाद नीति के आधार पर जो बातें हुईं, या कही जाती है उनके विषय में थोड़े शब्द कहूँ। दूसरा प्रश्न है, सदन में जो गरमागरमी आई और सदन के बाहर जो है, वह है भूस्वामी आन्दोलन। मैं जानता हूँ और माननीय सदस्य बहुत सारे मेरी इस राय के हैं, कि भूस्वामी आन्दोलन हमारी प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है, जागीरदारियां हमारी प्रगति में बड़ी बाधक थीं इसलिए इनको समाप्त किया। बदकिस्मती से यह हिन्दुस्तान में बाद में हुआ जब कि बहुत वर्ष पहले ये समाप्त हो जानी चाहियें थीं।

जागीरें आज हम किसी भी शक्ल में किसी भी फोर्म में रखने के लिये तैयार नहीं हैं चाहे वह बिस्वेदारी हो, चाहे इजारेदारी हो, चाहे बड़े बड़े फार्म १०० २०० बीघा जमीन लेकर हो किसी न किसी फोर्म में हो, वह आज के जमाने में रहने वाली नहीं। हमारी सरकार ने जागीरी रिजम्प्शन एक्ट के पास होने के बाद में उनको खतम करने की ओर कदम बढ़ाया। दूसरी तरफ कम्पेनसेशन आदि देने की बात की। जब कम्पेनसेशन नहीं मिलता है तो तीसरी तरफ भूस्वामियों का चक्कर पड़ा हुआ है। समझौते की शर्तें पेश की गईं, यह ठीक है या नहीं यहतो मुख्य मन्त्री जवाब देंगे तभी मालूम हो सकता है कि वाकई इस तरह की शर्तें हुई या नहीं। अगर इस तरह की शर्तें हो जाती हैं जिनको कि अपोजिशन के लीडर कु० जसवन्तसिंह जी ने अभी पढ़कर सुनाया, अगर वे हैं तो यह देखने की बात है कि आन्दोलन चलवा कौन रहा है, उससे साफ हो जाता

[श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित]

है। इस तरह की शर्तें करके और फिर उसकी वजह वगैर बताये इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा हो जाय यह एक सोचने की बात रह जाती है आखिर इस आन्दोलन का क्या राजनैतिक मकसद है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं पहली दफा आज सदन में बोल रहा हूँ मुझे कुछ समय में रियायत दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था आज जो भूस्वामियों का आन्दोलन चल रहा है वह हमारी प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है इसलिये मैं मानता हूँ कि जागीरी रिजम्प्शन के बाद जो लोग जमीन से वंचित हो जाते हैं उनका पुनर्वास करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसी सुविधा इन लोगों के लिये करनी चाहिये ताकि ये लोग किसी तरह बस सकें और उनको बसाना निहायत जरूरी है। बजाय इसके कि जो शर्तें एक दफा कर ली गई उनका पालन न करके कोम्पली-केशन्स पैदा करना है। यह कोम्पलीकेशन्स खास तौर से हमारे लिये बाधक हो रहे हैं। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का हल करके जो हमारी प्रगति में बाधक है और हो सकता है आगे चलकर हमारे ला एन्ड आर्डर की स्थिति को बिगाड़ने में सहायक हो सकते हैं ऐसी सूरत में भी इस समस्या का हल करना बहुत लाजमी है। इसका भी एक इकोनोमिक पहलू है और इसी प्रकार गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिये। इस आन्दोलन ने जो रिएक्शनरी reactionary नारा दिया है; जैसे "धरती रखना, रखना धर्म हमारा, जीवन का है एक सहारा" आज के युग में यह कहना कि "धरती रखना धर्म हमारा" यह मोस्ट रिएक्शनरी नारा है, आज इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। यह नारा ऐसा है जो हमें बहुत पुराने युग की याद दिलाता है। अगर कुछ इकोनोमिक प्रोब्लेम हो जो कि वास्तव में है, उसको सरकार हल कर सकती है और यह मांग न्यायोचित भी है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उसी लेवल तक इसे हल कर सकती है।

तीसरी चीज जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं यह है पे स्केल्स ऑफ गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स। इस बारे में बहुत कुछ हाउस में कहा जा चुका है और यह बात साफ तौर से विदित हो चुकी है हमारे यहां पर राजस्थान में; जो पे स्केल्स किये गये हैं उसे हम सोशिलिस्टक पेटर्न की ओर बढ़ने वाला कदम कभी नहीं कह सकते। आज से दस साल पहले सन् १९४६ में जोधपुर में रिवीजन ओफ पे स्केल्स के लिये एक कमिटी बनी थी, जिस कमेटी में मैं भी मौजूद था। उसमें उस समय क्लास फोर्थ सरवेंट्स के लिये २५....१....३५ का स्केल तय हुआ था, विथ अदर इमोलू-मेंटस एन्ड यूनीफोर्न आदि। यह स्केल उस समय वहां के चपरासियों की थी। वह सन् ४७-४८ में मंजूर कर ली गई। उसके बाद जब राजस्थान बना तब २५, १, ३० का ग्रेड बना और आज २५. १. ४० का ग्रेड बनता है। आज उसके दस साल के बाद आज कोई नया मुलाजिम आता है तो आज उसको २५ रुपया मिलता है जब कि यह दस साल पहले जोधपुर में यही स्केल था, उस समय हमने परमानेन्ट मुलाजिम को जिसकी सरविस तीन साल की थी उसको एक ग्रेड इन्क्रीमेन्ट दिया

[श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित]

था। इस तरह से जिसकी सरविस पन्द्रह साल की थी उसको पांच इन्क्रीमेंट मिले थे। आज के जमाने को देखते हुए जब कि अकाउन्टेन्ट जनरल के दफतर को इन्डियन एयर फोर्स के दफतर के चपरासियों को तनखा भले ही कम हो किन्तु महंगाई भत्ता जिनको ४० रुपया मिलता है, उसी तरह से क्लर्क्स की पे स्केल्स में भी बहुत बड़ा फर्क है। जिस सोशलिस्टक पेटर्न की चर्चा राजप्रमुख के अभिभाषण में की गई है और जो हमारा अब माना हुआ सिद्धान्त हो चुका है और जिस पर हमें एक्ट करना है और उसी की ओर जो पहला कदम हमारी सरकार का गया, वह हमें पे स्केल्स के रूप में देखने को मिला जिसमें ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को ज्यादा फायदा हुआ और कम वेतन पाने वालों को वहीं का वहीं रखा गया। आज के युग को देखते हुए कम से कम एक आदमी के निर्वाह के लिये सब इमोल्यूमेन्ट्स मिला कर कम से कम १०० रुपया मिलना चाहिये; इस सौ रुपये के अलाला फ्री एज्यूकेशन और फ्री मेडिकल aid व मकान की फेसीलिटिज़ उनको मिलनी चाहिये At concessional rates ५०, ६० के बीच में रुपया मिलना चाहिये। इस तरह की व्यवस्था शुरू करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हम सोशिलिसिटिक पेटर्न ओफ सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे माननीय नेता इस बात पर यह कह सकते हैं कि इससे हमारे फाइनेन्सेज़ पर बहुत भारी असर पड़ता है। यह वास्तव में ठीक है लेकिन जहां आप एक तरफ जिन सेक्रेटेरीज़ की २०० रुपये स्पेशल पे थी उनकी २५० स्पेशल पे करते हैं, क्या उससे फाइनेन्सेज़ पर असर नहीं पड़ता है। मैं माननीय सदन के नेता को यह बताना चाहता हूं कि अगर इनफीरियर् स्टाफ के वेतनों में वृद्धि करने में जो फाइनेन्सेज़ पर असर होता है उसको वह आसानी से मीट आउट कर सकते हैं। आज जितने भी गवर्नमेन्ट में खरीददारी-परचेजे़ज़ होती है और इसमें जितना रुपये का अपव्यय होता है उसको यदि रोका जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी तनख्वाह बढ़ाने पर जो खर्च होता है वह उसमें से निकल सकता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है जिसकी ओर मैं माननीय अध्यक्ष, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; जिसकी चर्चा इस सदन में और बाहर भी सुनने को मिलती है। आज जो रुपया हमारी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च हुआ है और वह खर्च किस तरह कर रहे हैं उसके बारे में हमें कई बातें सुनने को मिलती हैं। भारत सरकार को हम इस बात के लिये धन्यवाद देते हैं कि वह हमें बहुत रुपया दे रही है। हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बहुत आभारी हैं कि वह हमें करोड़ों रुपया दे रही है। अब हमें यह देखना है कि जो रुपया हम भारत सरकार से ले रहे हैं वह खर्च किस तरह से हो रहा है। अगर उसके खर्च का हाल देखें तो आप-को पता चलेगा कि उस रुपये का किसी प्रकार अपव्यय हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण की तौर पर कहना चाहता हूँ कि नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक के अन्तर्गत सांकड़ा में ३० जनवरी को एक मेला हुआ था, उसमें मि० डे भी पधारे, उनकी स्पीच में इसके लिये एक रिमार्क था जो हमें यह बताता है कि उनकी इसके प्रति क्या भावना है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे खेद है कि इस सांकड़ा केन्द्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है किसी भी किस्म का। इसी प्रकार कल एक मेरे माननीय सदस्य ने जो सरदारशहर निर्वाचन क्षेत्र से आये थे कहा था कि नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक तो उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी गांव में खुल गया, किन्तु वहां पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। नेशनल

[श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित]

एक्स्टेन्शन ब्लाक जो एक रिज़र्वड ब्लॉक है, वहां तो कुछ कुछ काम होते हैं। दूसरी जगह कुछ भी नहीं करने की पोलिसी रहती है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह भेदभाव क्यों? इसी तरह कोआपरेटिव सोसाइटीज का भी यही हाल है। एक भोपाल कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम कुछ पेम्पलेट गवर्ननेन्ट की तरफ से इश्यू होते हैं, फोटोज़ भी उसके साथ हैं जो कि उसके अन्दर आये हैं। जिसमें भारत सरकार ने ६० लाख रुपये देने का वादा किया था और उसमें से उसको २५ लाख रुपया कर्ज दिया भी गया। उस सोसाइटी को पहले से जैसा कि गवर्नमेंट रेकार्ड में मिलता है जो पब्लिश किया हुआ है उसमें से १४, १५ लाख रुपया खर्च तो हुआ। इस तरह से कुछ गवर्नमेन्ट का, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट व दोनों मिलाकर करीब ३४ लाख रुपया इस सोसाइटी को दिया गया, जिसका हिसाब-किताब तक नहीं मिलता इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज कायम की जाती हैं, जिसमें इस तरह से सरकार का रुपया उलझ जाता है। इसी तरह से आज वाटर बोर्ड के बारे में भी सुनने को मिलता है, अनऑफिशियल एजेन्सीज़ द्वारा रुपया खर्च किया जाता है, जिसके अकाउन्ट को न आडिट करने की व्यवस्था है और न किसी प्रकार के चेकिंग ही की। यह बात ठीक है कि उन ऑफिशियल एजेन्सीज़ द्वारा खर्च तो जल्दी हो सकता है लेकिन वास्तव में वह खर्च हुआ या नहीं ईमानदारी से खर्च होता है या नहीं, यह देखने की बात है। अगर यह पैसा ईमानदारी से खर्च किया जाय तो जनता को बहुत फायदा हो सकता है। बिना आडिट की व्यवस्था हुए इनकी हालत कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरह होती जाती है। इसमें कोई शक नहीं रुपया तो आ रहा है, प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर, सेन्ट्रल गवर्ननेन्ट से। यह उसी हालत में होते हैं जब कि मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिलती, है दफ्तर बन्द करने पड़ते थे; यह भी एक दिन हालत थी। आज तक पैसा पैदा नहीं किया गया, यह जरूर है कि आज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वह आप पैदा करके नहीं खर्च कर रहे हैं बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिला हुआ रुपया खर्च कर रहे हैं। आज जिस तरह से रुपये का खर्च हो रहा है उसे देखते हैं तो हमें दुख होता है। यह एक प्रकार से रुपये का अपव्यय है। मैं सदन के नेता से अर्ज करूंगा कि यह रुपया जिस तरह से मिला हुआ है उसके खर्च के बारे में एक कमेटी मुकर्रर की जानी चाहिये। वह यह देखे कि यह रुपया खर्च किस तरह से हो रहा है और हुआ है और जांच के बाद वह अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखे, ताकि पता चल जाय कि वाकई काम उस रुपये से हो रहा है या नहीं।

अब मैं इन्डस्ट्रियल पोलिसी के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। हमारे यहां फाइनेन्स कारपोरेशन कायम हुए एक साल हो गया। जो कुछ उसके रूल्स बनकर हमारे सामने आये हैं उससे पता चलता है कि हमारा इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन किस तरह से चल रहा है। दो लाख रुपये और पांच लाख रुपये जो सरकार द्वारा मन्जूर हुये यह कुल रुपया इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये, लोन के लिये दिया गया। लेकिन आज हमें ऐसे इलाके भी दिखाई देते हैं जहां साठ सालों से पानी का इन्तजाम नहीं किया गया। आज हमारे जोधपुर में बिजली की हालत यह है कि केवल आश्वासन पर काम चलाया जा रहा है। आज यहां तक नौबत आ गई है कि रात्रि को ८ बजे से लेकर सुबह दस बजे तक बिजली बन्द रहेगी। ऐसे ऑर्डर्स हो चुके हैं, जबकि स्कूल के विद्यार्थियों

[श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित]

के इम्तहान नजदीक आगये हैं ऐसी हालत में रात्रि के आठ बजे से दस बजे तक बिजली बन्द रहेगी। यह हालत पहुँच चुकी है और आज यह मशीन वहां से खरीदी जा रही है, आज वह मशीन वहां से खरीदी जा रही है, कुछ पुरानी मशीनें खरीदी गई, डीजल खरीदे गये, थोड़े दिन चले और कह दिया ये बेकार हैं, पुराने हैं। यह पालिसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट की चल रही है और चूंकि इस पर पहले बहुत प्रकाश डाला जा चुका है इसलिये मैं इस पर और अधिक नहीं कहूंगा।

अब मैं मिनरल पोलिसी पर आता हूँ।

श्री अध्यक्ष—कुछ बजट के लिए रख लीजियेगा।

श्री द्वारकादास पुरोहित : उसके लिए तो मैं पहले से ही बहुत सी चीजें छोड़ रहा हूँ। राजस्थान के हमारे मिनरल सोर्सेज अच्छे हैं। पर किस तरह से ये भी काम में लिये जा रहे हैं, यह मैं आपको बताऊं। इसका भी जिस तरह से फायदा उठाना चाहिये, नहीं उठाया जा रहा है, बजाय इसके कि बड़े बड़े हिस्से ठीक तरह से संगठित करने के लिए दिये जावें, छोटे छोटे टुकड़े लोगों को देकर उनको और नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये छोटे छोटे लोग जो हैं इन्हें पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियेन्स नहीं होता, अच्छे एक्सपर्ट की राय नहीं ले सकते, अच्छे इन्जीनियर अपनी खानों पर नहीं रख सकते। सरकार को एक कारपोरेशन कायम करना चाहिये जिसमें प्रेक्टिकल एक्सपर्ट्स हों, अच्छे इन्जीनियर हों जो यहां भूगर्भ में बिखरी पड़ी हुई हमारी अपार सम्पति को ठीक तरह से एक्सप्लोइट कर सकें और उससे पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके।

तो अन्त में सम अप करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लम्बा भाषण इस वक्त हमारे सामने श्रीमान् राजप्रमुख ने दिया है उसका अगर एनेलाइसिस करवाया जावे और उसको पर्स्यु किया जावे और जो केटेगराइजिंग हमारे सामने किया गया उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तब तो ठीक है, नहीं तो उतना लाभ नहीं होने वाला है जितना होना चाहिये। अब इसमें हमारी सरकार कहां तक कामयाब हुई है, यह देखना है। रुपया सब सेन्टर से मिलता है। वह हमारे यहां खर्च कैसे हो रहा है, यह भी देखने की बात है। काफी रुपया इस दृष्टि से खर्च किया जा रहा है। ग्रुप मेकिंग व्यू पोइन्ट से सारा पैसा खर्च किया जा रहा है और वाकई इस तरह से इस धन का यह दुरुपयोग हो रहा है। तो यह सब सरकार के देखने का काम है।

श्री मथुरादास माथुर—I stand on a point of explanation only.

श्री अध्यक्ष—मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि एक दिवस के लिए जो हमने सदन की कार्यवाही स्थगित की थी उससे काम कुछ पीछे रह गया है। माननीय सदस्य बोलना भी चाहते हैं और समय भी अधिक लेना चाहते हैं तो उनको तैयार रहना चाहिये इस बात के लिए कि उनको अधिक बैठना भी पड़ेगा और आवश्यकता पड़े तो शनिवार को भी बैठना पड़ेगा। इस शर्त पर

[श्री अध्यक्ष]

टाइम की लिमिट को रिलेक्स कर सकता हूँ और आज के दिन जो धन्यवाद का प्रस्ताव पास हो जाना चाहिये था उस बहस को आज खतम करके फिर गवर्नमेंट बेन्चेज़ के जवाब के लिए बाद में समय रख सकते हैं। अगर इसके लिए तैयार हैं आप तो आगे चलें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सप्लीमेंटरी बजट जो है उसमें अधिक समय रक्खा जावे तो ठीक रहेगा।

श्री मथुरादास माथुर : So far as meeting on the Saturday is concerned, well, most of the members of this House do not want that.

श्री रामकरण जोशी—हमें आगे के बारे में सोचना चाहिये। हाउस बहुत दिनों बाद मिलता है, उसमें भी अगर इस तरह से बोलने न दिया जावे और यह कहा जावे कि टाइम कम है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। इस भावना को आप खयाल में रक्खेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लोग जितना बोलना चाहे बोलें, मुझे इसमें एतराज नहीं है। शनिवार को नहीं रक्खें तो शिवरात्रि को सुबह रखलें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो कलेन्डर (आफ मीटिंग्ज) सर्कुलेट किया गया है उसके अलावा हमें एक बात का ध्यान और रखना है कि एस. आर. सी. का बिल और आवेगा क्योंकि वह अभी आया नहीं है, इसलिए अभी इसे शामिल नहीं कर पाये हैं और फिर भाषणों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसमें कोई कमी की गई हो, ऐसी बात नहीं है। पहले जितना समय दिया जाता रहा है उसमें कोई कमी इस बार की गई हो, ऐसी बात कतई नहीं है। जो जितना बोलना चाहें बोलें, हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो सुबह शाम एडमिनिस्ट्रेशन के काम के अलावा बैठ सकते हैं।

श्री रामकरण जोशी : बैठने में हमें भी और किसी भी सदस्य को भी बुरा नहीं लगता, पर इसकी भी हद होती है। आप आठ आठ घंटे लगातार बिठाओ, दो दो बार बिठालो और इस तरह से लगातार परेशान किया जावे, प्रेस रिपोर्टर भी हाजिर न हो सकते हों, तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमें रोजाना के टाइम के अनुसार बैठने में कोई एतराज नहीं है। अगर समय की कमी की बात थी तो दूसरी जगह भी सैशन फरवरी में बुलाये गये हैं, यहां भी आप ऐसा करते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय आप ही तय कर दें।

श्री अध्यक्ष—Order please! अभी तय कर देता हूँ। I will announce.

श्री लालसिंह शक्तावत—माननीय अध्यक्ष, राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हो रहा है उसमें दोनों पक्षों की ओर से कई बातें रक्खी गई। एक बात इसके समर्थन में धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ, वह यह है कि हमारे प्रजातन्त्रीय शासन में जो कि वह एक राजा थे तो राजा होते हुए भी नये शासन में राजप्रमुख की हैसियत से उन्होंने इस शासन में भी सब

[श्री लालसिंह शक्तावत]

तरह से सहयोग दिया और आगे बढ़ाने का भी काफी उद्योग किया, इसलिए मेरी दृष्टि से वे धन्यवाद के पात्र हैं।

और और बातों पर नहीं कह कर मैं खासतौर से सिर्फ एक बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ और वह यह है कि दोनों दिनों में यहां जो भूस्वामी आन्दोलन की चर्चा चल रही है उस चर्चा पर शान्त वातावरण में विचार किया जावे। उस दृष्टि से जो मैं उसको समझ पाया हूँ वह विचार सदन के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

यह जो आन्दोलन हैं पहले हमको यह देखना है कि यह किनका आन्दोलन है ? शब्द "भूस्वामी" के अन्दर बड़े जागीरदार और छोटे जागीरदार सभी आ जाते हैं, लेकिन जो आन्दोलन है वह सिर्फ छोटे भूस्वामियों का है। बड़े जागीरदार और बड़ी हैसियत के भूस्वामी इसमें शामिल प्रायः नहीं है।

परोक्ष रूप से शायद कोई हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं हैं। वे सामने नहीं आ रहे हैं, अर्थात् यह जो आंदोलन है वह छोटे भूस्वामियों का है। ये भूस्वामी कौन लोग हैं ? अलावा इसके यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था थी उसके अन्दर यहां के भूस्वामी एक पुलिस और फौज के रिजर्व फोर्स के रूप में थे और उनकी तनख्वाह रोकड़ में मिलने के बजाय जागीरों के रूप में मिली हुई थी। जो सक्रिय, मिलिटरी सर्विस पर थे और पुलिस में थे उनको केश (Cash) में तनख्वाह मिलती थी, लेकिन ये रिजर्व फोर्स में थे। इन दोनों की ही मुख्य रूप से ड्यूटी भूस्वामियों की थी। भूस्वामियों के अन्दर जो छोटे भूस्वामी हैं उनके लिए एक बात यह भी कह देना चाहता हूँ कि इन छोटे भूस्वामियों में मुख्य रूप से राजपूत हैं और राजपूत ही इनमें ९९ फी सदी हैं, और मुख्य रूप से वही आन्दोलन चला रहे हैं। इसलिए इस चीज को हमारे सामने रख लेना ठीक है कि उन लोगों के सुपुर्द पुलिस और फौज का काम था और एक समय था जब कि वे पुलिस और फौज का काम करते थे लेकिन अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद में वे रोकड़ रुपया देकर फौज और पुलिस भर्ती होने लगी तो वह रिज़र्व फोर्स के रूप में रख लिए गये, और जब रियासतें थीं तो खास तौर पर जो भूस्वामी थे उन्हीं से वह काम लिया जाता था। वे नौकरी पर आते थे लेकिन वह नोमीनल नौकरी होती थी। तो इनके अन्दर आप यह प्रश्न करेंगे कि बड़े भूस्वामी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं और छोटे ही क्यों आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि बड़े भूस्वामी जो हैं उन्हें आपने जो समझौते की बातें बतलाई उन्होंने स्वीकार कीं। जो समझौता हुआ है वह उन्हीं के दस्तखतों से और उनकी जानकारी से हुआ है। वह पढ़े-लिखे लोग हैं और आगे रहने वाले हैं, तो उन्होंने देखा कि समय के अनुसार कम्पेन्सेशन ले लेना, मुआवजा ले लेना, उचित है। लेकिन जो गरीब भूस्वामी हैं उन लोगोंके न तो यह बात पूरी समझ में आई और उनकी दिक्कतें बड़े भूस्वामियों से भी बहुत ज्यादा हैं।

उनका जो यह आन्दोलन है वह किन कारणों से है वह मैं आपके सामने निवेदन करना

[श्री लालसिंह शक्तावत]

चाहता हूं । कारण यह है कि छोटे भूस्वामी जो हैं वे ठिकानों के छुटभाई या छोटी हैसियत के राजपूत होते थे । पहले इन लोगों को छोटी छोटी जागीरें या माफियां मिली हुई थीं, जो सिर्फ मेन्टीनेंस के रूप में थीं । तो इनके नौजवान लड़के होते थे वे अपनी रोजी के लिए रियासत में चले जाते थे । तो जैसे मेरे पीछे शम्भुसिंह जी बैठे हैं इनके भाई उदयपुर में चले जाते तो महाराणा साहब उनको नौकर रख लेते थे और उनके छुट भाई को दो रुपये रोज तनख्वाह कर दी जाती थी; वह चौके में खाते थे और वहीं किसी जगह में रहते थे । इसी तरह बड़े बड़े ठिकाने थे उनमें वह चले जाते थे जहां कि उनके भाई बन्धु नौकर होते थे । खाना ठिकाने में मिलता था और ठिकाने की सवारियां मिलती थीं और उनकी शादी-गमी के मौके पर रुपया मिल जाता था, ठिकाने के अन्दर जो सवारियां, घोड़े, बन्दूक और जो सामान होता था वह इन लोगों के काम में आता था । उनकी शादियों में ठिकाने वाले जाते थे, बरात में जाते और ठहरते । इसके अलावा जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा कि यू० पी० के जमींदार और हमारे राजस्थान के जागीरदारों की स्थिति एक नहीं है । यू०पी०के जमींदार की पोजीशन तो एक मालगुजार की थी । हासिल वसूल करके सरकार को अदा करना उसका काम था, और यही स्थिति उनकी सरकार ने मानी है । हमारे यहां के जो जागीरदार हैं आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा; कृष्णमाचारी ने कहा कि वे छोटे प्रिन्स (Prince),एक छोटे रईस की पोजीशन में अपने अपने ठिकानों में थे । एक बड़ा जागीरदार था, वहां पर और एक छोटा जागीरदार था, वहां पर उनके काश्तकार और उनके नौकर उनको "अन्नदाता" कहके झुक कर सलाम किया करते थे । तो उनकी सारी जागीर में जो पोजीशन थी, और उसका जो सम्मान था वह सम्मान एक बड़ी चीज है, और अगर आपमें से जो लोग राजपूतों के इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि राजपूत कौम सम्मान के लिए बड़ी फिक्र करते हैं । खाने को चाहे मिले या न मिले लेकिन सम्मान के लिए वे मर मिटेंगे । वह सम्मान उनको प्राप्त था । जमींदार और जागीरदार की एक पोजीशन नहीं है, यह मैं आपको इस लिए बतला रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि आज राजपूत कहां से कहां गिर पड़ा है, और अब वह कीचड़ में कहां नीचे पड़ गया है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहां जाये और कैसे जाय । उसकी मुसीबत उसको महसूस हो रही है । उसका चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ । वह जब कि किस परिस्थिति में वहां था; साथ ही आप देखते हैं कि आर्थिक स्थिति में उस वक्त उसको ठिकाने से मदद मिलती थी । जागीरें जब्त होने के बाद जागीरदारों ने वह मदद लेना बन्द कर दिया, नौकरों को कम कर दिया । रियासतों ने नौकरों को कम कर दिया तो जो उनकी नौकरी को और खाने पीने की आशायश थी और मौज मजे की चीजें थीं, वे सब बन्द हो गईं, और अपने निजी ठिकाने में भी यह हाल हुआ तो वे कहां जायं । २०० से हजार तक की जागीरें नहीं ली हैं लेकिन वह भूत तो सवार है हा कि वह भी जा रही हैं । तो चारों और से मुसीबतें दिखती हैं । आर्थिक कठिनाई हो गई है । नौकरी करने के लिए दिक्कत है । यह जो प्रजातन्त्र का जमाना है इसमें कम्पीटीशन से नौकरी दी जाती है और पढ़े-लिखों को नौकरी दी जाती है । राजपूतों में प्रायः पढ़े लिखे कम हैं, वे नौकरी कौनसी करेंगे और इसके साथ में कहां क्या नौकरी मिलेगी ? देहात में रहने से उनको यह जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होने के लिए पैरोकार से मदद लेने की ताकत नहीं होती है । जो नौकर पहले से होते हैं वह जानकारी देते हैं

[श्री लालसिंह शक्तावत]

और वह नौकरी करके औरों को भरती करवाते हैं। तो रियासत में भरती होने में यह दिक्कत आ रही है। यदि मैं यह मान लूं कि रियासतों में कोई पक्षपात नहीं करता है और नौकर रखने वाले निष्पक्ष रूप से काम करते हैं; उसको मैं मानता हूँ। आगे तो लोग उसमें भी संदेह करते हैं। लेकिन यह मानते हुए भी ऐसे कारण हैं कि उनको नौकरी मिलने में कठिनाई होगी। इधर यह चीज़ उनकी बन्द हो गई, उधर रियासतों में नौकरी मिलना बन्द हो गया। घर में जो आशायश थी, जागीर से जो आमदनी थी वह बन्द हो गई। जमीन वह करते थे लेकिन काश्तकारों से काश्त करवाते थे। राजपूत का धन्धा काश्तकारी का नहीं है। यू. पी. के अन्दर काश्त जो राजपूत करते थे वे नीचे माने जाते थे, मेरे कहने का मतलब यह है कि वे जिस किसी से हल का काम करवाते थे। बिहार में जो राजा रामपालसिंह थे वे सुधारवादी थे, उन्होंने अपने हाथ से हल चलाया राजपूतों को सिखाने के लिए हल चलाना अपमान की बात नहीं है। हमारे यहां उनको खेतड़ राजपूत कहते हैं। खेतड़ का मतलब खेती करने वाला। राजपूत कोई खेती का काम नहीं करता है। अगर कोई राजपूत खेती का काम करता है तो वह राजपूत नहीं रहता है। जो अपने हाथ से हल चलाये उसके लिए गीता में लिखा है ;—

"कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं, वैश्य कर्म स्वभावजम्"

लेकिन खाने को जब नहीं मिले तो सब काम करते हैं, यह दूसरी बात है। तो ये राजपूत राजाओं के लड़के हैं। आप देखेंगे कि राजाओं के लड़के लाखों की तादाद में जिनके १५ पीढ़ी दूर होने से या ५० पीढ़ी दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके राजाओं के लड़के होने में कसर नहीं आती। शिशोदिया और राठौड लाखों की तादाद में हैं, जो एक समय राजाओं के लड़के थे। हालांकि उनको खाने को पूरा नहीं मिलता फिर भी राजा जो करते हैं, बड़े जागीरदार जो काम करते हैं और जिस पोजिशन से उनको रहने की आदत है उसी परम्परा के माफिक वे राजपूत भी रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा बहुत चाहिए और आमदनी उतनी है नहीं। इस मुसीबत में पेट के पट्टी बांध कर फिरते हैं। उन गरीबों के घरों में जाकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उनकी विधवायें कितनी दुखी हैं और वे खुद कितने दुखी हैं। बाहर लोगों को दिखाने के लिए डाढी बांध कर फिरते हैं लेकिन घर में भूखे हैं क्यों कि वे मांग कर नहीं खा सकते और छोटा-मोटा धंधा नहीं कर सकते। कहने को तो "डिग्निटी ऑफ लेबर" अच्छा है लेकिन उनकी परम्परा जुदी है। वे अपने आपको राजाओं के लड़के समझते हैं। लेकिन उनकी यह परम्परा खाने को बायस हो रही है। किसी काम से बहुत पैसा मिल सकता है लेकिन वे काम नहीं कर सकते। नतीजा यह होता है कि छोटे भूस्वामियों की आर्थिक स्थिति हरिजनों से भी बदतर है। कारण यह है कि हरिजनों के परिवार में हरेक आदमी काम करता है और आजकल मजदूरी भी बढ़ गई है इसलिए उनको काफी पैसा मिलता है। लेकिन राजपूतों की औरतें और उनके बच्चे काम नहीं करते और राजपूतों को खुद को काम करना आता नहीं। मैं कई बार बड़े जागीरदारों से कह चुका हूं कि जो सीलिंग आ रहा है वह आपके लिए एक छिपा हुआ वरदान है क्योंकि तुम खुद तो खेती कर नहीं सकते इसलिए अपनी जमीन राज्य को दोगे और उसका मुआवजा मिल जायगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि खेती करना भी उनको

[श्री लालसिंह शक्तावत]

नहीं आता। यदि उनके यहां कोई महमान आ गया तो उसको बाहर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर साहब के यहां पानी भरने का काम कौन करे? नौकर तो है नहीं, खुद ही को करना पड़ता है और घर में घट्टी भी तो औरतों को ही चलानी पड़ती है। पिछले रास्ते से खुद ही को तो पानी भरना पड़ेगा और कहीं दूर के कमरे में घट्टी चलानी पड़ेगी। घट्टी की आवाज भी महमान के कान में नहीं पड़नी चाहिए। दूर से घट्टी की आवाज आने पर महमान समझ जायगा कि इनके यहां घट्टी नौकर चलाते हैं और दूसरा काम भी नौकरों द्वारा ही किया जाता है। यह चीज अच्छी है या बुरी है, यह मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन वास्तविक परिस्थिति आपके सामने रख रहा हूँ कि उनकी आज क्या स्थिति है। समझदार और पढ़े लिखे लोगों के लिए तो स्थिति को समझना आसान है लेकिन वे पढ़े-लिखे लोग जो अधिकतर देहातों में रहते हैं उनके लिए परिस्थिति को समझना कठिन है। इन छोटे राजपूतों की रिश्तेदारियां बड़े बड़े जागीरदारों में मिल जायगी। जहां तक शादी विवाह की व्यवस्था है ये छोटे आदमी भी अपने आपको बड़े आदमियों के समान समृद्ध मानते हैं।

उनकी मुसीबत क्यों हो रही है? उसका कारण यह है कि ये लोग बड़े जागीरदारों को अपना नेता मानते हैं और यह समझते हैं कि वे समझौता करायेंगे और समझते है कि वे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन जब उनका जागीरों से सम्बन्ध छूटने लगा, अब उन बातों का जिक्र करने से फायदा नहीं होगा। ये बड़े लोग खुद तो बड़ी रकम लेकर बैठ जायेंगे और छोटे लोगों की परवाह कौन करेगा? अब उनको रास्ता कौन बतावे। आप देखेंगे कि भूस्वामी आन्दोलन में पढ़े-लिखे या या बड़े आदमी नहीं हैं.........

श्री घीसीसिंह—जिन बातन का आप वर्णन कर रहे हैं वह तो आपकी कमजोरी है। इन्हीं बातों से तो देश गुलाम बना है। महाराणा प्रताप की बात करो, जिन्होंने घास फूस की रोटियां खाई थीं।

श्री लालसिंह शक्तावत—(जारी) मैं तो अब आपको स्थिति से वाकिफ करने के लिये ये बातें बता रहा हूँ। क्योंकि आपके उधर भरतपुर में यह सवाल नहीं है, इसलिये शान्ति से गंभीरतापूर्वक समझाने के लिये कह रहा हूँ। मेरा इस सम्बन्ध में लोगों से बातचीत हुई है और व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर निष्पक्ष रूप से क्या स्थिति है उसको सदन के सामने रख रहा हूँ। मैंने यह आर्थिक स्थिति आपके सामने रखी। वे खेती भी नहीं कर सकते। खेती का यह हाल हुआ कि पहले राजपूत लोग इधर उधर फिरते रहते थे, बाहर नौकरी करते थे और अपनी जमीन पर काश्त काश्तकारों से कराते थे। अब जो नये कानून बने हैं उनके कारण जो जमीन उन्होंने काश्तकारों को सौंपी थी उसके मालिक वे काश्तकार ही बन गये। अब इन गरीब राजपूतों के लिये अपने घर में तो खेती करने के लिये जमीन नहीं रही और बाहर इनके लिये नौकरी नहीं रही। मैंने थोड़े में इनका आर्थिक दिग्दर्शन दिया। मैंने विशेष समय लिया, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह बहुत महत्व की बात है। इन भूस्वामियों में समझदार आदमी नेता कम हैं। पढ़े लिखे छोटे नवजवान इनके नेता बन गये हैं और बीच-बीच में कई और आदमी हैं इसलिये उनकी मांगें भी स्पष्ट नहीं होतीं। इसलिये आपके सामने यह

[श्री लालसिंह शक्तावत]

दृष्टान्त देना चाहिये कि जैसे ये सब सरकार के नौकर हैं। भूस्वामी मात्र सिपाही लोग हैं जो पुलिस या फौज की रिज़र्व लाइन्स में थे। उनको डिस्बेन्ड कर दिया गया तो फिर ये कहां जायेंगे ? किशनगढ़ मिल यदि बन्द हो जाय तो मजदूर लोग कहां जायेंगे, वे तो मिल के सामने ही धरना देंगे। इसी तरह से ये भूस्वामी कचहरियों के सामने आकर ही धरना देंगे, क्योंकि सरकार को ही ये तो मिल मालिक समझते हैं। पहले उनके लिये रिजर्व लाइन खुली थी, उसको अब बन्द कर दिया तो वे सीधे सरकार के पास जायेंगे। सरकार ही उनकी मालिक है, उसी के पास नौकरी है। जागीर क्या है ? वह एक तरह की तनख्वाह है। इन बातों की ओर यदि आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा कि छोटे आदमियों की मुसीबत है। न तो उनको जागीरदार मदद देते हैं कि अब उनका क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये ; यह आपके सामने रखता हूँ। थोड़े में मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी एक सबसे बड़ी मांग 'रोटी' है। उनको रोटी मिलनी चाहिए। उनको रोटी कैसे मिले ? खेती का दूसरा नम्बर है। उनको नौकरियाँ मिलनी चाहियें। आप कहेंगे जाति की परवरिश नहीं कर सकते। पहले तो ये लोग रईस के यहां जाकर सलाम कर लेते थे लेकिन आपके यहां तो सलाम का तरीका नहीं है। पहली बात तो यह है कि कई नौकरियों के लिये रिजर्वेशन जैसे हरिजनों के लिये रखते हैं और किसी जमाने में सिक्खों और मुसलमानों के लिये रखा जाता था उसी तरह जागीर जिनकी छिन गई है उनको स्पेशल प्रिफरेंस नौकरियों में दे दें। एक दफा ये लोग नौकरी में आयेंगे, उनको खाने को मिलेगा तो इनको दूसरे काम नहीं सूझेंगे। खाने को नहीं मिलेगा तो और और खराब काम सूझेंगे।

पहले के जमाने में यह जो मेरवाड़ा अभी है उसका इन्तजाम रियासतें नहीं कर पाई थीं। इसलिये अंग्रेजों ने इसका इन्तजाम किया था। मैं वहां के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने वहां सैटलमेन्ट किया है। उन अंग्रेजों ने दो आने बीघा लगान में कर दिये इसलिये नोमिनल लगान पर लोग खेती के काम में लग गये और जो खाली रहे उनको फौज और पुलिस में ले लिया और उनको नौकरियां मिल गईं और दोनों ही काम हो गये, सैकड़ों और हजारों आदमी काम पर लग गये। इसका एक फल यह भी हुआ कि चोरियां और डकैतियां बन्द हो गईं। यही तरीका आपको छोटे राजपूतों के लिये अख्त्यार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जमीन खोसी (छीनी) गई है, उनको जमीन देंगे। तीसरी बात यह है कि मुआवजा एक साथ दें। कम किश्तों में दें या छोटे जागीरदारों को एक साथ भी दे दें। चौथी बात यह है कि पहले जो तरीका था कि जागीरें जब्त होने पर हवाला रखा जाता था और उस पर लगान लगाई जाती थी और अब जैसे यू. पी. में भूमिदारी का नया सिस्टम ईजाद किया है वैसा करके, और लोगों के मुकाबले में आधा लगान रखें। तो जो मैं इनमें समझ पाया हूँ वह थोड़े से शब्दों में मैंने आपके सामने रखा है और यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। ये सिपाही किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। सिपाही लोग जब आन्दोलन करते हैं तो यह समझ लेना चाहिये कि ये बहुत दुखी हो गये हैं क्योंकि ये लोग बहुत दुखी होने के बाद ही आंदोलन

[श्री लालसिंह शक्तावत]

करते हैं। यह सिपाहियों का आन्दोलन है और ये लोग सारे राजस्थान में बिखरे हुए हैं। पहले इन्होंने बहुत अच्छा जमाना देखा है। आज ये लोग जमाने के परिवर्तन के साथ साथ आसमान से पाताल में गिर गये हैं और उनको आज खाने को नहीं मिलता है। गरीबों को क्या मुसीबतें होती हैं उनका अन्दाजा कराया जावे। मैं सदन के सदस्यों व माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को शान्तिपूर्वक निपटाया जावे और यह देखा जावे कि उनकी वास्तविक क्या दिक्कतें हैं और चूंकि उनकी दिक्कतों को कोई कहने वाला नहीं इसलिये आज हम उन्हें इस रूप में देखते हैं। उनकी दिक्कतों को हल करना चाहिये। ये लोग राजस्थान के बाहर जाने वाले नहीं हैं। हम गरीब आदमियों को देखते हैं जिनके पास कोई धन्धा नहीं है। जिन लोगों के पास कोई धन्धा नहीं है उनको धन्धा दिलाया जावे और जो जागीरदारी प्रथा समाप्ति के कारण धन्धा उनसे छीन लिया गया है उनके लिये सबसे पहले उनको धन्धा देना आवश्यक है।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, मैं श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो भाषण हुए हैं और उन भाषणों में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा वास्तव में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कोई लेखा-जोखा नहीं होता कि जिसमें केवल आंकड़े ही दे दिये जावें। इसमें तो एक पोलिसी रखी जाती है और यह बताया जाता है कि जो पोलिसी रखी गई उसको कहां तक निभाया गया और उसमें कितनी सफलता मिली। पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आई। उसका एक खास उद्देश्य है और वह देश को ऊंचा उठाने का है। इसमें कुछ खास खास तरक्की के काम करने के ढंग हैं।

इसमें सबसे पहले हमारे सामने अन्न-संकट का प्रश्न था। दूसरा यह कि हमारे देश में इस प्रकार के उद्योग धन्धे शुरू किये जावें कि जिससे देश की इकोनोमी बढ़े। तीसरा यह कि बेकारी को खत्म किया जावे और सामाजिक सुधार किये जावें। चौथा और सबसे बड़ा प्रश्न जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वह है ग्राम सुधार और पंचायतें, जिनसे जनता का सहयोग मिल सके। कोई भी प्रान्त इसके बिना कामयाब नहीं हो सकता। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है और इसके बगैर डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। इसीलिये महात्मा गांधी इस पर ज्यादा जोर देते थे। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में पंचायतों का नाम तक उड़ा दिया।

यही एक जरिया है जिसके द्वारा हम सरकारी प्रोग्रेस को जनता तक पहुँचा सकते हैं। हमारे यहां पहले पंचायतों का परीक्षण हुआ। पंचायतें बनाई गई और पंचायतों के शासन को चलाया गया। मगर उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई जिसके कारण हम राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बदनाम हुए। उस प्रकार के कारनामों से जनता में डेमोक्रेसी से विश्वास हट गया। प्रजातंत्र को चलाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जनता का सहयोग प्राप्त करे।

[श्री भोलानाथ]

इसके अलावा मैं यह बता देना चाहता हूँ कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रजातन्त्र को चलाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जनता का सहयोग प्राप्त हो क्योंकि हमारे यहां कोई दूसरी मशीनरी नहीं है। अगर जनता का सहयोग होगा तो काम अच्छी तरह से होगा।

इसके अलावा जो लोग कम्पेन्सेशन का रुपया लेने के लिये जाते हैं उनसे जबरदस्ती स्माल सेविंग फन्ड के सार्टिफिकेट खरीदवाये जाते हैं। इससे लोगों के दिलों में बहुत असंतोष होता है। यह कार्य प्रांत को प्रगति की ओर ले जाने वाला नहीं है। पुराने समय में जिस प्रकार वार फंड के लिये रुपया इकट्ठा किया जाता था उसी प्रकार से यह रुपया इकठा किया जाता है, उसे हम कभी बरदास्त करते नहीं। आज वही हालत है। हम वार फन्ड जो इकठा होता था उससे घृणा करते थे, उसी प्रकार की यह बात है और इस प्रकार के आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो तरीका है वह हमें ठीक रास्ते पर नहीं ले जाता है। इसके अलावा सोशियल पेटर्न की जो दुहाई दी जाती है उसके लिये मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि आज सोशियल पेटर्न नहीं है, आज तो ग्रुप पेटर्न की बात है। यह बड़े शर्म की बात है।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर हियर')

और ग्रूप पेटर्न पर जो काम किये जाते हैं वे कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आप आज न्यायशील विवेक की बात कह रहे हैं। क्या इसको न्यायशील विवेक कहा जा सकता है। यह आपको किस तरफ ले जावेगा, यह आप अपने आप जानते हैं। भू स्वामियों के लिये जो समझौते की बात कही गई, उसको मैं मानने के लिये तैयार हूँ और आज जो बात कही गई और जो जाहिर हुई है और जो श्री भैरूसिंह के प्रश्न करने से और उनके जवाब से जाहिर होता है; मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि वे पुलिस के बड़े ऑफीसर रहे हैं और इसी लिये उन्होंने उनसे (चीफ मिनिस्टर से) निकलवा ही ली जो उनको निकलवानी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण कर दूं कि मैंने कल पिछली प्रोसिडिंग से ही यह बात कही थी।....मैं समझता हूं कि इससे..........

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है।

(घंटी)

श्री भोलानाथ—भू-स्वामी आंदोलन किया गया। इसमें भी चालाकी काम कर रही थी। एक समय था जब व्यास जी पावर में थे। उस समय यह कहा जाता था कि व्यास जी का मंत्री-मंडल जागीरदारों का हिमायती है और उसी कारण से उसको छुड़ाने के लिए उनसे सांठ-गांठ की गई, भू-स्वामियों से बात की, उनके मुखिया से बात की और आज वे ही लोग न्यायशील विवेक की बात कर रहे हैं।

[श्री भोलानाथ]

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर हियर)

वे यह कहते थे कि व्यास जी जागीरदारों का पक्ष करते हैं, मगर आज वे जागीरदारों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब यह प्रश्न उनसे पूछा गया कि भू-स्वामियों से समझौता किया गया, तो कहा जाता है कि मैंने उनसे कोई समझौता। नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि आपने समझौता नहीं किया तो फिर किसने किया? चिट्ठी पढ़ी गई, उसमें आपके दस्तखत हैं। समझौता आखिरकार होता क्या है? हमारे यहां पर कई बार झगड़े होते हैं, तो जोधपुर से बीच बिचाव के लिए लोग आते हैं, उधर उदयपुर से भी आते हैं। जब झगड़े होते हैं तो समझौता करवाने वाले बीच में आते हैं और मांग को रखते हैं जब मांग मंजूर हो जाती है तो समझौता हो जाता है। आपने भी उस पर दस्तखत कर दिये और उसका मतलब यह कि वह स्वीकार किया गया। मगर आपने उनको पूरा नहीं किया तो वे आपके सिर हो गये।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कल जिस प्रकार हमारे भाई इब्राहिम ने कहा था कि सुखाड़िया साहब ने किस तरह से वायदे किये थे और उनकी सब वादे खिलाफी हुई।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर हियर")

जब आप वायदों को पूरा नहीं कर सकते तो इस तरह से लोगों को धोखा क्यों देते हैं?

तो इस तरह से लोगों को धोखा देकर, अपने साथ रहने का उनको भी पता लगे, यहां यह वातावरण बन रहा है। जागीरदारों की हुकूमत खत्म की और एक नयी प्रजातन्त्रीय हुकूमत बनायी, नये जागीरदारों की हुकूमत बनायी।

(विपक्ष द्वारा करतलध्वनि एवं "हियर हियर")

एक बहुत अच्छी स्पिरिट थी। उन्होंने कहा कि जब जयनारायण जी व्यास की हुकूमत मिटी तो रोशनी की गई, खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई क्योंकि वह एक पार्टी की हुकूमत थी जो कि खत्म हो गई। वे कह सकते हैं कि खुशी मनाते हैं, भूस्वामियों का आन्दोलन हो रहा है, एजीटेशन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उसका समझौता हुआ। जब उनसे वादा कर लिया तो उसको पूरा करो, अगर पूरा नहीं होता है तो वे उन्हीं पर सवार होते हैं।

("हियर हियर" हंसी एवं करतलध्वनि)

आप खाने को पूरा दीजिये, नहीं देते हैं तो फिर शरण क्या देते हैं? वहीं बलवन्तसिंह

[श्री भोलानाथ]

बीच में आता है, वापिस डकैत हो जाता है, गोली से मार कर वापिस पाकिस्तान भाग जाता है, लेकिन नये बलवन्तसिंह पैदा हो रहे हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा हंसी, 'हियर हियर' एवं करतलध्वनि)

उनके लिए सोचना है कि जो नये बलवन्तसिंह पैदा हो गये हैं, क्या ये सोशलिस्टिक पेटर्न में फिट हो सकते हैं ? सांकडा का अनुभव हुआ, ठीक है, पहले कहते थे कि ठीक नहीं। वे आज कहने वाले हैं कि अनुभव ठीक रहा। उनको बसाना है। हिन्दुस्तान में रेकर्ड कायम करना चाहते हैं, हमें राजस्थान का नक्शा बदलना है, लेकिन उस जैसे एक्सपर्ट क्रिमिनल को देखने के बजाय दूसरे कार्यवाही करते हैं उसके बारे में सोचना है और सुखाड़ियाजी से निवेदन करूंगा कि यह डेमोक्रेटिक सोसाइटी पर आघात है, कांग्रेस संगठन और उसकी पवित्रता पर हमला है, जो आपने किया है, अच्छी बात है, जयनारायणजी व्यास के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह जो नक्शा आपने पेश किया है, क्या किया है, चुनाव कराओ, डेमाक्रेटिक तरीके से कराओ और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि यह हमारा जो रिजोल्यूशन है वह इम्पौर्टेन्ट रिजोल्यूशन है। आप चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, कान्स्टिटुएन्सीज में जाना है। वहां लोग पूछेंगे कि पांच वर्षों में क्या काम किया और पंच-वर्षीय योजना में काम क्या २ पूरा किया ? और हमारी बातों को खोल कर हम यहां नहीं कहते हैं तो उनको क्या जवाब देना होगा। अपनी कान्स्टिटुएन्सीज़ के बारे में कहना है, समय दीजिये, मौका दीजिये, असेम्बली बुलाई है, रास्ता ठीक कीजिये।

मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के लिए यह कलंक लगे जैसी बात है। डेमोलोग मेम्बर्स आ गये, हमारे साथियों पर इल्जाम लगे, उनको हटाइये। वे कैसे विश्वास करेंगे कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट है, वे कैसे विश्वास करेंगे कि ये निष्पक्ष चुनाव करावेंगे ? आप संगठन का चुनाव नहीं करा सकते, कांग्रेस के चुनाव निष्पक्ष नहीं करा सकते, आपकी गवर्नमेन्ट है, क्या चुनाव करावेंगे निष्पक्ष।

("हियर हियर" हंसी व विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

बड़ा दर्द है लोगों को। पार्टी में सोचिये, घर बैठ कर सोचिये और चेम्बर में जाकर सोचिये कि किधर जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारा ग्रूप कर रहा है, जो हमें मदद कर रहे हैं वे सही हैं, जो अफसर हमें मदद कर रहे हैं वे सही हैं, जो एम० एल० ए० साथ में हैं वे सही हैं और बाकी सब सही नहीं हैं। यह बात चलने वाली नहीं है, यह नाजी शासन है, फासिस्ट शासन है, चलने वाला नहीं। हिटलर ने हुकूमत चलायी, एक बड़ा नक्शा दिया और कहा था कि आर्य बड़ी अच्छी जाति है और आर्यों में भी नाजी थे, जर्मन्स थे। आप यह सोचें कि जो हमारे ग्रूप में हैं वे सब सच्चे हैं और बाकी सब नहीं, यह चलने वाला नहीं है।

[श्री भोलानाथ]

आपने उदयपुर में कृषि कॉलेज स्थापित किया और वह भी जोबनेर के कालेज को एक तरह से उखाड़ कर। मैं पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में राजस्थान कृषि कॉलेज के नाम से जो कालेज रखा है, वह कैसे रखा है। उदयपुर में कालेज कर रहे हैं लेकिन सारे राजस्थान को वहां ले जाकर सीमित करने की कोशिश की। राजस्थान के अन्दर एग्रीकलचर कालेज खोलिये, जो हैं उनको नहीं उजाड़िये और राजस्थान को सीमित करने की कोशिश नहीं कीजिये। तो इस तरह की क्षेत्रीय भावना है। ईरान का बादशाह नादिरशाह, हिन्दुस्तान में आया, उसमें कत्लेआम किया, लूटा और ईरान चला गया। तख्तताऊस नादिरशाह से जा सकता था लेकिन उसको आज गालियों से याद किया जाता है। अगर, सरकार ध्यान नहीं देती है तो....

(विपक्ष द्वारा करतलध्वनि एवं "हियर हियर")

बाद में कोई हुकूमत नहीं रहने वाली है। आप संगठन के स्टेन्डर्ड को गिरा रहे हैं। ये बातें दूसरों के सामने ठहर नहीं सकतीं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता और बजट के मौके पर मिसालों के तौर पर अर्ज करूंगा। तो जो ग्रूप पेटर्न के आधार पर, जो ग्रूप पेटर्न रखना चाहते हैं वह चलने वाला नहीं है। जैसे आपके सामने सवाल था कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण था? सबसे बड़ा सवाल था कि माथुर साहब ने एक आदमी की सिफारिश की। पुस्तकों के कोड नम्बर आउट हो गये, यह डिसिजन हुआ था कि सजा दी जाय। यह मामला हाऊस में भी आया था। आप मथुर साहब को बचा सकते हैं लेकिन जिसने कोड नम्बर आउट किये उसको सजा देनी चाहिए थी, उन पब्लिशर्स को ब्लेक लिस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। फाइल को देखिये, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था मैंने उसको देखा। जो जो किताबें सामने इस तरह से आयीं, हटाया गया लेकिन जो इस प्रकार की गड़बड़ी में नहीं थे वे भी हटा दी गईं। माथुर साहब को बचाने की दृष्टि से उनके साथ न्याय नहीं किया, लेखकों के साथ न्याय नहीं किया गया जो कि किया जाना चाहिए था। इस तरह अपनी हिटलरी हुकूमत नाज़िज्म की आप घोषणा कर रहे हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर हियर" एवं करतलध्वनि)

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सोचें कि यह क्या कर रहे हैं। यह कांग्रेस की प्रेस्टिज का सवाल है।

(हंसी, एवं 'हीयर हीयर')

कुम्भारामजी की दूसरी चौपाई को दुहरा देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष:—श्री त्यागी।

श्री भैरोंसिंह (१६):—ओन ए पाइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, अभी सदन में माननीय भोलानाथ जी ने अपने भाषण में यह कहा था, "आपके हमारे बीच में भी बलवन्त सिंह हैं"। माननीय उपाध्यक्ष, यह चीज स्पष्ट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि सदन पर यह लांछन है। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि "हमारे बीच में श्री बलवन्तसिंह हैं", तो वे कौन हैं, सारे सदन को अपमान से बचा कर वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाय।

मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री):—माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी इस बात की ताइद करता हूँ कि यह सीरियस बात है। सदन में माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे तो वह एक बहुत गम्भीर बात है और स्पष्ट तौर पर यह साबित किया जाना चाहिए कि वह कौन है?

(राज्य पक्ष द्वारा 'हियर, हियर')

कुं० श्री जसवन्तसिंह:—कौन हैं और कितने हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—कौन हैं, कितने हैं और उसके सबूत क्या हैं? इस तरह के पासिंग रिमार्क किये जांय, यह उचित प्रतीत नहीं होता। यह सदन के सम्मान का प्रश्न है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल:—इसका मतलब यह है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। ऐसा कहने वाले हैं, वे खुद न हों।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने निवेदन किया था कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस प्रकार की बातें कही जांय। पहले स्पष्टीकरण इस बारे में हो जाना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि उचित होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—उपाध्यक्ष महोदय, खास विषय पर निर्णय सदन के नेता चाहते हैं। (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार ही तो कुछ किया जा सकता है यह गलत परम्परा डालने की चेष्टा की जा रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री):—उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि "इस सदन के अन्दर बलवन्तसिंह मौजूद है या बलवन्तसिंह जैसे मौजूद हैं"। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात हैं, यह बात साबित की जानी चाहिये।

श्री भोलानाथ:—यह बात सबको जाहिर है, आपके सामने भी वे लेटर्स आये हैं, अखबारों में जो कुछ निकला आपके सामने है, कोर्ट्स में जो मुकदमे चल रहे हैं ये सारे सबूत हैं बलवन्तसिंह जैसे होने के। इस प्रकार की बातें साबित हो जाने के बाद जिन्हें आप जिम्मेदारी के

[श्री भोलानाथ]

पद से अलग करते हैं वे सब क्या हैं ? वे सब बलवन्तसिंह सिंह जैसे ही तो होने के सबूत हैं । आपके पास बैठते हैं एक के साथ एक बर्ताव और दूसरे के साथ दूसरा बर्ताव करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री):—उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जो कही में समझ नहीं पाया ? पास बैठते हैं इधर करते हैं उधर करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ जैसा कि आपने एक स्पेसिफिक बात कही कि हमारे सदन के अन्दर "बलवन्त सिंह जैसे मौजूद हैं", बात जिनके लिए आपने कही (Specific) कही जानी चाहिये आप किसी व्यक्ति के प्रति इशारा मात्र करके रह जायं, यह ठीक नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—इशारा ही काफी है ज्यादा क्यों खुलवाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—इशारा भी किया जावे तो साफ किया जाना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सदन की कार्यवाही के लिए जो नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए । अगर किसी चीज को एक्सपन्ज करनी हो तो वे रूल्स के मुताबिक कही करवा सकते हैं; या तो प्रिविलेज मोशन लाया जाय या उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह महसूस करते हैं कि माननीय सदस्य ने जो भाषा प्रयोग की है वह अनपार्लियामेंटरी है तो अध्यक्ष के निर्णय के बाद वह एक्सपन्ज हो सकती है । अगर आप यह चाहते हैं कि माननीय सदस्य के प्रति कुछ एक्शन लिया जाय तो यह सदन की कार्यवाही के लिए जो नियम बने हैं उसी के अनुसार हो सकता है । आप अपनी पार्टी में चाहें जो कर सकते हैं लेकिन सदन में मनमानी नहीं हो सकती । माननीय सदस्य के प्रति आप चाहें तो मोशन प्रिविलेज का ला सकते है नहीं तो आप अपनी पार्टी में रफा-दफा कर सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, रफा-दफा करने की कोई बात नहीं । अगर कोई माननीय सदस्य सदन में ऐसी बात कहते हैं जिससे हम सब सदन का अपमान मानते हों, तो उन शब्दों को कार्यवाही से अलग कर देना, यह तो उपाध्यक्ष महोदय का फर्ज है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उन पोर्शन्स को एक्सपन्ज करने के लिए आज्ञा देता हूँ

श्री हरिकृष्ण व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, कौन से वाक्य एक्सपन्ज हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : "बलवन्तसिंह जैसे" जो शब्द कहे हैं वे एक्सपन्ज कर दिये जांय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि "बलवन्तसिंह जैसे इस सदन में मौजूद हैं", वह सब पोर्शन इसमें से एक्सपन्ज करने का उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास : The words to be expunged must be declared in the House.

श्री जसवन्तसिंह : मै समझता हूँ, दो शब्द "बलवन्तसिंह जैसे", ये ही डिलीट हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ इस भावना से जितने भी कनेक्टेड शब्द हैं वे सब के सब एक्सपन्ज करने का आदेश है उपाध्यक्ष महोदय का।

श्री उपाध्यक्ष : इससे कनेक्टेड जितना भी पोर्शन हो वह एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जिन महानुभाव ने सदन के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ इस प्रकार की बातें कहीं जिससे सदन में कुछ गरमा-गरमी शुरू हो गई। गरमा-गरमी इस बात पर शुरू हुई कि उन्होंने यह कह दिया था कि हमारे यहां कुछ इस प्रकार के लोग बैठे हैं जिनको एन्टीसोशयल कहा जा सकता है। मैं यह पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं इस सम्बन्ध में बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं केवल इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस सदन के अन्दर इस सम्बन्ध में अखबार पेश किये गये और उसके ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने २ विचार भी व्यक्त किये थे, जिन्हीं के फलस्वरूप मैं यह समझता हूँ कि वे उस समय केबीनेट के मेम्बर थे और उसके तुरन्त बाद ही उन्हें केबीनेट के मेम्बर पद से हटना पड़ा। यह बात ऐसी स्पष्ट है जिसे लेकर मुख्य मंत्री यह कहें कि वे यह जानना चाहते हैं कि कौन इस प्रकार का व्यक्ति है।

श्री मोहनलाम सुखाड़िया—ओन ए पोइन्ट आफ एक्स्प्लेनेशन, सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त वह अखबार पेश किया गया था उस समय वे केबीनेट के मेम्बर थे और उसके बाद भी केबीनेट के मेम्बर रहे और उन्होंने उस अखबार पर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया है।

श्री वेदपाल त्यागी—इस मुकदमे के सम्बन्ध में भी मैं बताऊंगा।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—The Honb'le member will speak on the Rajprumukh's Address

श्री वेदपाल त्यागी—This is also one of the subject.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुकदमा वे नहीं चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—We are not concerned with any case relating to law courts.

श्री वेदपाल त्यागी—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय ये बातें हुई उस समय उनका यह फर्ज था कि वे दूसरे लोगों से इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ करते और जांच करके अपनी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष प्रस्तुत करते तो सदन को यह जानकारी हो सकती थी कि वास्तव में तथ्य क्या है ? मैं ज्यादा समय इन बातों पर न लेता हुआ कुछ खास मुद्दों पर जाता हूँ जो राजप्रमुख ने अपने भाषण में रखे।

अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख हमारे हेड ऑफ दी स्टेट हैं और जैसा कि संभव है इस अभिभाषण के बाद सदन के समक्ष फिर अभिभाषण नहीं करेंगे तो इस नाते कर्टसी के नाते उन्हें धन्यवाद देने में हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जिन बातों का उनके अभिभाषण में उल्लेख था उन बातों के समर्थन के लिये यह प्रस्ताव धन्यवाद का रखा गया है उसके लिये वे कतई धन्यवाद के पात्र नहीं। वह अभिभाषण हमारी वर्तमान सरकार के कार्यों का ब्योरा है जिसमें यह बताया गया है कि कितना रुपया हमने किन-किन कार्यों पर खर्च किया है और आने वाले सालों में कितना-कितना रुपया और खर्च किया जायगा। राजप्रमुख का अभिभाषण गवर्नमेंट की पोलिसी का स्टेटमेन्ट होता है। मुझे यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि उस पोलिसी के लिये धन्यवाद दिया जाय। सिवाय इसके कि इस देश में आज हम सोश्यलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी को कायम करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं उस अभिभाषण में सोश्यलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का जिक्र है, लेकिन जो वाकयात हमारे सामने आये हैं उनको देखने से पता चलता है कि आज हम सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी से बहुत दूर जा रहे हैं। सोशलिस्टिक पेटर्न में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हमारे कोन्स्टीट्यूशन का ढांचा डेमोक्रेटिक हो। कोन्स्टीट्यूशन बराबर डेमोक्रेटिक है किंतु उस डेमोक्रेसी का सिर्फ यह मतलब नहीं कि जनरल इलेक्शन में कुछ लोगों को हम चुन लें और वे लोग गवर्नमेंट में आकर मन चाहे ढंग से राज्य करें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के यह मायने हैं कि कोई भी सरकार हो, जनता का प्रेम उस पर होना चाहिए। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ दी पीपल कहलाती है जिसमें लोग पूरा सहयोग देते हैं; लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहां फर्स्ट फाइव इयर प्लान चला, जिसे खत्म होने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है; दूसरे फाइव ईयर प्लान को शुरू करने से पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कितनी कामयाबी मिली है; यह देखने की बात है। यह ठीक है कि आज की सरकार यह कह सकती है कि हमें तो सिर्फ कार्यभार संभाले डेढ़ साल ही का अर्सा हुआ है, उसमें हमें जितना खर्च करना चाहिए था उससे भी हमने ज्यादा खर्च कर दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि काफी रुपया खर्च किया गया है लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, यह हमें देखना है। क्या लोगों को यह प्रेरणा मिली है कि इस प्रकार के फाइव ईयर प्लान में हमें सहयोग देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गांवों में जाकर देखिये और वहां के लोगों से पूछिये कि आपके यहां एक्स्टेन्शन ब्लॉक और वाटर बोर्ड के जरिये जो रुपया खर्च किया जा रहा है उससे आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं ? इससे आपको पता चलेगा कि वहां के लोगों में इससे कितना असंतोष व्याप्त है। इसका एक ही कारण है और वह यह कि जिस प्रकार यह रुपया खर्च किया जाता है उसमें व्यापक दृष्टिकोण न होकर

[श्री वेदपाल त्यागी]

संकुचित दृष्टिकोण से खर्च किया जाता है । आज इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में हम यह रुपया खर्च कर रहे हैं वहां से हमारी पार्टी का आदमी आया है, हमारे ग्रूप का आदमी है तो वहां रुपया खर्च करने के लिए दिया जाता है ।

वाटर बोर्ड में काफी रुपया खर्च किया जा रहा है । यदि काफी रुपया ही खर्च होना बधाई की चीज है तो बधाई मिलनी ही चाहिए । लेकिन इतना खर्च जो हो रहा है अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है यानि जिस काम के लिए खर्च हो रहा है उससे उसका रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है तो यह समझना चाहिए कि वेस्ट ज्यादा जा रहा है । अगर इस प्रकार जनता के रुपये का वेस्ट होता है तो क्रिटेसिज्म की बात होती है और नुक्ताचीनी होगी, हो रही है और सही तरीके से हो रही है । हर जगह जहां भी मैं गया मैंने इस बात को मालूम करने की कोशिश की कि यह जो इतना पैसा खर्च हो रहा है उससे जनता में राहत है या नहीं, लेकिन मुझे दुख है कि लोगों ने असंतोष ही काफी जाहिर किया । वाटर बोर्ड के सिलसिले में देखा गया है कि जहां आवश्यकता है वहां खर्च नहीं हो रहा है और कहीं कहीं तो आवश्यकता से अधिक भी खर्च हो रहा है और वह भी रुपया उन लोगों को दिया जाता है जो किसी खास ग्रूप के आदमी हों; जहां जरूरत होती है वहां नहीं दिया जाता । यह एक बुनियादी चीज है कि आप यदि किसी स्कीम को हाथ में लेते हैं तो वह इसीलिए लेते हैं कि हमें इस कार्य में अपने इतने वर्कर्स लगाने हैं उन्हीं को हमें रुपया देना है और इस तरह से रुपया सप्लाई करके आप वोटिंग एजेन्ट्स पैदा कर रहे हैं; इस स्थिति से कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

निष्पक्ष अगर जांच की जाय तो हम इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो रुपया खर्च किया जा रहा है, किसी भी सीगे से किया जा रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए अपने वोटर्स जैसे तैसे तैयार कर दें ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेसी की अगर कोई बुनियाद है तो वे पंचायतें हैं । उन पंचायतों के संबंध में इस सदन में बहुत गरमा गरम बहस हुई । जिन महानुभाव के हाथ में पंचायत विभाग था उनसे पंचायत विभाग ले लिया गया और दूसरे महानुभाव के पास आया और उनसे यह निवेदन किया कि आप फुल्ली जांच करायें । एक ऑफिशियल प्रस्ताव यहां पर आया जिसमें यह मांग की गई कि पंचायत विभाग में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए । यद्यपि प्रस्ताव का कोई नतीजा नहीं निकला, कारण यह है कि हमारे यहां नोन ऑफिशियल डे. के लिए बहुत कम समय मिलता है और समयाभाव के कारण वह प्रस्ताव रह गया । लेकिन उसके ऊपर यह आश्वासन दिया गया था कि जांच जरूर करावेंगे । हम यह देखते हैं, अध्यक्ष महोदय, और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मुझे अपने वकालात के पेशे के सिलसिले में बहुत सी बातें मालूम हुई हैं जिन्हें मुझे यहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि वे बातें इस प्रकार की हैं जो डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने वाले एलीमेन्ट्स हैं उनको ठेस पहुंचाती

[श्री वेदपाल त्यागी]

है। पंचायत विभाग में जिस प्रकार की बेइमानियां हुई हैं उनकी खुली जांच कराई जाय तो पंचायत विभाग अधिकारी एक मिनट के लिए भी उस जगह रखने के काबिल नहीं हैं, लेकिन आज यह पोलिटिक्स का गढ़ बना हुआ है। पंचायत विभाग के अधिकारी की ओर कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वहां पोलिटिक्स चलती है। गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए, कुछ लोगों के वोट्स लेने के लिए आज भी वे उनको सपोर्ट कर रहे है।

मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच आपने नहीं कराई तो चाहे जितनी ही फाइव ईयर प्लान बना ली जयेगा, अगर आपने अपनी बुनियाद को ठीक नहीं किया तो इस ढांचे से वह कभी भी ठीक नहीं बन सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह सब बुनियाद के लिए हो रहा है।

श्री वेदपाल त्यागी—वह डेमोक्रेसी की बुनियाद नहीं है बल्कि किसी दूसरी चीज़ की बुनियाद है।

इसके अलावा राजप्रमुख ने यह कहा है कि हमारे यहां लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन दिन प्रति दिन तरक्की करती जा रही है। यह तो मैं मानूंगा कि सन् ४९-५०, ५०-५१ व ५१-५२ में जो हालत थी वह हालत तो नहीं है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें इस सवाल को तो आप को पता चलेगा कि एक तरफ तो डाकू लोग कम होते चले आ रहे हैं, क्योंकि एन्टी सोशयल एलीमेंटस समाज में ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं; एन्टी सोशयल एलीमेंट्स के खिलाफ समाज स्वयं उठता जा रहा है। वातावरण ऐसा बनता जा रहा है कि वे अपने आप समाप्त हो जायेंगे। एक एक्सपेरीमेंट किया गया, एन्टी सोशयल एलीमेंट्स को खतम किया गया। मैं उस वक्त भी उस एक्सपेरीमेंट के पक्ष में नहीं था और अब भी कहता हूँ कि वह एक्सपेरीमेंट सम्भवत: कामयाब हो जाय, लेकिन उसके लिए मैं इतनी बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि जयनारायणजी व्यास ने इस तरह के एलीमेंट्स को वहां रखा, उसमें बलवन्त सिंह निकल गया और आज भी निकल जाते हैं तो उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि फिर सरेन्डर हो जायेंगे। आप लोगों के झगड़े से जो गुप्त बातों का पता लग जाता है, आपकी जो स्पीचेज़ हैं उनमें पता लगता है कि किस के लिए एक माननीय सदस्य डाकू से मिलने जाते हैं शायद कराना चाहते हैं लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि आपका यह एन्टी सोशयल एलीमेन्ट्स के लिए इस तरह का एटीट्यूड उनको एक प्रोत्साहन देना ही नहीं बल्कि आप समाज के साथ एक अन्याय कर रहे हैं। जब तक इस तरह के लोगों के प्रति, एन्टी सोशयल एलीमेन्ट्स के बारे में घृणा पैदा नहीं होगी तो हमारा नैतिक स्तर नीचे आयेगा, और हम लोगों का नैतिक स्तर गिरेगा। उसका नतीजा यह होगा कि हमारी हैक वाक ऑफ लाइफ में इसका परिणाम नजर आयेगा, और यह आ रहा है। मैं यह कहूंगा कि डाकुओं को कम किया या डाकू कम हुए लेकिन एन्टी सोशयल एलीमेंट्स दूसरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के प्रति जो श्रद्धा होती है, डेमोक्रेसी में राज्य पुलिस के बल पर

[श्री वेदपाल त्यागी]

नहीं चला करता है, लेकिन एक श्रद्धा के बल पर चलता है। यदि लोगों में श्रद्धा नहीं है तो वह राज्य ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकता है। डेमोक्रेटिक फोर्म आफ गवर्नमेंन्ट में वह नहीं कहला सकती है। लेकिन वह श्रद्धा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से कम होती चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ? उन एलीमेंट्स को, एन्टी सोशल एलीमेंटस हैं जो, वे उस हद तक नहीं पहुंचे हैं कि हम उनको डाकू कह सकते हों। यदि हम समाज में दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, दूसरों के राइट्स को रिकगनाइज नहीं करना चाहते हैं, उन एलीमेंट्स को आपने स्वयं प्रोत्साहन दिया है, उनके आधार पर गवर्नमेन्ट को जीवित रखना चाहते हैं, पोलीटिकल आरगेनाइजेशन की नींव डालते हैं। मैं एक दो मिसालें आपको सुनाता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के सोशल एलीमेंट्स प्रोत्साहन पा रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार उन्हें दबाने में किस तरह से असमर्थता प्रकट कर रही है। अभी थोड़े दिन हुए डीडवाने के तहसीलदार साहब एक पंचायत के सरपंच साहब का इलेक्शन करवाने गये। वहां एक तरफ दूलाराम जाट खड़ा हुआ था सरपंच के लिए और दूसरी तरफ गुमानसिंह खड़ा हुआ था। हुआ यह कि जिस वक्त एक पक्ष ने यह देखा कि मैं हारने वाला हूं तो तहसीलदार साहब से कहा कि इसको किसी तरह से पोस्टपोन कर दो। तहसीलदार साहब ने पोस्टपोन कर दिया। दुबारा तहसीलदार साहब जब वहां पहुँचते है तो दुबारा भी वही स्थिति होती है। उनसे फिर कहा जाता है कि पोस्टपोन कर दो। उन्होंने कहा कि मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, तो इस पर टीकाराम या जेताराम जो एक मिनिस्टर के रिश्तेदार बताये जाते हैं, उन्होंने तहसीलदार साहब के घूंसे मारे, और मुझे अचरज होता है कि तहसीलदार साहब की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने के लिए उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट करके क्या करूंगा, वे एक बहुत बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ मेरी कोई नहीं सुनेगा।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—आप तहसीलदार की ही कहते हैं, एस० पी० को ठोका-पीटा है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह भी है। नागोर में लोगों ने हमला किया। कलेक्टर के मकान पर हमला किया और एस० पी० को मारा। वह इसलिए कि उन्हें शह (Support) मिलती है। कुछ ऐसे लोगों की पोलिटिक्स में राजस्थान में एक स्थान रखते हैं, और राजनैतिक स्थान रखने वाले के किसी रिश्तेदार के खिलाफ किस तरह से वह तहसीलदार कोई कार्यवाही करता। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि लां एन्ड आर्डर के परिणाम को हम बुनियाद रूप से देखना चाहते हैं तो देखने के लिए यह जरूरी है कि उन एलीमेन्ट्स को दबाने की कोशिश करें जो हमारे अन्दर बैठकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, एन्टी सोशल एक्टीविटीज करते हैं। यहां पर लेटर्स पेश हुए हैं, अखबारों में हुआ, यहां पर शिकायतें हुई हैं, लोगों ने खुले तौर पर वह बात कही है कि इस तरह की लोग एक्टीविटीज़ करते हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए डाकूओं से सम्पर्क रखते हैं। लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल सी० आई० डी० ने जांच की है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो इल्जाम

Page No.44

[श्री वेदपाल त्यागी]

लगाया गया है लड़के को ले जाने का वह बहुत कुछ अंश तक सत्य है। राजनैतिक कारणों से सब को दबाना पड़ा है। कोई आकर कह देता है तो उसके लिए अपना रोष प्रकट करते हैं। बजाय रोष प्रकट करने जो सत्य है उसको कष्ट करके देखिये। अगर आपको मालूम हो कि वीकनेस आपके अन्दर है तो रोष प्रकट करने के बजाय वीकनेस को दूर करने की कोशिश कीजिये। ऐसा करने पर ही सही रूप में पंचवर्षीय योजना और डेमोक्रेसी को कामयाब कर सकेंगे, अन्यथा यह सब दिखावट मात्र की चीज़ होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि हम हर दिशा में प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने बिजली वगैरह के लिए भी यह कहा है कि कई जगह बिजली लगा रहे हैं, थरमल प्लान्ट भी लगा रहे हैं, पानी से भी बिजली पैदा की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम भी हमारे सामने आई है। लेकिन मैं कोटा के मामले में आपके सामने शिकायत पेश करना चाहता हूँ। कोटा के पास चम्बल नदी बहती है, कोटा नगर के नीचे। (समय समाप्ति सूचक घंटी) में तीन मिनिट में ही खत्म कर दूंगा।

....उस चम्बल का पानी राजस्थान में बहुत दूर दूर, यहां तक कि मध्यभारत को दिया जायगा, लेकिन कोटा नगर में पानी का जो दुष्काल है उसका कारण यह है कि बिजली नहीं है, और बिजली उनको पूरी नहीं मिल पाती और बिजली नहीं मिलने की वजह से पानी की बहुत खराब व्यवस्था हो रही है, और उन्हें पूरी तरह से पानी नहीं मिलता है। एक तरफ आपके विभाग की व्यवस्था है कि चम्बल डिपार्टमेंट के पास सरप्लस पॉवर है। लेकिन वे यह कहते है कि हम राजस्थान गवर्नमेन्ट के अंडर में नहीं हैं, हम तो सेन्ट्रल बोर्ड के अंडर में हैं लिहाजा हम नहीं दे सकते। एक तरफ पानी वेस्ट जाता हैं और दूसरी तरफ कोटा में पानी पीने को नहीं मिलता। कोटा में इतना पानी है कि वहां से दूसरे स्थानों को भी दिया जा सकता है लेकिन वहां के लोग प्यासे रहते हैं। ऐसी सूरत में व्यवस्था आपकी कितनी खराब है, इसे आपको देखना चाहिये। आप कहते है कि आपकी व्यवस्था ठीक है; हम यह करने जा रहे है, वह करने जा रहे हैं; लेकिन पहले इसका तो इन्तजाम कर दीजिये।

यहां पर जोरों से चर्चा हुई भूस्वामियों के सत्याग्रह पर जो सत्याग्रह चल रहा है उसके पीछे क्या भावना है? बड़े बड़े भाषण हुए, सब कुछ हुआ; मुझे इस पर नहीं कहना है। एक बात मुझे चुभी, वह यह है कि हमें सत्याग्रह करना गांधीजी ने सिखाया है। उधर बैठनेवाले भाई सत्याग्रह के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या वे यह बतायेंगे कि हमने उनके साथ में बुरा बर्ताव नहीं किया? उधर बैठनेवालों ने कई बार सत्याग्रह किया होगा। उनके साथ में जब बुरा आचरण होता था तो उन्हें कैसा लगता था? सभ्य सरकार का काम है कि एक आदमी अपनी मांगे सत्य के आग्रह पर करे, तो उनके साथ कैसा

[श्री वेदपाल त्यागी]

बर्ताव करना चाहिये। कानून प्रोवाइड करता है कि स्थिति ऐसी हो जाय तो क्या करना चाहिये। मेरे देखने में एक ऐसा वाका आया जिससे मुझे ठेस पहुंची। वैसे तो कुंवर-साहब ने कई वाके सामने रखे और एक वाका जो बहादुरसिंहजी का रखा उससे पता चलता है कि किस तरह से गड़बड़ की जाती है। कॉन्स्टीट्यूशन को इतना लाइटली हम ले रहे हैं। मेरे देखने में यह आया कि एक बार मैं मीटिंग के कमरे से गया। मेरी मोटर बाहर खड़ी थी। वहां पर कुछ सत्याग्रही नारे लगा रहे थे। पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और ठोसे देकर मोटर में पहुंचाया। मुझे दुःख हुआ, पर मैं पुलिसवालों के पास नहीं पहुंचा क्योंकि उनको मोटर में बिठा कर वे चल दिये थे। आज ब्रिटिश सरकार होती और हम सत्याग्रह करते और हमारे साथ यही बरताव होता तो क्या यह ठीक होता? ऐसा मालूम होता है कि यहां पुलिस राज्य है, डेमोक्रेसी नहीं।

श्री भैरुसिंह—पुलिस राज्य ही है।

श्री वेदपाल त्यागी—जो लोग इस तरह से डील करते हैं उनको जरूर सजा देनी चाहिये। मुझे इतना ही कहना है।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मैं श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। वैसे श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सदन में इस ओर से और उस ओर से दोनों ही तरफ से काफी चर्चाएँ हुई हैं। मैं आपका ध्यान सिर्फ दो बड़े-बड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कई साथियों ने अपने घर के भी भेद बताये हैं और उद्गार जाहिर किये हैं।........

एक माननीय सदस्य—अब आप अपने जाहिर कर दें।

श्री मथुरादास माथुर—(जारी) मैं सदन का समय इन बातों पर ज्यादा लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि राजनैतिक और सियासी मामलों पर चर्चा करने के लिये और भी प्लेट फार्म मिलते हैं। जब हम यहां अभिभाषण पर चर्चा करते हैं तो सरकार की नीति पर टीका-टिप्पणी करने का हमें अधिकार है। सभ्य सरकार वही समझी जाती है जो अपनी टीका-टिप्पणी सुने।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा की है। मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। वैसे सदन के सभी लोगों ने और खास तौर से विरोधी दल के लोगों ने इस बात को माना है, हालांकि हल्के-हल्के हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होती जा रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किस तरह ठीक हो रहा है और खास तौर से डाकुओं के सम्बन्ध में क्या नीति सरकार अपना रही है? जो नीति पहले अपनाई गई थी उस पर वाद-विवाद हुआ। उसके अन्दर, मुझे खेद है कि कुछ इस तरह की चर्चाएं हुईं और लोगों ने अपने व्यक्तिगत विचार रखे।

[श्री मथुरादास माथुर]

सरकार की नीति उन विचारों से मेल खाती हो या न खाती हो, यह दूसरी बात है। खास तौर से डाकुओं के सरेन्डर करने के विषय पर बहुत चर्चा हुई है। कांग्रेस सरकार की नीति रही है और पहले थी चाहे वह व्यास सरकार हो, चाहे सुखाड़िया सरकार हो और उस वक्त होम मिनिस्टर हमारे मुख्य मंत्री थे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रयोग किया था जो कई माने में वह ठीक था; यह व्यक्तिगत विचार है इसमें दोष नहीं समझता ! कामयाबी ठीक है, कामयाबी मिले या नहीं मिले; यह अलग प्रश्न है। प्रयोग देश में किये जाते हैं। विज्ञान में भी किये जाते हैं, पर कामयाबी सबको नहीं मिलती। किसी भाई ने सांकड़ा पर अपने विचार जाहिर किये। वे उनके व्यक्तिगत विचार थे। सरकार की ओर से सांकडा के प्रयोग में सहयोग दिया जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर मौजूदा सरकार के खुद वहां गये हैं। कोई न कोई मिनिस्टर वहां जाते ही रहते हैं। प्रयोग में सहयोग दिया जाता है। सरकारी महकमे हर साल वहां पर गांधी मेले पर जाते हैं। यह कहना कि इसमें सरकार का सहयोग बिल्कुल नहीं है ,यह गलत है। इस सदन में इतने सदस्य बोलते हैं। इस ओर बैठनेवाले भी अपने विचार मुतफर्रिक मामलों में अलग-अलग रखते हैं। यह आजादी प्रजातंत्र में पार्टी सरकार और पार्टी को मिलती है कि अपने-अपने विचार रखें। हो सकता है कि अभी अच्छा वातावरण न हो तो उग्र भावनाएँ चली आती हैं। मैं इस बारे में मानता हूँ। ज्यों ही नई सरकार बनी और आवडी अधिवेशन से लौट कर हम लोग आये तब सदन में उस ओर बैठने वाले एक साथी जो कभी-कभी ही यहां आया करते हैं, श्री मोहनसिंहजी भाटी मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे कहा कि डाकू जीवनसिंह जो अरावली पहाड़ों में उदयपुर, पाली और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी वारदातें कर चुका है वह भी अपने आपको सरकार को सौंपना चाहता है। इससे कोई भी सरकार इन्कार नहीं कर सकती। सवाल यह है कि आत्म-समर्पण की क्या शर्त है ? यदि शर्त यह है कि बिना किसी शर्त के हथियार डालता है तो सोचने की बात है। आज कोई डाकू मिनिस्टर या पुलिस के पास आकर कहे कि मैंने ये ये जुर्म किये हैं, मुझ पर मुकदमा चलाकर सजा दीजिये, उसके बाद हथियार डालने की बात करता है तो कोई सरकार इन्कार नहीं करना चाहेगी। सवाल तो तब उठता है जब कोई डाकू सरेन्डर करना चाहता है, अपने पुराने गुनाहों को माफ करवा कर, तो यह ठीक नहीं है। कानून के अनुसार कोर्ट सजा देती है, सरकार सजा नहीं देती है। सरकार उनको पकड़ करके अदालतों के सामने पेश करती है। वहां पर अच्छे-अच्छे गुनाहगार भी छूट सकते हैं और अच्छे-अच्छे गुनाहगारों को सजा भी मिलती है। सवाल चल रहा था जीवनसिंह डाकू का। उसने सरेन्डर करने के लिये कहलवाया। लेकिन उसकी मांग क्या थी, मैं चाहता था कि यह बात यहां नहीं सुनाऊं। लेकिन क्योंकि उसका जिक्र हुआ है इसलिये सदन से कुछ छिपाने की बात नहीं है। उसने कहा कि मैं थक गया हूँ इस जीवन से। जीवनसिंह से मैंने पौन घंटे तक बात की है, मुझे उसका हुलिया आज भी याद है। उसका एक हाथ टूटा हुआ था, स्टेन्ड पर चलता था। छोटे से कद का बहुत दुबला-पतला आदमी है। वह पहले फौज में सिपाही था। वहां से निकल भागा और उसके बाद ५-७ साल तक अरावली की पहाड़ियों में घूमता रहा और उसने कई वारदातें कीं। मोहनसिंहजी की मारफत उसने कहलवाया कि उसकी अदालती जांच ओपिन कोर्ट में नहीं हो। दूसरी मांग उसकी

Page No.47

[श्री मथुरादास माथुर]

यह थी कि जितने मुकदमें उसके खिलाफ थे वे सब जोधपुर में एक स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किये जावें और तीसरी बात यह थी कि उसको बेल पर रिहा किया जावे। मैंने उसे कहा कि जमानत पर रिहा करने का जहां तक सवाल है वह अदालत के हाथ की बात है। अदालत में पेश हो जाओगे। हाईकोर्ट या सेशन्स कत्ल के मामलों में जमानत लें या नहीं लें, यह मैं नहीं कह सकता। उसके बाद उसकी यह मांग थी कि जहां तक जेल में वह रहे उसकी देवी की मूर्ति उसके सामने रहे ताकि वह उसकी जोत, आरती और पूजा करता रहे। मैंने उससे बात-चीत की क्योंकि मोहनसिंहजी ने मुझे कहा कि डी. आई. जी. और आई. जी. पी. तो बदलते रहते हैं।

श्री भैरूसिंह—आपने उससे निजी तौर पर बात-चीत की थी या सरकारी तौर पर बात-चीत की थी?

श्री मथुरादास माथुर—मैंने निजी तौर पर की थी। मोहनसिंहजी ने कहा कि आप आश्वासन दे दें तो वह माना जाएगा। वह पहले मिलिट्री में था और मोहनसिंहजी....

एक माननीय सदस्य—क्या आपने ये निजी अधिकार सरकार से ले लिये थे?

श्री मथुरादास माथुर—कोई सदस्य अपनी बात कर सकता है।

("हियर हियर" की विरोधी पक्ष की ओर से आवाज़)

एक माननीय सदस्य—यह भी क्या कोई डाकुओं से बात करने का तरीका है....

श्री अध्यक्ष—आप बीच में न बोलिये।

एक माननीय सदस्य—बहुत से आदमी जाकर बात-चीत कर लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—यह अपने-अपने विचार हैं। मैं उससे मिलने गया, मोहनसिंह जी मेरे साथ थे।

श्री मानसिंह महार—कोई सरकारी ओफीसर भी आपके साथ थे या आप अकेले ही थे?

श्री मथुरादास माथुर—सरकारी ओफिसर मेरे साथ थे, वरना मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उनसे मिलता।

एक माननीय सदस्य—कौन-कौन अधिकारी थे आपके साथ में? उनको गिरफ्तार....

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मुझे कहने का मौका दिया जावे। आपको परेशानी क्या है?

श्री भैरूसिंह—उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, यह परेशानी है।

श्री मथुरादास माथुर—यह आप कह सकते हैं। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया या उनको मार दिया गया या नहीं ; यह तो बाद का प्रश्न है।

प्रश्न इतना ही है कि सदन के एक सदस्य के बारे में यह कहा गया कि वह डाकुओं से मिले। मैं कह रहा था कि क्यों मिला, किस तरह से मिला, क्या बात-चीत हुई ; उस सबको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सरकार ने उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, वह मारा गया या जिन्दा है, इसके लिये आप अपनी टीका-टिप्पणी करिये और उसका जवाब होम मिनिस्टर देंगे।

एक माननीय सदस्य—मिलें तो उनसे आप और जवाब होम मिनिस्टर देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर—उस समय मोहनसिंहजी मौजूद थे। पुलिस के अधिकारी मौजूद थे मेरे साथ। मैं अपने घर की तरफ से नहीं गया था। मोहनसिंहजी ने कहा कि आप जोधपुर के हो, मिलिये। मैं उनसे मिला। आध-पौन घन्टा बात-चीत हुई। उसने कहा कि बलवन्तसिंह को जिन शर्तों पर रिहा किया गया उन्हीं शर्तों पर उसे भी रिहा किया जाए। उसने कहा कि बलवन्तसिंह को जमानत पर रिहा किया गया और मुझे भी रिहा किया जावे, उस पर मैं सरेन्डर करने को तैयार हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौन से महीने में मिले थे ?

श्री मथुरादास माथुर—तारीख तो याद नहीं है। करीब ८ महीनों पहले की बात है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सब सरकारी रेकर्ड में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—(श्री माथुर से) Don't get disturbed

यह माननीय सदस्य के खिलाफ जो बातें कही गई उनका जवाब देने के लिये मैंने समय दिया है और इनको पूरा अधिकार है कि वे सदन के सामने जवाब दें। फिर भी सदस्यों को कुछ पूछना हो तो वे तथ्य सदनके सामने दूसरा प्रश्न करके पूछ सकते हैं। इस तरह से इन्ट्रप्ट करना, मैं समझता हूं कि सदन की परम्परा के खिलाफ है।

श्री भैरूसिंह—स्पष्टीकरण कराने के लिये ही मैं सेवा कर रहा हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—मैं कह रहा हूँ कि आप इस सम्बन्ध में सरकार से पूछें। मैं मिलने गया उसका रेकर्ड है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। आप होम मिनिस्टर से पूछिये। मगर जहां तक इसका मेरे से सम्बन्ध है, मैं जीवनसिंह से मिला। उसके साथ दो उसके साथी और थे, उनके नाम मुझे याद नहीं। वे दोनों मारे गये बाद में, क्योंकि अखबार में यह खबर निकली। तीन आदमी मिले। पौन घन्टे तक बात-चीत हुई। उसने मिलते ही कह दिया कि हम मिलने को तैयार हैं। उसने पूछा कि क्या हो रहा है। उसको यह पता नहीं कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया

[श्री मथुरादास माथुर]

है, उसका उसको ज्ञान नहीं है। उसने पूछा कि क्या चल रहा है। उसके बाद में उसने कहा कि हम सरेन्डर करने को तैयार हैं। मोहनसिंहजी पहले मिलिट्री में थे उस समय यह उनके नीचे था। मैंने पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर उनसे बात-चीत की थी और बात चीत करके वापिस चले आए! चूंकि उसकी शर्तें मंजूर नहीं थी इसलिये वह सरेन्डर नहीं हुआ। उसके बाद जीवनसिंह के दो साथी, पता लगा कि मारे गये। दो महीने बाद में एक मारा गया और दूसरा करीब २५ दिन हुए मारा गया। यह मैं जानता हूं कि वह आपके सामने रखा है और इस पर मैं स्पष्टीकरण करना चाहता था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आयन्दा आप डाकुओं से न मिलियेगा।

श्री मथुरादास माथुर—दिमाग साफ हो तो मिलने में कोई एतराज नहीं है। मैं बलवन्तसिंह से भी मिला था।

श्री चंदनमल वैद—जब आप उससे मिले उस समय वह डाकू नहीं था।

श्री मथुरादास माथुर—जिस समय मैं उससे मिला था उस समय उस पर डकैती का मुकदमा चल रहा था। जिस समय मैंने उससे बात-चीत की, उस समय दो-तीन सदस्य थे। उसके गांव में इलेक्शन प्रोपगेण्डा के लिये गये थे जिस समय मैंने उससे बात-चीत की यही समझता था कि वह कभी वापिस डकैत नहीं बनेगा। मैं उससे मिलने गया उस सम्बन्ध में जो कुछ बात-चीत हुई उसकी चर्चा की है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप गवर्नमेंट से पूछ कर गये थे?

(घन्टी)

सरकार को मिलने की सफाई चाहिये। क्या आप उनसे पूछ कर गये थे?

श्री अध्यक्ष—आपको कोई सफाई...

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप गवर्नमेन्ट से पूछ कर गये थे?

श्री मथुरादास माथुर—पुलिस ऑफिसर साथ में थे। अगर पुलिस साथ में नहीं होती तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपका प्रभाव उस डाकू पर पड़ा या डाकू का प्रभाव आप पर पड़ा।

श्री मथुरादास माथुर—किसी का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा। अब मुझे इजाजत मिल गई है, मैं दो बातें और कहना चहूंगा।

वह यह है कि जहां तक लॉ एन्ड आर्डर का सम्बन्ध है सदन में चर्चा हुई

[श्री मथुरादास माथुर]

या व्यक्तिगत विचार और तर्क बताये । लॉ एन्ड ऑर्डर के सुधार के लिए लोगों के अलग अलग विचार हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल—डाकू से मिलने के पहले होम मिनिस्टर या आई० जी० पी० से सलाह कर ली गई थी ?

श्री मथुरादास माथुर—हाँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आई० जी० पी० से या होम मिनिस्टर से ?

श्री मथुरादास माथुर—दोनों ही से ।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुलाकात की रिपोर्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर—आप खुद समझ सकते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्पष्टीकरण चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर—मेरे स्पष्टीकरण में कोई कमी हो तो...

श्री अध्यक्ष—I have given possession of the floor of of the House to tLe Hon'ble Member. If he wants to reply to the puestions, I have no objection.

श्री माथुरदास माथुर—I am prepared to reply as far as I am concerned, if there is any misunderstanding. But as far as Government is concerned, it is for the Home Minister to reply.

श्री भवानीसहाय शर्मा—If he has to reply it is for him to do so on a public platform, not here.

एक माननीय सदस्य—जो कुछ भी सदस्यों ने कहा है उस विषय में पूछना चाहता हूँ कि पहले अभी आपने यह कहा कि मेरे पास लिखित नहीं थी, निजी तौर पर मिलने गया, पालीवालजी ने पूछा तब भी यही जवाब दिया तो कौनसी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस की बातें हैं ।

एक माननीय सदस्य—पर यह पूछना चाहता हूँ कि निजी तौर पर गये तो क्या ज़रूरत थी पुलिस की इजाजत लेने की ?

(घंटी)

श्री वेदपाल त्यागी—कौनसा स्टेटमेन्ट करेक्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष,

श्री अध्यक्ष—Now finish your speech. There will be no end to this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा भी सवाल बता दें।

श्री अध्यक्ष—आपका कोई सवाल नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसकी रिपोर्ट आपने संकेत रूप में सरकार को दी या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि मोहनसिंह जी ने कहा था निजी तौर पर और ऑथोरिटीज को कहा और ऑथोरिटीज के आदमी साथ थे।

श्री भैंरूसिंह—उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की गई या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर—इसकी रिपोर्ट पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और उनकी वर्बेटिम रिपोर्ट सरकार के पास होगी।

श्री भैंरूसिंह—होगी या नहीं ? असंदिग्ध है।

श्री मथुरादास माथुर—मुझे नहीं मालूम। मुझे जिन्होंने कहा था, होम मिनिस्टर को मैं ने कह दिया।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—डिटेल्स की बातें हैं, जब मैं जवाब दूंगा तो उस वक्त बता दूंगा। आप घबराइए नहो।

श्री मथुरादास माथुर—जहां तक माननीय अध्यक्ष, दूसरे प्रश्न का सवाल है यह मैं मानता हूँ कि प्रजातंत्र की बुनियाद पंचायतें हैं और पंचायतों के बारे में सदन में करीब करीब कई दफा चर्चायें हो चुकी हैं। मैं उन चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। मैं एक दो घटनाओं का त्यागीजी ने जो जिक्र किया उन पर रोशनी डालना चाहूंगा क्यों कि खास तौर पर उन्होंने जो बातें कहीं हैं और जिस तरह की बातें कही गई हैं कि सदन में इस तरह की बातें करने का प्रोत्साहन दिया जाता है। नागोर में जो अभी मेले के अवसर पर वकुआ हुआ कि एस० पी० को चोटें आयीं और ऐसे लोगों ने कहा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मुझे तो एस० पी० के कहीं चोटें आयीं नजर नहीं आयीं।

[श्री मथुरादास माथुर]

कलेक्टरी पर लोग इकट्ठे होकर जरूर गये थे। किस्सा यह है कि एक गांव में वाटर बोर्ड की तरफ से मामूली रकम कुए के लिए दी गई थी। जब कम से कम वाटर बोर्ड की तरफ से रुपया मिला तो उस कुए से सब लोगों को, सब जाति के लोगों को पानी भरने का हक है, पहले की ही तरह वहां खाले होते हैं, नागौर जिले में भी थे। वहां पानी के नल लगा दिये वहां सब ही लोग पानी भरते हैं। नागौर तरफ का एक बूडल गांव है, उसमें सब कौम के लोग रहते हैं। सब लोगों ने मिल कर यह तय किया कि भांभियों को पानी नहीं भरने दें। पांच दस घर भांभियों की तरफ हो गये। उस पर वहां पर लोगों की तरफ से अमन का खतरा पैदा हो गया और उसकी पुलिस में रिपोर्ट हुई और लोगों के मुचलके हुए और ७-८ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। त्यागीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि भांभियों को पानी नहीं भरने देने की वजह से ७,८ आदमी गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तारी की वजह से मेले में जहां कि १ लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, ऐसा वातावरण पैदा हो गया, कुछ लोग वहां के आये थे और भू-स्वामी संघ के लोग पहले से ही मौजूद थे, दो चार रोज पहले से ही वहां थे, जलूस के रूप में उन्होंने आगे होकर....

श्री भैरूंसिंह—यह बिल्कुल झूठ बात है, माननीय अध्यक्ष।

श्री मानसिंह महार—यहां गलत बातें नहीं होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—आप तो नहीं थे वहां।

श्री नाथूराम मिर्धा—आपकी जांच आज तक गलत निकली है।

श्री हरि कृष्ण व्यास—उनका कारण जैसा बताया था वैसा यह भी बता दो।

एक माननीय सदस्य—कांग्रेस के लोग थे?

श्री मथुरादास माथुर—बूडल गांव की आबादी थोडी है और उसमें भी हो धड़े हैं। पांच सात आदमी उस गांव के थे, वे नारा लगा रहे थे, भूस्वामी संघ के थे, इससे सम्बन्ध था; पांच सौ, सात सौ, आदमी थे नारे लगा रहे थे, भूस्वामी डाइरेक्टली नहीं थे, तो इन्डाइरेक्टली भड़का रहे थे, जलूस के रूप में थे, नारे लगा रहे थे,

एक माननीय सदस्य—लोगों की तरकीब थी कि भूस्वामियों को ही बताओ।

श्री मथुरादास माथुर—कलेक्टर के ऊपर पत्थर फैंके, पुलिस पर पत्थर फैंके, पुलिस के चोटे आई। जब पुलिस वहां आ गई थी तो उसने कन्ट्रोल कर लिया। १०-१२ आदमियों को गिरफ्तार भी किया।

श्री मानसिंह महार—इन गिरफ्तार लोगों में भूस्वामी कितने थे?

श्री अध्यक्ष—Order please.

श्री मथुरादास माथुर—भूस्वामी बहुत गिरफ्तार होते रहते है।

दूसरा जो डीडवाना तहसील के बारे में जिक्र किया त्यागीजी ने तो उस सम्बन्ध में बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि तहसीलदार को पीटा गया, रेकर्ड फाड़ा गया, यह बात बिलकुल गलत है। बात यह हुई थी कि चुनाव होना था, दो पार्टियां खड़ी थीं, आपस के अन्दर अमन का खतरा पैदा हो गया था और खतरा पैदा होने से ही तहसीलदार ने चुनाव केन्सल कर दिये। दुबारा मीटिंग बुलाई, इन्सपेक्टर पुलिस भी मौके पर पहुंचा और फिर चुनाव कराये गये। तहसीलदार को धक्का दिया हो, पीटा हो या रेकर्ड फाड़ा हो, इस प्रकार की बात नहीं, हुई यह मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी भी दे दूं।

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष—आप (होम मिनिस्टर) जवाब देंगे।

(श्री रामकरण जोशी के खड़े होने पर)

Yes. Shri Ram Karan Joshi

श्री रामकरण जोशी—अध्यक्ष महोदय, हम लोग श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रहे है। मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, सदन में पेश किया चाहता हूं। श्रीमन्त राजप्रमुख ने अपने भाषण में समाजवादी समाज रचना की भावना को व्यक्त करते हुए जो शब्द कहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि अब तक चाहे जैसा भी सरकार ने काम किया हो, किन्तु आगे उस समाजवादी समाज की रचना की भावना को क्रियात्मक रूप देने के लिए जैसी कि भावना श्रीमन्त राजप्रमुख ने प्रकट की है, कार्य करें तो इससे हमारे देश का, प्रदेश का बड़ा हित होगा।

समाजवादी समाजरचना जब हम स्वीकार करते हैं तो मानव के मूल्यांकन करने में पुराने जमाने के मूल्यांकन से फर्क आ जाता है और उस मूल्यांकन को अगर हम समाजवाद की तरह नहीं आंके तो फिर समाजवादी समाज की रचना का विचार अकल्पित रह जाता है, वह अमल में नहीं आता है। और वैसे श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आनेवाली योजनायें राजस्थानमें क्या होगी, इस बात का पता चलता है। अभी तक एक साल में क्या हुआ, उस पर भी सरसरी तौर से रोशनी डाली है जब कि उन्हें चाहिये यह था कि आगे आनेवाली पंचवर्षीय योजना के बजाय चालू पंचवर्षीय योजना के ऊपर कुछ रोशनी डालते हुए उसमें किये हुए कार्यों पर ज्यादा विचार

[श्री रामकरण जोशी]

करना चाहिये क्योंकि हमें तो सरकार द्वारा किये हुए कार्यों और बरती गई नीति पर ही तो धन्यवाद प्रगट करना, आभार प्रगट करना है।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में स्टेट रिआरगेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जिस भावना का परिचय दिया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। एक हमारे माननीय सदस्य ने इस संबन्ध में बोलते हुए यह कहा था कि जब कि कांग्रेस का एक प्रस्ताव था कि कांग्रेस भाषावार प्रान्त बनाने के बुनियादी सिद्धान्त को मानती है तो वैसी परिस्थिति में आज उस प्रस्ताव से विमुख होने की बातें कर रहे हैं। मैं मानता हूं, कांग्रेस ने एक बार ऐसा फैसला किया था इसके अलावा और भी कई फैसले किये। एक दूसरा यह भी फैसला किया कि देश के अन्दर एक ही राष्ट्रभाषा होगी और हिन्दी को उस पद पर आसीन किया। जब हम हमारे देश की राज भाषा को एक कर सकते हैं जब कि सारी कचहरियों का और सरकारी काम काज एक ही भाषा में होने वाला है तो फिर एक भाषा की सीमा कैसे निर्धारित की जा सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब हम समूचे देश की राजभाषा कायम कर सकते हैं और उसी ओर आगे बढ रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी समूचे देश की तरह विशाल होना चाहिये। यह बहुत दिनों पहले की बात है, हमारे इसी सदन में एस. आर. सी की रिपोर्ट पर बहस हुई थी और हमने उस रिपोर्ट का स्वागत किया था और अब जब कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है तो मैं समझता हूं, राजस्थान की भाषा भी हिन्दी भाषा है इसलिये राजस्थान इस राजभाषा को मानने में पीछे नहीं रहेगा। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है और देश के उत्थान की दृष्टि से यह आवश्यक भी है। आज जब कि हम समाजवादी समाज रचना की ओर बढ़ रहे हैं उस व्यवस्था के अनुसार समाज की रचना का ध्यान करते हैं तो हमें समूचे देश के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बातें करनी हैं। आज हम राजस्थानी हैं किन्तु पहले भारतीय हैं, पहले हमें अपने आपको हिन्दुस्तानी मानना है, फिर बंगाली, बिहारी या राजस्थानी। जिस तरह से उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं वे आज इस समाजवादी समाज रचना में पहले भारतीय हैं, फिर वे उत्तरप्रदेशी हैं।

राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह भी कहा कि राजस्थान इस बारे में सौभाग्यशाली है कि इसका किसी भी भाषा वाले राज्य या व्यक्तियों से मतभेद नहीं है, इस पर भी आलोचना करने का प्रयत्न करना मैं समझता हूँ इस भावना के साथ न्याय नहीं करना है। राजप्रमुख के भाषण का यह अंश हमारे लिये स्वागत योग्य है, हम उसके लिये उनका आभार प्रदर्शित करते हैं।

अभी कुछ बातें लॉ एन्ड आर्डर की समस्या के संबन्ध में भी कही गईं। यह समस्या किस तरह से हल की जा रही है इस संबन्ध में सदन में वाद-विवाद हुवा। प्रयोग एक प्रयोग होता है, अगर उस प्रयोग को जरूरी करना होता है तो कोई खतरे की परवाह किये बिना किया जाना चाहिये और तभी सफलता मिलने की संभावना होती है। आज उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री एक प्रयोग कर रहे हैं कैदियों के साथ उस प्रयोग की रिपोर्ट मुझे देखने को मिली। वह हम लोगों के लिये उत्साह-वर्धक है। वह प्रयोग है। जिसमें कैदियों को सुधार की ओर ले जाया जाता है, जिसमें उनके साथ इस

[श्री रामकरण जोशी]

प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाता जिससे वे अपने आपको समाज विरोधी तत्व समझें। उनको समाज विरोधी तत्व नहीं माना जाता, अपने आप में वे इस बात का बड़ा खयाल रखते हैं। वे इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें इस प्रकार की समाज विरोधी भावनायें पैदा क्यों हुई ? आज उनका प्रयोग चल रहा है। उन कैदियों से आठ-आठ घंटे काम करवाने के लिये बाहर लाया जाता है और वे काम करते हैं और वापिस अपने स्थान पर चले जाते हैं। हजारों आदमियों के केम्प की देख भाल उनके जिम्मे रहती है। सैकड़ों आदमी हाथ मे हाथ मिलाकर चलते हैं उसके बाद न उनमें किसी प्रकार की पशुवृत्ति जागृत होती है और न किसी प्रकार झगड़ा ही होता है और न किसी प्रकार को अराजकता ही वे कैदी करते हैं। इस प्रयोग में हर कैदी, जिसको जन्म कैद है १५-१५ साल की कैद हैं, वे भी शामिल किये जाते हैं। आज उनके प्रयोग से उन लोगों में ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं कि वे छुट्टी का उपभोग कर घर से वापिस भी आ जाते हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपनी गरमियों की छुट्टी बिताकर और एक राजकर्मचारी जिस प्रकार अपनी छुट्टी बिताकर अपने स्कूल और अपने अपने कार्यालय में वापिस लौटता है उसी प्रकार ये कैदी भी अपनी छुट्टी बिता कर पुनः जेल में चले आते हैं। आज जब कि हम समाज वादी समाज की रचना की ओर बढ़ रहे हैं तो इस प्रकार के प्रयोग हमारे समाजवादी समाज की रचना के आधार हैं। इन प्रयोगों से हर सरकार को गुजरना पड़ेगा, उसके लिये यह कोशिश करनी पड़ेगी कि इस प्रकार के असामाजिक तत्व समाज में न रहने पावें। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को सजा देकर काम नहीं चल सकता। उनके हृदय को परिवर्तित करने की चेष्टा की जानी चाहिये ताकि जेल से बाहर आने पर वे वैसा काम न करें। इसी तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश के ग्रह मंत्री कर रहे हैं। यह प्रयोग समाज को कल्याण की ओर ले जाने वाला है। यहाँ तक ही नहीं, ये लोग अपनी कमाई का पैसा जिसमें हजारों रुपया भी होता है जो उनके काम से जमा होता रहता है उनको खर्च करने के लिये मिलता है, उसमें से वे कुछ पैसा अपने घर वालों को भी भेज सकते हैं, यह एक प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक प्रयोग हमारे राजस्थान में भी पुराने मुख्य मंत्री या नये मुख्य मंत्री तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे राजस्थान के नेता श्री जयनारायणजी व्यास ने इस राजस्थान में भी आरम्भ किया था। उस प्रयोग के अन्तर्गत करीब ५० से कुछ ज्यादा आदमियों ने अपने आप सरेन्डर किया। जहां ५० व्यक्तियों ने अपने आप को सरेन्डर किया, उनमें से एक बलवन्तसिंह की चर्चा इस सदन में चल रही है, उसके अलावा ५० के प्रति कोई शिकायत नहीं। पचास ऐसे डाकू जिन्होंने उस वक्त सरेन्डर किया, वे अपनी तारीख मुकदमें पर बराबर उपस्थित होते हैं, उन पर मुकदमा बराबर चल रहा है और वे अच्छे नागरिक बनने का भी बराबर प्रयत्न करते हैं। सरकार के पास इस एक व्यक्ति के अलावा बाकी किसी आदमी के बारे में किसी भी प्रकार के एलीगेशन्स नहीं आये।

बलवन्तसिंह ने एक हत्या और करदी इस बात को जब हम सुनते हैं तो उस हत्या को सामने रखते हुए समाज में इस प्रयोग के प्रति कुछ अन्य ही धारणा बनती है प्रयोगशाला में बलवन्तसिंह निरर्थक साबित होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रयोगशाला में प्रयोग करने

[श्री रामकरण जोशी]

वाले इस बात से निराश नहीं होते, केवल एक बात को लेकर प्रयोगशाला छोड़ देनी नहीं चाहिए बल्कि प्रयोग करने वाले को यह सोचना चाहिये कि उसमें किस प्रकार की गलती रही जिसके कारण उनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिये असफल साबित हुवा। मैं समझता हूँ जैसा कि हमारे चीफ व्हिप ने बताया सरकार इस प्रयोग की बराबर मदद कर रहा है और बराबर मदद जारी रहेगी तो मुझे संतोष हुआ कि आज भी सरकार उसमें मदद कर रही है। हो सकता है बलवन्तसिंह के इस प्रयोगशाला में आने के बाद भी कुछ असावधानी बरती गई हो, जिसके कारण वह एक व्यक्ति का खून कर गायब हो गया। हो सकता है कि जिस व्यक्ति की हत्या होने को थी उसकी सूचना हमारे माननीय सदस्य हादी साहब ने चार दिन पहले ही दे दी हो, मेरा ऐसा ख्याल है कि यह बलवन्तसिंह का परिवर्तन पहले पहले प्रयोग शाला में प्रयोग करने वाले के दिमाग में आना चाहिये था; अमुक तत्व गड़बड़ करना चाहता है तो पहले ही सावधान हो जाने की बात थी। बात प्रयोग के विरुद्ध नहीं, बल्कि बात यह है कि एक आदमी ने एक वक्त एक कदम उठाया। उस आदमी के उस कदम को नाकामयाब करने की कोशिश करना है। शुरु से मिलकर उसको नाकामयाब भी कर सकते हैं। प्रयोगकर्ता प्रयोग करना चाहता है और कुछ लोग प्रयोगकर्ता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और प्रयोग को खराब करना चाहते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि इस सदन के कुछ बड़े जिम्मेदार साथियों को हमारा वह प्रयोग पसन्द नहीं, और जिम्मेदारी के पद पर बैठकर अगर इस प्रयोग की असफलता का प्रयास करते हैं तो सचमुच मुझे ताज्जुब होता है कि अभी तक इसमें ५० से ज्यादा आदमियों ने सरेन्डर किया है उसमें एक एलीमेंट इस तरह का निकला है। शायद इस तरह से प्रयोग को बिगाड़ने की कोशिश की जाय तो आगे कामयाबी नये प्रयोग को मिलेगी या नहीं, यह वर्तमान जिम्मेदार आदमियों को देखना है। इस प्रयोग को जिम्मेदारी से आगे चलाना है। रही अब उस प्रयोग को पूरा करने की बात....

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, ओन ए प्वाइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, यह ५०-५० आदमी दो दिन से चिल्ला रहे हैं वह ५० आदमी हैं कौन जिन्होंने सरेन्डर किया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I think the Honble Member should have the good sense to use parliamentary language.

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता था कि मेरे साथी द्वारा यह एक प्वाइन्ट उठाया गया है यह बड़े मुद्दे का होगा। किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी सूची मैं सदन में पेश कर सकता हूँ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लॉ एन्ड ऑर्डर की जब हम बात करने जा रहे हैं तो उस मौके को उन्हें समझना पड़ेगा। लॉ एन्ड ऑर्डर राजस्थान

[श्री रामकरण जोशी]

में पहले से अच्छा होता जा रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते है कि राजस्थान के अन्दर शान्ति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों की बातों को नजर अन्दाज करते हैं और इसलिए नज़रअन्दाज़ करते हैं कि हमारे इन लोगों की कमी मालूम हो जाने का डर है। तो यह हमारे साथियों के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिये अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। मैं यह समझता हूं कि ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था देखते हैं तो सचमुच आज दिखाई देता है कि जयपुर में यहां पुलिस का आदमी कितना मुस्तैद है, हाथ में लकड़ी लिए हुये दिखाई देता है। फिर शहर के इन्तजाम के लिए इतनी पुलिस मौजूद होते हुए भी शहर में गड़बड़ी वे कैसे कर सकते हैं। लेकिन यदि यही ला एन्ड आर्डर बताया जाता है तो ठीक है लेकिन लॉ एण्ड आर्डर के लिए यह जरूरी है कि पुलिसमैन की जरूरत न पड़े और जनता के अन्दर रहने वाले शान्तिपूर्वक काम चलाते रहें; ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कई लोग इस दृष्टिकोण को पसन्द करेंगे कि वही असली शान्ति व्यवस्था है।

जैसी बातें अभी कही गई हैं कि किसी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को चांटा मार दिया या किसी तहसीलदार को चांटा मार दिया, यह शर्म आने की बात है। जो कर्मचारी देहात में यह समझकर कि सरकार पूरी उसके माथे पर है, इस खयाल से, वह हासिल वसूल करता है। वहां काम करते चले जा रहे हैं लेकिन आज इस किस्म की बातें बताई जाती हैं। अगर यह बातें लोगों को मालूम हो जायं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का खतरा पैदा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जालौर के अन्दर कचहरी का चलाया जाना अगर नामुमकिन कर दिया गया है और किसी आन्दोलन के कारण कर दिया गया है, मगर वह किन्हीं समाजविरोधी तत्वों के द्वारा किया गया है; चाहे जितना बुरा बतलाइये, डाकू कहकर या डाकुओं के भाई बन्धु कहकर मन में संतोष कर लें, लेकिन जालौर की कचहरियां बन्द हो जाती है तो वह शान्ति और व्यवस्था के लिए खतरा है।

एक माननीय सदस्य—गलत बात है।

श्री रामकरण जोशी—जोधपुर के सेक्रेटेरियेट के दरवाजे के किवाड़ बन्द हो गये हैं। मामूली सी खिड़की लेकर आदमी को आगे जाने दिया जाता है तो यह ठीक नहीं है। यह बात है शान्ति व्यवस्था को ठीक करने की। इस तत्व को समझने में सरकार ने कामयाबी हासिल की है। उसको आगे बढ़ायेंगे तो और कामयाबी हासिल होगी और लोगों पर विश्वास भी जमेगा। यह बात खास देखने में आई, हर जगह वह देखने में नहीं आई है। तो सरकार की सब लोग तारीफ करेंगे। जो विरोधी दल में बैठे हुए हैं वे भी तारीफ करेंगे। सारी जनता के लोग तारीफ करेंगे। बात यह है कि कुछ ऐसा मालूम होता है कि सरकार के काम और इन कामों के जो परिणाम लोगों के सामने आये हैं वे यह जाहिर करते हैं कि राज्य सरकार समाजवादी पेटर्न के बजाय कुछ खास व्यक्तियों के दायरे में चलती है; कुछ मुख्य व्यक्तियों के दायरे में चलती है तो कानूनी और गैरकानूनी बातों की परवाह नहीं करती है। यह बात नहीं मालूम होनी चाहिये; यह बात निकल जानी चाहिये। यह जब निकल जाती है तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत आगे बढ़

[श्री रामकरण जोशी]

सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अभी अभी एक बात यहां एक साथी ने कही कि हमारे एक सदस्य कुछ डाकू से मिलने जाते हैं। अपने आप जाते हैं या और दूसरे कोई सदस्य साथी उनको लेकर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे सदन में बैठे हुए आदमियों में भी डाकुओं के मेलजोल वाले आदमी हैं जिनकी उनसे बातचीत होती है चाहे वह म हन सिंह जी भाटी के मिलने वाले हों या उनके मारफत श्री मथुरादासजी को परिचित किया हो, चाहे किसी का मेलजोल रहा हो। फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सी पुलिस रहती है। लेकिन पुलिस जाती है। उसके जिम्मेदार अधिकारी साथ में जाते हैं, आई० जी० पी० की जानकारी में जाते हैं और होम मिनिस्टर की जानकारी में जाते हैं और डाकुओं से मिलते ही हैं। इससे मालूम होता है कि इस सरकार के दिल में कुछ ऐसी भावना थी कि जो प्रयोग पहले किया गया था उसमें योगदान दिया जाय। फिर उसे पुलिस के सामने सरेन्डर करना चाहिए था। अगर वह सरेन्डर नहीं करना चाहता था तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था या मारा जाना चाहिए था। यह कैसे हो सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में डाकू आत्मसर्पण नहीं करता है अपने आपको और पिस्टल लेकर चला जाता है और पुलिस का सुप्रिन्टेन्डेन्ट देखता रह जाता है। या तो वह यदि सरेन्डर करना चाहता है तो अपनी शर्तों के सामने हमारी शर्तें मानने को तैयार हो, नहीं तो वह जा नहीं सकता। इस किस्म की बात ऐसे नहीं होती है कि हम खड़े खड़े सोचते रहें। उसके बाद में जाकर उसने क्या समाज विरोधी काम नहीं किये हों। थोड़ा इसको देखना पड़ता है। इसको देखना चाहिए। नहीं देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे बारे में लोग-बागों में गलत फहमी और शंकाएं पैदा होती हैं।

व्यासजी ने बलवन्तसिंह को समझने में गलती की, ऐसा चार्ज लगाया है हमारे साथी ने यहां बैठकर। उन्होंने हृदय परिवर्तन के ऊपर विश्वास कर लिया है। व्यासजी ने तो बहुत जगह आदमियों को समझने में गलती की है। उस गलती का परिणाम समूचे राजस्थान को भुगतना पड़ा है, हमारी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। कई आदमियों को पहचानने में उन्होंने गलती की है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि व्यासजी ने अपने आपको समझना शुरू कर दिया है। उन्होंने अब गलत आदमियों को समझना शुरू कर दिया है। अमुक अमुक आदमियों को समझने के बारे में गलती हुई थी, इसलिए भी संभवतः व्यासजी को अपना टारगेट बनाकर कहना शुरू कर दिया है कि कहीं वे हमारी बात को नहीं भुला दें, हमारी बात को नहीं जान जायं। लेकिन व्यासजी की बात को टालना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है, उस आदमी के निर्णय को गलत बताएं जिसके साथियों को सदस्य बनने के लिए उसके मुंह की तरफ देखना पड़ता है। वह आदमी व्यासजी के निर्णय को गलत बताता है जिसको अपने टिकिट के खातिर उनके मुंह की तरफ देखना पड़ता था। पता नहीं कि किसके निर्णय में गलती हुई है, यह सारा देश सोचेगा, राजस्थान के लोग सोचेंगे। ऐसे आदमियों से गलती हो जाया करती है, आगे वालों को समझना चाहिए और चलना चाहिए। दूसरे तो उस प्रयोग को सम्हालें और कुछ अपने रोजमर्रा के प्रयोग में सम्भाले। आखिर किस २ जगह आदमियों को समझने में गलती हो चुकी है तो आगे देखकर चलें।

[श्री रामकरण जोशी]

दूसरी बात यह है कि मैं यह समझता हूँ कि काम का तरीका ऐसा होना चाहिए कि किसी को मालूम न पड़े कि सरकार अपने कुछ कृपापात्रों को देना चाहती है। ग्रूप को पेट्रोनाइज़ करना चाहती है। ग्रुप चलने नहीं दिया जा सकता। न सेन्टर चाहता है और न अपने यहां की सरकार ही यह चाहती है। राजप्रमुख के अभिभाषण से मालूम होता है कि वे समाजवादी व्यवस्था चलाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार के जो काम होते हैं उनसे यह पता लगता है कि जैसे वाटर बोर्ड किन लोगों को सोंपा जाता है। दूसरे आदमी नहीं मिलते हैं तो कोई भी काम उन्हीं दो चार आदमियों को सोंपे जाते हैं। तो फिर उन्हीं लोगों की मारफत हम सारे काम चलाना चाहते हैं, गोया राजस्थान में समाज सेवा के सारे काम का ठेका उन्हीं चंद आदमियों ने ले लिया हो, और यह चाहते हैं कि राजस्थान में लेंड रिफार्म चाहते हैं और उसके लिये कोई कमेटी बनती है तो उन्हीं ५-७ आदमियों को ले लेते हैं और यदि हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में समाज कल्याण का काम चलाना है तो हम उन्हीं की धर्म पत्नियों को ले लेते हैं। यदि इस तरह से सरकार चलेगी तो काम नहीं चलेगा। राजा लोगों ने क्या किया था और उनको खत्म क्यों करना पड़ा? राजा लोगों के राजपूत भाई-बेटे लगते थे। सोना, ताजीम आदी उन्हीं लोगों को बख्शीश की जाती थी। श्री लालसिंहजी ऐसा फरमाते थे कि वह जागीरें नहीं थीं, वह तो उनकी तनख्वाह थी जो वे काम करते थे उसकी एवज में। वे काम क्या करते थे? वे तो खाली सलाम करते थे। आज भी सलाम करनेवाले को तनख्वाह दिया करें तो फिर उनमें और इनमें फर्क क्या रह गया।....

श्री भैरूसिंह—ये आज-कल के नरेश हैं।

श्री रामकरण जोशी—अखबारों में विज्ञापन देने की बात आती है तो राजस्थान में अच्छे ऊंचे स्टेन्डर्ड के पत्र निकलते हैं उनको उठाकर देखिये तो मालूम होगा कि उनको विज्ञापन नहीं दिये जाते। किसी थर्ड क्लास साप्ताहिक पत्र को देखेंगे तो मालूम होगा कि बहुत बड़े बड़े विज्ञापन उसमें छपे हैं और अच्छे पत्रों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके मायने क्या हुए? यदि सूर्य यह तय करले कि रोशनी उनको पहुँचायंगे जो सलाम करता है, तो हम कहेंगे कि सारी दुनियां मर जायगी। यदि धरती माता यह विचार करले कि मैं उन्हें पनाह दूंगी जो मुझे सलाम करता है तो दुनिया का क्या हाल होगा? लेकिन सूर्य और धरती ऐसा नहीं करते। वे यह नहीं देखते कि कौन उनको झुककर सलाम करता है और कौन नहीं करता, वे तो अपना काम करते ही जाते हैं। सरकार को भी उसी तरीके से काम करना चाहिये, इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिये कि कौन सलाम करता है और कौन नहीं करता है। यदि हम समाजवादी पेटर्न चाहते हैं तो हमें यह नहीं देखना होगा कि कौन मुजरा उतारता हैं और कौन खुशामद करता है। इन बातों पर गौर करने के जमाने को हमने दूर कर दिया। पहले जहां इस कदर की हुकूमत चलती थी कि अपने अपने आदमियों को फायदा पहुँचाते थे अब ये बातें चलने वाली नहीं हैं। जिस तरह से गांधीजी ने संगठन की ओर कदम उठाया था और जिस भावना से महात्मा गांधीजी ने संगठन की रचना की थी उसको हमें ध्यान में रखना होगा। जिस तरह से जवाहरलालजी नेहरू समाजवादी ढंग की रचना करना चाहते हैं उसकी ओर ध्यान रखते हुए हमें चलना होगा।

[श्री रामकरण जोशी]

एक शिकायत और है जोबनेर कौलेज के बारे में। एक प्रतिक्रियावादी कहलाने वाले जागीरदार की उदारता का उदाहरण देखिये। जो प्रतिक्रियावादी संस्था जागीरदारी रही है उसी के प्रतीक एक जागीरदार ने अपनी आमदनी का ८०.८५ प्रतिशत रूपया लगाकर एक मामूली स्कूल को हाई स्कूल बनाया और उस हाई स्कूल को इन्टर कालेज और फिर डिग्री कालेज बनाया, उसको एग्रीकल्चर कालेज बनाया, आज की सरकार के जमाने में नहीं उस पुराने जमाने में। उसको आज की सरकार जो एक पंचवर्षीय योजना समाप्त कर चुकी है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जिसने १०४ करोड़ रूपये स्वीकार कराये हैं ऐसी सरकार के जमाने में उस कालेज की ऐसी दुर्दशा हो जाय, यह कोई अच्छी बात नहीं मालूम पड़ती। यदि यही करना है कि तुम्हारे यहां से उसे हटाना है क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम्हारे यहां हम पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते, फलां जगह हम समाज कल्याण की बात नहीं कर सकते, यहां हम एक्सटेन्शन ब्लोक्स नहीं खोल सकते, कम्युनिटी ब्लोक्स नहीं चला सकते क्योंकि तुम हमारी हां में हां नहीं मिलाते। तुम आगे जाकर कहीं स्वतंत्र नागरिक नहीं बन जाओ, क्योंकि स्वतंत्रता से हमेशा खतरा रहा है। वे चाहते हैं कि हमें तो परतंत्र रहने वाले आदमी चाहिये। इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिये। यह दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि नीति हमारी यह होनी चाहिये कि जनतंत्रवाद पनपे। जहां जनतंत्रवाद की हत्या होती हो तो हमें देखना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि कहीं से जनतंत्रवाद की हवा आसपास से आकर अन्दर घुसना चाहे तो उसे घुसने नहीं दिया जाय।

("हियर हियर")

इस पवित्र कांग्रेस को जिसे महात्मा गांधी ने आशीर्वाद दिया है, जिसके कर्णधार पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति हैं, जिनकी बात को हिन्दुस्तान ही नहीं अन्य प्रजातंत्रीय देश रूस. चीन आदि समान रूप से मानते हैं तो उसके सदस्य होने के नाते आपको समझ सोच कर सारी बातें करनी चाहिये।

हम कह सकते हैं कि हमारे यहां विकास कार्य हुआ। गत वर्ष ४० परसेन्ट कार्य हुआ, यह कहा गया। मैं कहता हूं ४० परसेन्ट ही नहीं बल्कि १०० परसेन्ट काम भी गत वर्ष ही हुआ होगा क्योंकि अपने यहां का कायदा रहता है कि सरकार साल के आखिरी महीने में ही सारा काम करती है। आप सारे महकमों को देखिये, यही हाल मिलेगा। इसी तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना के सारे रूपये इस वर्ष ही खर्च होने चाहिये। मैं कैसे मानलूं कि ईवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ समूचे राजस्थान में विकास के लिए खर्चा हुआ या नहीं। इसको देखेंगे तो दुःख होगा। कहने को तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां सड़कें बनीं. रोशनी का इन्तजाम हुआ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस सड़क के बनने का नाम किताबों में दर्ज है उस पर आज तक एक कंकड़ भी नहीं डाला गया, तो क्या सरकार को कर्मचारी धोखा देना चाहते हैं? जयपुर से सवाई माधोपुर जाने वाली सड़क को देख लीजिये, जयपुर से भरतपुर जाने वाली सड़क तो नेशनल हाईवे है, उसको देख लीजिये। उस पर चलने वाले मोटर, तांगे आदि ही क्या, पैदल चलने वाले आदमी भी उस सड़क के खड्डों में गिर जायेंगे। एक पंचवर्षीय योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। काफी मीलों तक जयपुर से गंगानगर तक चले

[श्री रामकरण जोशी]

जाइये आपको बिजली के तार के खंभे मिलेंगे। पंचवर्षीय योजना में बिजली के लिये ढाई करोड़ रुपया दिया गया। इस पर जगह जगह खंभे खड़े कर दिये गये। बड़े मजे की बात है कि वहां पर और कोई काम शुरू नहीं किया गया। कौन कहे और कौन सुने। हम लोग जब उधर जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि चुनाव के समय हमने विरोधियों की सहायता की थी, इसलिए हमारे यहां बिजली के तार नहीं आये क्या ? हम उनको यह कह कर समझाते हैं कि हमारे साथियों की ऐसी भावना नहीं है, जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। हम कहां कहां समझावें, आप काम करके समझाइये कि हमारे यहां भेद भाव नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि न तो पुरानी जागीरों के तनखादार को खत्म करके नये तनखादार पैदा करने हैं और न भेदभाव से काम करना है। हमको समाजवादी पेटर्न को पनपाने के ढंग से काम करना है। हम लोगों को सबको एक साथ मिल कर काम करना है जैसा कि राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा कि आप सब मिल कर इसको सफल करिये। मैं अपने नेता से कहना चाहता हूँ कि आप सब का समानरूप से सहयोग लेने की कोशिश करेंगे, यह नहीं कि फलां गांव में कोई काम हो रहा है उसके बजाय दूसरे गांव में वह काम होना चाहिये। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के विकास में सभी लोग दिलचस्पी रखते हैं, उन सबके सहयोग से काम करना चाहिये। मैं सरकार की इतनी आलोचना करता हुआ यह कहूंगा कि समाजवादी पेटर्न के ढंग से काम करके अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझिये। नेता के सामने शिकायत आती है तो जो दोषी है उसको दोषी और जो सही है उसको सही मानना चाहिये। मैं श्रीमन् राजप्रमुख को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री भोपालसिंह एवं कुछ अन्य सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—इनका पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद सरकारी सदस्य बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उनका उत्तर भी आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष—गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, प्रायः दो दिन से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। काफी भाइयों ने अपने विचार और ख्याल सदन के सामने रखे। इसमें कुछ गरमा-गरमी भी आई और कई भावनाओं का प्रदर्शन भी हुआ। कुछ आपस में व्यक्तिगत चीजें भी आईं और उन्होंने अपने विचारों को सदन के सामने रखा,

Page No.62

[श्री रामकिशोर व्यास]

जिनका रखना वाजिब ही था क्यों कि वे इस ख्याल में हैं कि शायद एक ही सेशन और हो, इलेक्शन के हिसाब से एक सेशन ही और हो और उस हिसाब से फिर नेक्स्ट सेशन नहीं होना चाहिए इसीलिए उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिले। ज्यादातर जो विचार प्रगट किये गये वे भू-स्वामी संघ व लॉ एण्ड ऑर्डर पर हुए। लेकिन एक पहलू श्री हरिकृष्ण व्यास ने सरेन्डर के सिलसिले में रखा, जिस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं सबसे पहले भू-स्वामियों के बारे में निवेदन करूंगा और बाद में कुछ और बातों पर निवेदन करूंगा।

भू-स्वामी संघ की थोड़ी सी रूप रेखा में आपके सामने रखूं कि इसका क्या अभिप्राय है, क्यों आरम्भ किया गया है, इसके क्या उद्देश्य हैं, वे लोग क्या चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है या नहीं और गवर्नमेंट क्या कर रही है।

३० मई, १९५५ जयपुर में एक भू-स्वामियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन श्री मदनसिंह ने किया था। वह दो तीन रोज़ चला। उसकी अन्तिम बैठक २-३ जून को चोपड़ में की गई और यह एलान किया गया कि मौजूदा सरकार या तो हमारी मांगों को मंजूर करे या आश्वासन दे और इसका उत्तर दे और अगर इसका उत्तर नहीं देती है तो तीन दिन के बाद आंदोलन शुरू कर दिया जावेगा। उसके बाद ६ जून को उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। वह जयपुर में शुरू कर दिया गया और उसके बाद दूसरी जगह भी शुरू किया गया। वह किस तरह का आंदोलन चला, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। वह करीब २१ जुलाई तक चला और २१ जुलाई, सन् १९५५ को भू-स्वामी संघ का आंदोलन समाप्त हुआ और वह विद्ड्रा कर दिया गया। उसके बाद, हालांकि आंदोलन वापिस ले लिया गया था फिर भी आंदोलन वापिस लिया हुआ नहीं कह सकते। इस प्रकार की चीज हमारे सामने बराबर आती रही कि हालां कि यह आंदोलन बन्द हो गया है लेकिन यह फिर शुरू होने वाला है, इस प्रकार की चीज चलती रही। सिरोही में, राजमहल में किसी प्रकार के कैंप किये गये और भू-स्वामियों को सत्याग्रह के लिए ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह सत्याग्रह चलाया जावे। इस तरह से सारी तहसीलों में ऐसा होता रहा कि किस तरह से सत्याग्रह किया जावे और इसकी तैयारी बड़ी जोरों से की जाती रही और दुबारा १६ दिसम्बर को फिर से यह सत्याग्रह आरम्भ कर दिया गया। यह आंदोलन हुआ, इसका क्या उद्देश्य है और कैसे आरम्भ किया गया, यह पता नहीं लगा। यह एक अजीब समस्या है। स्पष्ट रूप से इसका क्या उद्देश्य है, क्या ये लोग जागीरों को वापिस लेने का उद्देश्य रखते हैं, क्या आर्थिक स्थति के लिए कर रहे हैं या इसका कोई राजनैतिक उद्देश्य है, यह बड़ी गोलमाल चीज है। इसके बारे में स्पष्ट रोशनी नहीं पड़ रही है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसका उद्देश्य इस गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकना और दूसरी ओर एक महा राजस्थान का निर्माण करके उसमें जागीरदारी प्रथा को वापिस लाने का प्रतीत होता है। आप यह सुन कर ताज्जुब करेंगे कि जब यह आंदोलन वापिस शुरू किया गया तो इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं दी। जयपुर में सम्मेलन किया गया, उसका कोई रिजोल्युशन नहीं भेजा गया और अभी तक कोई अधिकृत रूप से कोई मांग सरकार के सामने नहीं रखी गई है जिससे गवर्नमेंट

[श्री रामकिशोर व्यास]

यह समझे कि गवर्नमेंट से वे क्या चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट डेफिनिट इस पोजीशन में नहीं हो सकती कि वे क्या चाहते हैं। आस-पास की चीजों से व पैम्फलेटों से पता लगाया जाता है, जो सेनाइयें निकलती हैं उनसे कुछ पता लगाया जा सकता है, जो अखबारों में निकला है उनको पढ़ कर कुछ अनुमान लगाया जाता है; इससे अनुमान जरूर लगाया जाता है कि वे क्या चाहते हैं।

उन्होंने पहले गवर्नमेंट के सामने कोई इस प्रकार की चीज नहीं रखी कि वे क्या चाहते हैं। मैंने जानना चाहा कि वे क्या चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? मैं आपको बताऊं कि जून, १९५५ को जब यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था तो उस समय यह आन्दोलन मेरे मकान से ही आरम्भ हुआ था, करीब १०० भूस्वामी सुबह ४॥ या ५ बजे करीब मेरे मकान पहुंचे और बहुत से नारे लगायें। मैं सो रहा था, मैं उठा और रास्ते में आया और उनसे कहा कि कहिये आप क्या चाहते हैं, क्या बात है; मगर वे नारे लगाते रहे। मैंने कहा आपको आखिर बात कहना है तो दो-चार आदमी आइये। मेरे पास तशरीफ ले आइये। दो-तीन आदमी आये मेरे कमरे में बैठे। मैंने उनसे पूछा कहिये आपका क्या मतलब है, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? तब उन्होंने कहा कि हमको ऐसी आज्ञा है। तब मैंने कहा कि जावेंगे, आप क्या करेंगे। फिर मैंने कहा कि आपको क्या ग्रीवेन्सेज़ है। मैंने कहा कि आपको क्या जागीर रिज़म्पशन के बारे में कोई शिकायत है तो उन्होंने कहा कि नहीं है, कुछ नहीं कहना है। मैंने उनसे कहा कि कुछ कहना चाहते हो, तब उन्होंने कहा कि जो कुछ कहना है वह हमारे नेता से पूछिये। इस तरह की कई बातें चलती रहीं। साफ कोई बात का पता नहीं लगा। उनके निकाले हुए समय समय पर पर्चे निकले, उनसे अनुमान लगाना चाहिये कि वे क्या चाहते हैं। इससे मेरे दिमाग में यह असर पड़ता है कि उनका उद्देश्य सदन में बताये गये उद्देश्य से दूसरा ही है। उनका ध्येय यह है और उनकी मांग है कि महा-राजस्थान हो, व्यक्तिगत सम्पति की रक्षा के लिये भूस्वामी कटिबद्ध हों। इसलिये मैं आपको निवेदन करूंगा कि भूस्वामी संघ की तरफ से जो विज्ञप्ति निकली है और प्रकाशित हुई है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है : हमारा ध्येय है :

"(१) महा राजस्थान का निर्माण हो।

कांग्रेस राज्य में बलात धर्म परिवर्तन किया जाता है इसलिए ऐसी निकम्मी गवर्नमेंट को कुर्सी पर बिठलाये रखना........"

महा-राजस्थान का निर्माण किया जाना चाहिये, यह उनकी दी हुई विज्ञप्ति हैं। उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। उनका ध्येय है धर्म की स्वतंत्रता, उनकी मांग है महा राजस्थान हो, धर्म रक्षित राज्य हो। मैं आपसे कहूं कि उनका पहला ध्येय है धर्म की स्वतंत्रता। आप स्वयं इससे परिचित हैं कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में कौन किसके धर्म पर आक्षेप करता है, कौन हिन्दू को मुसलमान या मुसलमान को हिन्दू बनाता है; हर एक को इसकी स्वतंत्रता है। जो जिस मजहब को मानना चाहे मान सकता है। यह तो सेक्युलर स्टेट है। यहां यह कहना कि धर्म परिवर्तन

[श्री रामकिशोर व्यास]

बलात्कार कराया जाता है यह बिल्कुल झूठ है। उनका पहला ध्येय जो है वह तो ऑलरेडी यहां पर है और इससे किसी को इनकार नहीं है। सबको धर्म के मामलों में आजादी है, जिस धर्म को जो चाहे अंगीकार करे।

दूसरी उनकी जो मांग है वह महा-राजस्थान की है। इसको मैं नहीं समझ सका कि इसका क्या मतलब है। कौनसा नया राजस्थान वे बनाना चाहते हैं।

मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार की पश्चिमी प्रदेश की मांग है उस वक्त में यह पैदा ही नहीं हुई थी जिस वक्त कि यह बुलेटिन निकला था। यह बात उनके दिमाग में नहीं थी। कौन सा ऐसा अंश हो सकता है कि जिसको मिलाकर वे महान् राजस्थान बनाना चाहते हैं। यह मैं समझ नहीं सका।

श्री जयनारायण व्यास—शायद अजमेर और आबू का हो।

श्री रामकिशोर व्यास—आबू तो था ही। वह नहीं, और कोई होगा। उनकी महान् राजस्थान की मांग थी और धर्म से राज्य चलाया जाय, यह मांग थी; धर्म निरपेक्ष की नहीं। इससे आप अनुमान लगायें कि क्या उद्देश्य है और क्या नक्शा उनके सामने है?

श्री गोपीलाल यादव—महान् राजस्थान का पता नहीं चला आपको।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं, वे यह चाहते हैं कि धर्म से ही राज्य चलाया जाय। उनकी विज्ञप्ति है, उससे सारी वार्ता का पता चलता है।

श्री भैरूंसिंह—यह विज्ञप्ति कौनसी तारीख की है।

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे पास उनकी दी हुई है।

श्री अध्यक्ष—बिना तारीख की है।

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह—समझौता होने के पहले की है या बाद की?

श्री रामकिशोर व्यास—आरम्भ की है।

इसके बाद आप देखेंगे कि उनकी बार बार यही चीजें आती रहीं कि हमको व्यक्तिगत संपत्ति की हिफाजत करना है। उसके लिए भी कई प्रकार की चीजें सामने आई हैं। और चीजों में न

[श्री रामकिशोर व्यास]

जाकर मैं आपको भू-स्वामी संघ के मंत्री माननीय श्री तनसिंहजी ने जो स्टेटमेंट दिया था वह मैं आपको पढ़ दूं। उसमें उन्होंने लिखा है कि भू-स्वामी आन्दोलन व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व की माग का आन्दोलन है; लोगों की आंखों में धूल झोंक कर व्यक्तिगत संपत्ति पर जो आक्रमण चल रहा है भू-स्वामी संघ उसके लिए कटिबद्ध है।

उसी तरह से श्री आइवानसिंह जी ने एक पुस्तक 'भू-स्वामी और सरकार' के नाम पर लिखी है, उसका कोटेशन देना चाहूंगा; जिससे आपको स्पष्ट हो जायगा कि जागीरों को व्यक्तिगत सम्पत्ति मानते हैं और उसकी हिफाजत करना अपना लक्ष्य मानते हैं। मैं आपको पढ़ दूं, एक टुकड़ा उसमें से।

"इसलिए भू-स्वामी संघ का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की संपत्ति पर, व्यक्तिगत संपत्ति पर स्वामित्व को स्वीकार किया जाकर........"

इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि जागीरों के लिए ही व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया है। दूसरी व्यक्तिगत संपत्ति क्या है ? उसमें आगे लिखा है :

"राजस्थान के........"

श्री आइवानसिंहजी और तनसिंहजी दोनों का भू-स्वामी संघ से क्या संबंध है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक उसके मंत्री रहे हैं और दूसरे अध्यक्ष और उसके प्रधान नेता। इन दोनों के बयान जो मैंने आपके सामने पेश किये इससे यह नतीजा निकलता है कि जागीरों को बचाना चाहते हैं और जागीरों को ही वे व्यक्तिगत संपत्ति मानते हैं और उनकी रक्षा करना भू-स्वामी संघ का एक उद्देश्य मानते हैं। तो इससे आपको यह स्पष्ट हो गया कि ये उद्देश्य उनके दिमाग में चल रहे हैं। एक तरफ महान् राजस्थान के निर्माण का नक्शा है जो कि समझ में नहीं आता है। वे यह कहते हैं कि राजपूतों के राइट्स सेफ नहीं हैं, वे ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं कि जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता हो। यह मैं समझ नहीं सका कि उनका उपदेश क्या है। कईयों ने कहा कि यह आर्थिक प्रश्न है, कईयों ने कहा कि यह राजनैतिक प्रश्न है, जागीरें जाने का प्रश्न है। सब सहमत हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो साहित्य निकाला गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि वे जागीरों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हैं। उनके जो नारे हैं वे भी ये हैं। वे लिखते हैं :

"व्यक्तिगत संपत्ति अमर निशानी है, व्यक्तिगत संपत्ति अमर निशानी है, जय काली, जय जय भवानी। जीवन का यही सहारा, धरती रखना धर्म हमारा।"

ये जो उनके स्लोगन्स हैं, उनसे उनके ध्येय का पता चल जाता है। यह भी पता चल जाता है कि व्यक्तिगत संपत्ति यानि जागीरों की रक्षा करना चाहते हैं और धार्मिक नक्शा सामने रख कर चलना चाहते हैं। जो कुछ भी मुझे पता चला है वह यह है कि वे व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं। आज के जमाने में उनका यही उद्देश्य है कि उनकी जागीरें नहीं जांय, जागीरें वापिस

[श्री रामकिशोर व्यास]

मिल जायं, यही उनकी कल्पना है. यही उनका प्रचार है। मैं समझता हूं कि यह समय के अनुकूल नहीं है, यह चीज चलने वाली नहीं है और जागीरें वापिस प्राप्त होने वाली भी नहीं हैं। इस आन्दोलन की मोडल ओफ ब्रान्डी है उसको सोचेंगे तो पता चलेगा। उनका यह कहना कि यह आन्दोलन नोन्वायलेन्ट है, अहिंसात्मक है, जो कि गलत है; उनका जो तरीका है वह मैं आपको बताऊं। वे जो जो तरीके काम में ले रहे हैं वे ऐसे हैं कि बहुत से आदमी इकट्ठे होकर ऑफिसेज् में घुस जाते हैं मार पीट करते हैं, पत्थर फैंकते हैं, दफ्तरों में घुस जाते हैं और जाकर काम में रुकावट डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यवाही को नुकसान पहुंचाते हैं, रेकर्ड को फाड़ डालते हैं, फर्नीचर को डेमेज करते हैं आदि जो टेक्टस उनके चल रहे हैं, कई जगह ऐसे वाक़यात हुए हैं जो आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं। यही उनकी नीति रहती है कि जनता को टेरोराइज़ किया जाय, खोफ पैदा किया जाय जिससे लोग उनके खिलाफ बोल न सकें और आवाज न उठा सकें और जैसा वे कहें वैसा वे किया करें।

मैं आपको साफ तौर पर बताऊं कि जोधपुर में एक टिकाना है जिसका नाम बगड़ी है, जैसा कि मुझे याद पड़ता है। कुछ अर्सा हुआ, भूस्वामी संघ के पांच, सात सौ आदमियों ने जाकर मकान घेर लिया और कहा कि इतने रुपये दीजिये नहीं तो मकान के अन्दर घुस आवेंगे। उन्हें मजबूर होकर देना पड़ेगा। वे बराबर कहते रहे कि नहीं दे सकते। वे बेचारे अन्दर बैठे रहे। अन्त में लोगों ने मकान को घेर तो लिया ही था पुलिस को इत्तला की, पुलिस आई और पुलिस ने वहां जाकर उनको हटाया।

इस प्रकार टेरोराइज करने की बातें बराबर कर रहे हैं। यहां तक देखने में आया है कि जबरदस्ती बसेज में घुस जाते हैं, बगैर टिकट के घुस जाते हैं। बस वाले यदि मना करते हैं तो उनको मारने पीटने को दौड़ते हैं। इसी तरह से गाड़ी में भी बिना टिकट सफर करते हैं और गाड़ी को रोकने की हरकतें करते हैं, जंजीरें खींचते हैं..........

श्री भैरूंसिंह—कालूसिंह जो भूस्वामी मारा गया, वह शायद आप ही की सलाह से मारा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप बीच में न बोलिये, मैं इसको भी साफ कर दूं। कालूसिंह का जो झूंठा प्रोपेगेन्डा किया जाता है, वह वास्तव में गलत प्रोपेगेन्डा है। कालूसिंह नाम का एक दरोगा था, जिसको कालू दरोगा कहा जाता था। एक बस जा रही थी, उसमें लोग बहुत से जबरदस्ती बैठना चाहते थे और बैठ गये; कोई छत पर तो, कोई आगे-पीछे लटक गये। ड्राइवर बेचारा मजबूर था क्योंकि वह अकेला था और ये आदमी ज्यादा थे। तो वह वहां तो कुछ बोला नहीं उसने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी कि मेरी बस में जबरदस्ती ये लोग घुस रहे हैं। पुलिस ने उन लोगों को एक बार तो हटा दिया और जो लोग टिकट लेकर बैठे तो उनको बैठा रहने दिया। ज्योंही वह लॉरी थोड़ी देर आगे और चली कि वे लोग फिर जबरदस्ती उस लॉरी में घुस गये और उसके ऊपर छत पर भी चढ़

[श्री रामकिशोर व्यास]

गये, आगे-पीछे भी चढ गये इसका नतीजा क्या हुआ कि कालूसिंह भी जो कि उनमें से एक था, ज्योंही लॉरी स्टार्ट हुई कि वह नीचे गिर पड़ा और उससे उसको चोट आई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश को जोधपुर ले जाया गया और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया कि पुलिस वालों की लॉरी से इसकी मौत हुई। इस प्रकार की बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई गईं। यह सही स्थिति है जो मैंने आपके सामने रखी..........

श्री भैरूसिंह—क्या वह अपने आप ही गिर गया।

श्री रामकिशोर व्यास—जब पचासों आदमी एक साथ चढ़ते हैं तो कोई गिर भी पड़ता है, इसी तरह से वह भी गिर गया। आज इन भूस्वामियों की क्या नीति है, वह भी मैं आपको बता दूं। पहले तो जनता में आतंक पैदा किया जाता है। वह किस तरह पैदा किया जाता है, यह मैंने बसेज् को मिसाल देकर आपको बताया। यह जो कहा जाता है, कि इनका तो यह अहिंसात्मक सत्याग्रह है और बड़ी शान्ति से चला रहे हैं, मैं आपको बतलाऊं यह आपका कहना बिल्कुल गलत है। इनके द्वारा हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही हैं, हिदायतें की जा रही हैं। जो इस आन्दोलन को अहिंसात्मक मानते हैं वे गलत हैं। कई जगह आन्दोलन के नाम से ये लोग दफ्तरों में घुस जाते हैं, वहां के कांच तोड़ डालते हैं, शीशे फोड़ डालते है, खिडकियां तोड़ डालते हैं और टेबल पर जो दवात आदि रखी रहती है उनको भी फोड़ डालते हैं और कागज फाड़ डालते हैं। क्लर्क्स जो आफिस में काम करने आते हैं उनको भी रोका जाता है। पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं, रेलों के डिब्बों में चढा जाता है बिना टिकट के और गाडियों को रोका जाता है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि तीन तीन दफा ट्रेन को रोका गया। इस तरह के हमारे इन भूस्वामियों के काम हैं। एक दफा यह हुआ कि एक पटावरी को ताले में बन्द कर दिया, एक जगह पुलिस स्टेशन पर चले गये। रोजमर्रा के शासन के काम में रुकावटें डाली जा रही हैं, गवर्नमेंट की प्रोपर्टी को डेमेज किया जाता है, और क्लर्क्स को सेबोटेज किया जाता है, यही नीति आज तक इनकी रही है। मेरे पास इसकी लम्बी चौड़ी सूची है उसमें से मैंने कुछ बातें आपको बताई। गवर्नमेंट प्रोपर्टी के डेमेज के साथ साथ रेगुलर रूटिन वर्क में बाधायें उपस्थित की गई हैं, कई जगह। इसके बावजूद भी यह कहना कि यह अहिंसात्मक आन्दोलन है यह बड़ी भूल की बात है। उनके जो काम हैं उनसे साफ पता चलता है कि वे हिंसात्मक हैं और जगह जगह हिंसाएं की जा रही हैं।

एक बड़े ताज्जुब की बात है, जो मैं आपको बताऊं कि जोधपुर के क्लेक्टर जब आफिस में थे तो भूस्वामियों ने यह किया कि उनके पीछे से उनके बंगले से घुस गये। औरतें पीछे थीं। वे कमरों में घुस गये। उन्होंने उनकी प्रोपर्टी को डेमेज किया, फर्नीचर को डेमेज किया, बच्चे और औरतें परेशान हो गये, आखिर उन्होंने फोन किया और पुलिस आई और उनको वहां से हटाया। इसी तरह एक थाने में घुस गये, वहां कोई पुलिस का आदमी था नहीं, वहां घुस कर प्रोपर्टी को डेमेज किया। इस प्रकार कई जगह इन्होंने गवर्नमेंट की प्रोपरटी को डेमेज किया और नुकसान पहुँचाने

[श्री रामकिशोर व्यास]

की कोशिश की। इन्होंने खास तौर से तीन प्रकार की एक्टीविटीज की हैं; एक तो हुल्लडबाजी करना, अर्थी जलाना, या चलते हुए आदमी की टोपी उतारना, खास तौर से सफेद टोपी उतारना। रास्ते में हुल्लडबाजी करना, रास्ते में रुकावट डालना, नागरिकों को अपने कामों से रोकना; इस प्रकार की हरकतें अबतक इन्होंने की हैं। इसी प्रकार की सूचना जगह जगह से हमें मिल रही है। इन सब चीजों को अहिंसात्मक समझना सही नहीं हैं।

इसके अलावा इनकी धार्मिक भावनाओं को उभारा जाता है। उनको गांवों में जाकर कहा जाता है कि अगर आप इस आन्दोलन में नहीं जायेंगे तो आपको जाति से निकाल दिया जायगा। चूडियां ले जाई जाती हैं। कांचली ले जाई जाती है और जो लोग चलने के लिये तैयार नहीं होते हैं उनको कहा जाता है कि चूड़ियां पहिन लो, कांचलियां पहन लो; अगर नहीं चलते हो तो, तुम्हारे धर्म का नाश हो रहा है, विध्वंश हो रहा है, अगर तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचायेगा? इस तरह से लोगों की धार्मिक भावना को भड़का कर यहां लाया जाता है। इसी तरह से लोगों को बहकाया जाकर यहां भेज जाता है। उनका बुलेटिन जो रणभेरी के नाम से निकलता है, उसकी भाषा को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्या मनोवृत्ति इस आन्दोलन के पीछे है। इस तरह से मैंने उन सारी बातों पर प्रकाश डाला, उनकी एक्टीवीटिज पर प्रकाश डाला जो काम करने का उनका तरीका है उसको मैंने बताया। अलावा इसके बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह उनकी आर्थिक समस्या है। मैं थोड़ी देर के लिये यह मान लूं कि उनकी आर्थिक समस्या किस रूप में है। जहां तक खुदकाश्त जमीन देने का सवाल है, जिनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं होगी उन्हें खुदकाश्त की जमीन दी जायगी। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन गांवों में जमीन मौजूद है वहां भूस्वामियों को अवश्य जमीन दी जायगी, इसमें दो रायों की बात हो नहीं सकती। लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सकता कि जिन लोगों को काश्तकारी के अधिकार प्राप्त हो चुके उनसे जमीन छीन कर इनको दी जाय। जिनको टीनेन्सी एक्रिरू हो चुकी उनको इजेक्ट कर भूस्वामियों को जमीन देना कभी संभव नहीं। भूस्वामी जिस गांव का निवासी है उसमें यदि कोई जमीन नहीं है तो उसके आस पास के गांव में जमीन होगी तो दी जायगी। इसके अलावा ८ हजार बीघा जमीन हमने भालरे के इलाके में दी है जिसमें एक परिवार को २५ बीघा जमीन दी है, वहां पर बहुत लोग आबाद हो गये हैं। हमारे शरणार्थी और पुरुषार्थी भाई आबाद हुए हैं, जो लोग दूसरी जगह से आये थे वे वहां आबाद हो गये; तो हमारे भूस्वामी भाई जो यहीं के रहने वाले हैं जो काश्त करते आ रहे हैं, उनको वहां जाकर आबाद होने में क्यों दिक्कत होनी चाहिये? यह मैं मानता हूँ कि अगर एक दो आदमी जायें तो आबाद होने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि पचास पचास आदमी जाकर वहां बस जाते हैं और वहां की जमीन पर काश्त करते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती हैं। हम पहले तो यह कोशिश करते हैं कि उन को उन्हीं के गांव में जमीन मिल जाय अगर वहां नहीं मिलती है आस पास के गांव में को जमीन खाली हो तो वह दी जायगी। खुदकाश्त के बारे में यह कहना कि जमीन नहीं दी जायगी, सही नहीं है। इसके लिये जो रूल्स बनाये वे साफ हैं। हमने उसमें एक एकड से लेकर ५०० एकड तक भूमि खुदकाश्त के लिये

[श्री रामकिशोर व्यास]

रखी है। जिस जिस प्रकार जागीरें थी उसी के अनुसार ५० एकड से लेकर ५०० एकड तक भूमि सब को मिल सकती है। जिस गवर्नमेंट की यह नीति है कि किसी भी काश्तकार को जिसके पास जमीन नहीं है उसको दी जाय, जहां हम लेन्डलेस टीनन्ट्स को जमीन देने की सोच रहे हैं वहां हमारे भूस्वामी भाई जिनसे जागीरें ले रहे हैं उनको हम जमीन न दें, यह गवर्नमेंट की कभी नीति नहीं है लेकिन जहां जमीन उपलब्ध हो वहीं दी जा सकती है। जहां जमीन नहीं वहां जमीन देने के लिये हम मजबूर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका खुदकाश्त का सवाल ही नहीं; जैसे शेरगढ का इलाका जहां खुदकाश्त का कोई सवाल ही नहीं, जितनी चाहे जमीन लीजिये बाडमेर का इलाका है, जितनी जमीन चाहे मिल सकती है काश्त कर सकते हैं। कई भूस्वामियों को तो पहले ही जमीन मिल चुकी है खुदकाश्त के लिये, बहुत थोड़े भूस्वामी ऐसे हैं जिनके पास खुदकाश्त के लिये जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको नियमानुसार जमीन मिल सकती है उनको एप्लीकेशन देना चाहिए।

कम्पेन्सेशन के बारे में यह कहा जाता है, इसमें बडी डिफीकल्टी हो रही है, इसके लिये कहा जाता है कि बड़े बड़े जागीरदारों को ज्यादा फायदा हुआ है और छोटे भूस्वामियों के साथ बड़ी ज्यादती की गई, ठीक मुआवजा रखा नहीं यह बात सही नहीं है। मुआवजे की जो दरें रखी गई वह ऐसी है, कि बड़े जागीरदारों को कम मिलने वाला है और छोटे जागीरदारों को ज्यादा मिलने वाला हैं। पांच हजार से ऊपर की जो जागीरें हैं, उनके लिए दस गुना मुआवजा मिलेगा और उससे जो कम की जागीरें हैं उसमें ११ से १८ गुना मुआवजा मिलने वाला है। इस पर भी यह कहना कि बड़े जागीरदारों के लिये मुआवजे की अच्छी शर्तें तय की गई और छोटे जागीरदारों को खड्डे में डाल दिया है सही नहीं है। इससे छोटे जागीरदारों का ज्यादा फायदा हुआ है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि जिस जागीर की आमदनी २५० रुपया सालाना है उसको पन्द्रह साल तक २२५ रुपये मिलते रहेंगे।

एक माननीय सदस्य—आगे क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके अलावा उनको एस्टेब्लिशमेंट आदि के लिये भी सहायता मिलेगी।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—सारा रुपया मुआवजे का एक साथ दिला दिया जाय तो सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास—जिस जागीरदार की आमदनी सालाना २५० रुपये हैं उसको पन्द्रह साल तक २२५ रुपया मिलते रहें, तो यह क्या कम है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उसमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितने के और मुलाजिमों के खर्चे का कितना कटेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—

ये सब डिटेल्स की बातें हैं। इससे २५ रुपये सालाना कम आमदनी समझ लीजिये। पच्चीस रुपया इस तरह से आने जाने आदि के खर्च के लिये समझ लीजिये। इससे ज्यादा उदार शर्तें और क्या हो सकती हैं। राजस्थान में जो मुआवजे की शर्तें हैं, वे अन्य किसी भी प्रान्त से कम नहीं हैं, यहां तक है कि उनके मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक मालूम नहीं होता कि मुआवजा ठीक नहीं है। यह भी कहा जाता है, यह तो उनकी रोटी का सवाल है मुझे पता नहीं यह किस तरह की रोटी की मांग है। जहां तक रोटी की मांग का सवाल है उनकी अपेक्षा आज गरीब जनता अधिक है, हमारा बहुत अधिकांश भाग गरीब है उन सब का रोटी का सवाल भी हल हमें ही करना है। उनके साथ साथ यदि वास्तव में ही रोटी का सवाल है तो अलग से उनका हल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जहां तक जागीर रिजम्पशन से मतलब है उनकी स्थिति कभी भी खराब नहीं कह सकते। उनको जितनी आय सालाना होती थी उससे कुछ ही कम १५ साल तक आय रहेगी। उसके अलावा जमीन उनको खुदकाश्त के लिए दी जावेगी। उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर्जा दिया जायगा। इस तरह से जब उनके पास पन्द्रह साल तक का प्रोवीजन मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर्जा बिना व्याज के देगी तो फिर उनके लिए यह कहना कि यह बड़ी मुश्किल समस्या है, सही नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि कुछ कामों में डिफीकल्टी आ सकती हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट में मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ इन्डिवीज्युअल केसेज़ में डिफीकल्टी आ सकती है जिनको एक साथ बैठकर हल किया जा सकता है; जो कुछ कमी हो वह ठीक की जा सकती है। मैं आपसे यह कहूं कि भूस्वामी संघ की जो कुछ भी ग्रीवान्सेज हों वे वाजिब तरीके से रखी जाय तो उनको दूर किया जा सकता है लेकिन जो तरीका उन्होंने अपना रखा है वह अनलॉफुल है और इल्लीगल है। जो कुछ भी आपकी मांग है उसको सही तरीके से रखें और सही तरीके से बतानी चाहिये। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसकी हमेशा यह नीति रही है कि जिन बातों पर मतभेद हो, वह इस बात की कोशिश करती रहती है, उसका उसूल यह रहा है कि जैसे भी हो सके आपस में मिलकर किन्हीं बातों पर मतभेद हो, वह तय किये जायं, उसके इम्पलीकेशन में ज्यादा आसानी रहती है और उसका असर भी ज्यादा होता है और आपस में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है, अगर झगड़े की सारी बातें आपस में मिल कर तय की जांय तो सन् १९५२ में जब जागीर रिजम्पशन एक्ट आ गया था तो उसको उस समय भी क्रियान्वित किया जा सकता था लेकिन जो बात जबरदस्ती से की जायं वे इतनी असरकारक नहीं हो सकतीं जितनी कि आपसी समझौते से तय होती हैं। तो यह तय हुआ कि इस संबंध में आपस में तय किया जाय। उस समय क्षत्रिय महासभा जो क्षत्रियों की एक लीडिंग बोडी थी जो उस समय सरकार से इस संबंध में बातचीत कर रही थी उसके रिप्रेजेंटेटिव्ज़ ने इसमें भाग लिया और उनकी नेगोशियेशन्स दो साल तक चलती रहीं और आखिर सन् ५४ में जाकर उनके साथ जो समझौता हुआ उसको ध्यान में रखते हुए जागीरी रिजम्पशन एक्ट में संशोधन किया गया। यह सब आपसी बातचीत का परिणाम था। गवर्नमेंट ने हमेशा से यह कोशिश की है कि जितने भी झगड़े के प्रोब्लम हों, उनको मिलकर तय कर लिया जाय। इसी प्रकार भूस्वामी संघ भी अपने रिप्रेजेन्टेटिव्ज के जरिये, जो भी कुछ बातें झगड़े की हों उनको मिल कर

[श्री रामकिशोर व्यास]

तय कर सकती थी लेकिन उनकी नीति यह नहीं रही। वे कभी भी मिलकर किसी भी बात को तह करना नहीं चाहते; उनका लक्ष्य यही रहता है। अगर उनको रहने की दिक्कतें हों, मुआवजा मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत हो उनका यह कर्तव्य था कि वे उन दिक्कतों को गवर्नमेंट के सामने लाते। आज कोई भी संस्था यदि सत्याग्रह करना चाहती है तो वह पहले १५ दिन का नोटिस देती है और उसके साथ यह भी लिखती है कि हमारी फलां फलां मांगें हैं अगर आप इन मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हमको यह करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक भूस्वामी संघ का सवाल है उसने आज तक गवर्नमेंट के सामने कोई भी मांग नहीं रखी, वे मांगे रखकर कम से कम ट्राइ तो करते। एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है; कम्प्रोमाइज गवर्नमेंट से हुआ था उसका पालन नहीं हुआ उसी की वजह से आंदोलन शुरू हुआ। कम्प्रोमाइज करने का मैंने भी मना किया और मुख्य मंत्री ने भी मना किया। एक प्रश्न भी इस सदन में आया था वह यह था कि क्या दांता ठाकुर सा० को कोई दस्तावेज लिखकर दिया था मैंने उसका जवाब दिया था कि ठाकुर दांता को कोई चीज नहीं दी। उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थीं। यह जो जवाब मैंने दिया था वह बिल्कुल ठीक था और मुख्य मंत्री जी ने भी जो कुछ कहा वह आपको मालूम है। ठाकुर दांता से डाइरेक्ट कोई बात नहीं हुई थी। कुछ चीजें लिखकर दी गई थीं जिनमें सदन के सदस्य भी थे; उनको लिखकर देने की जहां तक बात थी उसका जवाब मैंने दिया, उनको कोई चीज लिखकर नहीं दी.

श्री भैरोसिंह—भूस्वामी संघ से समझौता हुआ या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—सवाल उसमें यह था कि क्या चीज ठाकुर दांता को लिखकर दी ? तो मैंने जवाब दिया ठाकुर दांता को कुछ भी लिखकर नहीं दिया, आप यदि माइनुटली इस जवाब को देखते तो आपको समझ में आ जाता; उस पर कई सप्लीमेंटरी भी हुए। उनको भी पढ़ लेते तो आपकी समझ में आ सकता था। उसमें बहुत साफ है.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपका तात्पर्य क्या है, लिखकर तो रख दिया गया किन्तु एड्रेस उनको नहीं किया यही मतलब है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं आज आप कह लेंगे, कल मैं कह लूंगा कि समझौता हुआ या नहीं। भूस्वामी संघ ने उसके तत्काल ही बाद जो रिजोल्यूशन पास किया उससे भी स्पष्ट हो जायगा।

श्री भैरूसिंह—इस समझौते के बाद दांता की रिहाई हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास—इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया, पर मैं आपसे कहूँ कि यह महज कहने की बात है। एक बोर्ड रिहेबीलिटेशन के लिये सरकार द्वारा बनाया गया। उसकी मीटिंग कॉल की गई पर वे उसमें शरीक नहीं हुए। उन्होंने एक भी मीटिंग अटेन्ड नहीं की। जो ठाकुर साहब दांता ने स्टेटमेंट में कारण बताया है वह कारण नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—उनको शायद बुलाया नहीं गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह कहना कि इत्तला नहीं हुई, गलत है। उन्होंने बताया कि हमको इससे सन्तोष नहीं है, इसलिये नहीं जा रहे हैं। यह कहना कि इत्तला नहीं थी इसलिये नहीं गये, यह सही नहीं है। असल में उनकी मंशा कोऑपरेट करने की नहीं थी। गवर्नमेंट के सामने कोई बात आप नहीं करना चाहते थे। जब बोर्ड बना तो आप चाहते थे कि बोर्ड बने। आपकी मंशा के माफिक बोर्ड बना। आपको चाहिए था कि अपनी डिमान्ड्स सामने रखते और गवर्नमेंट को ट्राई करते कि कितनी बात आपकी गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती है। यदि बात नहीं मानती तो शिकायत करते। बड़े से बड़े प्रोब्लम आपस में तय हो जाते हैं, तो ऐसे छोटे प्रोब्लम्स क्यों नहीं तय होते। एक स्थिति ऐसी आई कि हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे भूस्वामी भाइयों का एक डेपुटेशन मिला। उन्होंने उनसे कहा कि जो कुछ आपकी मांग है वह लिखकर दें और उनके फैसले के लिये किसी थर्ड आदमी को मुकर्रर करते हैं: वह जो निर्णय करेंगे वह निर्णय राजस्थान सरकार को मान्य होगा और वह आपको भी मान्य होगा। ऐसे आदमी की नियुक्ति करेंगे जो राजस्थान की परिस्थिति से पूरी तरह से वकफियत रखते हैं और जो राजस्थान की जागीरी प्रोब्लम्स से वकफियत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में यह कार्य सौंप दें और वह जो निर्णय करें, वह दोनों को मान्य होना चाहिए, राजस्थान सरकार और भूस्वामी संघ को मान्य होना चाहिए। लेकिन इस बात को भूस्वामी संघ वालों ने मंजूर नहीं किया तो फिर इससे क्या समझें, सिवाय इसके कि आपस में मिल-जुल कर तय नहीं करना चाहते।

सदन में यह कहा गया कि गत ढाई महीनों से यह आन्दोलन चल रहा है लेकिन गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं करना चाहती है। फैसला एक तरफ से नहीं हो सकता। दोनों ही पक्ष मिलकर कर सकते हैं। भूस्वामी संघ का ऐसा रवैया रहा कि वे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। प्रोब्लम्स को गवर्नमेंट अकेली हल नहीं कर सकती। कई मौके आये लेकिन वे तैयार नहीं हुए। असल में उनका उद्देश्य दूसरा ही मालूम होता है। इस पर थोड़ी रोशनी अपोजिशन के लीडर श्री जसवन्तसिंहजी ने डाली। उन्होंने बताया कि यह इसलिये कर रहे हैं कि राजपूत जाति में जाग्रत हो सके।

श्री जसवन्तसिंह—रिप्रेशन हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास—उन्होंने ही नहीं कहा, बल्कि इसके जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि हम जानते हैं कि कुछ तो होगा और कुछ नहीं होगा तो हमारा पर्पज राजपूतों में जागृति पैदा करने का है वह तो हो ही जायगा।

श्री जसवन्तसिंह—जो रिप्रेशन कर रहे हैं उनका सवाल है।

श्री रामकिशोर व्यास—Not yourself but somebody else. जहां तक जागृति का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूँ कि राजपूतों में जागृति हो और वे देश के विकास और प्रगति के

[श्री रामकिशोर व्यास]

कामों में भाग लें। लेकिन जागृति ठीक तरह से करें। कहीं ऐसा न हो जाय कि आपको लेने के देने पड़ जायें।

(हंसी)

श्री जसवन्तसिंह—उसके लिये हम तैयार हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी जागृति नहीं होनी चाहिए कि दफ्तरों में घुसकर कागज फाड़ डालें, दवात तोड़ दें और शीशे तोड़ दें। ऐसी बातें सिखा कर जागृति जो कर रहे हैं, वह देश के लिये हितकर नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—हमारे सिखाने की जरूरत नहीं है, वे खुद सफर करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—खुद सफर करके औरों को नहीं कराइये। और लोग जो आपके काम में बाधा नहीं डालते हैं उनको क्यों सफर कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट के मकान में घुस जावें, कागज फाड़ डालें तो वह सारे देश के लिये हानिकारक चीज है। उनमें ऐसी जागृति पैदा कीजिये जिससे उनको शिक्षा मिल सके, उनकी बेकारी दूर हो सके, उनको रोजगार मिले और ऐसी बातें हों जिनकी खास जरूरत है। बहुत सी जातियों में सामाजिक संस्थायें हैं, लेकिन राजपूत जाति में सामाजिक संस्थायें कम हैं। आप सामाजिक संस्थायें बनाकर जागृति पैदा कीजिये, लोगों में शिक्षा का प्रचार करके जागृति फैलाइये। लेकिन यदि जिस तरीके से आप जागृति कर रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह हमेशा इस बात के लिये तैयार रही है कि सारी समस्यायें मिल-जुलकर तय कर ली जायें। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे जागीरदार भाइयों से बातचीत करके उनके प्रश्न को हल किया गया है। यह भी प्रोबलम उसी तरह से हल की जा सकती है, चाहे थोड़ी देर के लिये मान लें कि उनकी मांगें वाजिब हैं लेकिन आज जो कार्यवाही चल रही है वह सफल नहीं कही जा सकती, यह देश के लिये अच्छी बात नहीं है। उनका यदि यह ख्याल हो कि वे इस तरह की कार्यवाही करके जो जागीरें रिज्यूम हो गई हैं या आयन्दा होने वाली हैं वे इस आन्दोलन से फिर से मिल जायेंगी तो यह ख्याल गलत है। आज वह युग नहीं है कि जागीरें वापिस मिल जायें, हमेशा स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। आज देश की बदली हुई परिस्थिति में यह प्रथा उपयोगी नहीं है। यह सम्भव नहीं है कि ली गई जागीरें वापिस मिल जायें।

श्री जसवन्तसिंह—जो नई जागीरें बना रहे हैं उनका क्या होगा?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको अलग से हल करेंगे। जो जागीरें रिज्यूम हो गई हैं वे रहेंगी और जो नहीं हुई हैं वे ले ली जावेंगी। इसके अलावा जागीर रूल्स हैं, जागीर एक्ट हैं, उनकी तहत एक जगह बैठकर बहुत सी बातें तय की जा सकती हैं। जो मुश्किल बातें हैं उनका भी हल किया जा सकता है। मुआवजा देने के बारे में, खुदकाश्त की जमीन देने आजादी की ओर भी

[श्री रामकिशोर व्यास]

ध्यान दिया जा रहा है। रोजमर्रा का जो दफ्तर का काम है उसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कई बातें जसवन्तसिंहजी ने बताई और दूसरे सदस्यों ने भी बताई। रोजमर्रा की बातों में मुश्किलें सामने आना सम्भव है लेकिन कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो हल नहीं किया जा सकता। और भी बातें पुट-अप करते तो वे हल की जा सकती थीं एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं, वे भी हल की जा सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है।

मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से अपने सदन में जो राजपूत भाई सदस्य हैं उनसे कि राजपूतों का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है, त्याग और बलिदान का रहा है। जब जब जरूरत पडी है तब तब त्याग और बलिदान राजा—महाराजा और बड़े-बड़े जागीरदारों ने किया है। जो बलिदान बड़े-बड़े जागीरदारों ने किया है और जो काम सुन्दरता से हुआ है उसमें आखिरी टाइम में दाग नहीं लगाना चाहिए, उस पर काला धब्बा नहीं लगाना चाहिए। अधिकांश काम तो हो गया है। जब अधिकांश काम शान्ति से समाप्त हो गया है तो बाकी को भी मिल-जुल कर समाप्त करना चाहिए और मुश्किलात को हल करना चाहिए। यदि आप पूरी तरह से चाहें कि यह खत्म हो जाय, तो यह खत्म हो सकता है और इसको आप बखूबी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ वाजिब चीज हो सकती है, उसमें उनको एतराज नहीं हो सकता। मैं जोर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन को वापिस लेना चाहिए। यह कायदे के माफक नहीं है। इससे कोई पर्पज़ सर्व नहीं होगा। आप यदि शिकायत वाजिब समझते हों तो उसे गवर्नमेंट के सामने लावें। वाजिब बात का हल जरूर निकलेगा।

इस सम्बन्ध में और भी कई बातें कही गई। जयपुर में पुलिस राज्य के सिलसिले में, धारा १४४ के सिलसिले में कुंवर साहब ने गवर्नमेंट होस्टल के बारे में भी कहा कि वहां आदमी काफी इकट्ठे हो रहे हैं और शहर में जो पुलिस दिखाई देती है उसके बारे में भी कहा गया। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक जो एक्टिविटीज़ जगह जगह दिखाई दीं उनके लिहाज से काफी पुलिस का प्रबन्ध करना जरूरी था। उनका यह तरीका रहा कि हर काम में बाधा पहुंचाई जाय। कचहरी व दफ्तरों में जाकर रुकावट पैदा करना और यहां तक कि एसेम्बली के सामने भी प्रदर्शन करना, यह उनकी मंशा रही। ऐसी हालत में कलेक्टर ने मुनासिब समझा कि सुरक्षा के लिये और शहर में झगड़ा न हो इसलिये उन्होंने यह मुनासिब समझा कि धारा १४४ लगा दी जाय और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक ही लगाई क्योंकि उसके बगैर कई दिक्कतें आ सकती थीं। अब वे दिक्कतें आप लोगों के सामने नहीं आवेंगी।

आखिर एक बड़ी मुश्किल की चीज है। अगर इन्तजाम करते हैं तो कहा जाता है कि यह क्या सब जगह पुलिस ही पुलिस नजर आती है और अगर नहीं करते हैं तो कहते हैं कि क्या हो गया, पुलिस क्या मर गई थी? मिनिस्टरों के मकान पर इन्तजाम कर दिया, असेंबली के भवन पर इन्तजाम कर दिया और गवर्नमेंट होस्टल में जो सदस्य आये उनका इन्तजाम नहीं किया तो

[श्री रामकिशोर व्यास]

कहते हैं कि सब का इन्तजाम कर दिया और हमारे यहां होस्टल में कोई इन्तजाम नहीं किया गया। अगर पुलिस का इन्तजाम किया जाता है तो कहा जाता है कि आर्मी का कैंप क्यों हो रहा है ? दोनों तरफ की चीजें कैसे हो सकती हैं ? अगर सदन के नेता के लिए इन्तजाम कर दिया होता और दूसरों के लिए नहीं तो आपको इस तरह की शिकायत हो सकती थी। मगर इस तरह की बात नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह:—रात को हमने ठीक तरह से नींद ली।

उनकी हिफाजत के लिए ऐसा किया गया तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास:—एक पॉइन्ट और कहा गया कि पुलिस बहुत ज्यादती कर रही है। एक इन्स्टान्स तो बताया; उसके अलावा और कोई हुआ हो, किसी ने नहीं बताया। मुझे तो कोई दिखाई दिया नहीं। मैं यह कहूँगा कि स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। आज हमारी पुलिस इतनी सब्र और गम्भीरता से काम कर रही है कि जिन लोगों ने पुराना जमाना देखा है कह सकते हैं कि पुलिस किस हद तक बर्दाश्त कर रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह:—आप त्यागी जी से पूछिए क्या किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास:—आप देखिये कि आन्दोलन करने वाले भाइयों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, उनके कपड़े फाड़ दिये, गालियें दीं और फिर भी वे लोग सुनते रहे और टस से मस नहीं हुए। अगर आप इसकोपुलिस का रिप्रेशन कहते हैं तो बतावें कि आपको किस जगह पुलिस की ज्यादती दिखाई दी। एक बात आपने कु० बहादुरसिंह जी के बारे में बताई। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेन से आये थे और उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें वे भी आ गये और जब उन्होंने बताया कि उनका इस मूवमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उनको छोड़ दिया गया।

कु० श्री जसवन्त सिंह:-दो दिन के बाद।

श्री रामकिशोर व्यास:—रात को एक बजे तो वे आये ही थे और दूसरे ही दिन उनको छोड़ दिया गया। जेल में जाकर जो कहता है कि मैं रहना नहीं चाहता तो उसको छोड़ दिया जाता है। गिरोह में आ जावे तो आ जावे। ५ से ज्यादा आदमियों का गिरोह हो और उसमें वे भी आ जावें तो आ जावें।

(श्री भोपालसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष:—ऐसा डिस ऑर्डर हो गया तो पोइन्ट ऑफ आर्डर हो गया।

श्री रामकिशोर व्यास:—पुलिस ने तो सारे आन्दोलन में शांति से ही काम लिया है। सत्याग्रह की बात है। त्यागीजी ने कहा कि हमारी नीति आन्दोलन करने वालों को ठूंसे लगा कर बस में रखने की है। मैं आपको पूछता हूं कि अगर आन्दोलन कारी लेट जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप मोटर में तशरीफ रखिये, नहीं रखते हैं तो मजबूर होकर उनको उठा कर रखना पड़ता है। इसके अलावा क्या इलाज हो सकता है? जिस प्रकार का यह सत्याग्रह हो रहा है वैसा सत्याग्रह मैंने देखा नहीं। कांग्रेस ने सत्याग्रह चलाये हैं। उसमें नेता सबसे आगे आये थे। इस सत्याग्रह के नेता भी खुद आवें। महात्मा गांधी आये थे, नेहरू आगे आये थे; मगर यहां तो इस सत्याग्रह को चलाने वाले पीछे बैठते हैं। मैं यह कहूँगा कि जो सत्याग्रह करने वाले हैं उनको आगे आना चाहिए।

("हियर हियर" की आवाज।)

वे तो पीछे छिपते हैं; पुलिस से घबराते हैं।

दूसरा नमूना देखिये। सत्याग्रही आते हैं सत्याग्रह करने। पुलिस वारन्ट दिखाती है और गाड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं जब उन मे कि चलो तो वे नहीं चलते। वे कहते हैं खाना नहीं खावेंगे। उनको मोटर में बैठने को कहते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं बैठते। यह कैसा सत्याग्रह है? जब उनको पुलिस पकड़ती है। तो वे लेट जाते हैं, तब फिर हमको तो उन्हें उठाना ही पड़ता है।

श्री भैरू सिंह:—यह कौनसा कानून है ठूसे लगा कर उनको मोटरों में बिठाया जाय।

एक माननीय सदस्य—जैसे हैं, उनको गरीबो को उठाना पडेगा।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास:—इस पर भी आप देखिए जो सत्याग्रही आते हैं वे सिपाहियों के झटका भर लेते (काट जाते) हैं, जब वे उनको उठाते हैं। क्या यह भी सत्याग्रह का कोई तरीका है? तो मैं आपसे कह रहा था कि यह जो पुलिस के रिप्रेशन की बात कही जा रही है वह बिल्कुल गलत है। हमारे पास जनता की बहुतसी शिकायतें आई हैं कि वे लोग झटका भरते हैं या कपड़े फाड़ डालते हैं और पुलिस वाले देखते रहते हैं। यह बिल्कुल रिवर्स बात है। हमको पुलिस वालों की शांति की सराहना करना चाहिये। स्कूलों के लड़कों को बहकाया जाता है और वे लोग पुलिस पर पत्थर फैंकते हैं और पुलिस वाले देखते रहते हैं। इससे ज्यादा आप उनसे क्या चाहते हैं, फरमावें तो सही।

(हंसी)

दूसरी बात लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में आई है।

कु० श्री जसवन्त सिंह:—यह टेक्ट उधर की तरफ है, उधर से भी भूस्वामियों के लिए कहा गया है।

Page No.77

श्री भोपाल सिंह:—साफा बांधने वालों को पकड़ लिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास:—साफा वाले और नंगे सिर वाले जो आते हैं वे आजाते हैं।

श्री भैरूं सिंह:—क्या सफेद टोपी वाले भी पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष:—Order ! Order !

श्री रामकिशोर व्यास:—यह है कि उसमें साफे वाले ज्यादा होते हैं।

श्री भैरूंसिंह—(बोलने के लिए खड़े हुए)

(घंटी)

श्री भोपालसिंह—बोलने के लिए खड़े हुए।

श्रीअध्यक्ष—Order Please ! जब सब खड़े हो जाते हैं तो मुश्किल होता है।

श्री रामकिशोर व्यास—लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ी बातें अर्ज करनी हैं। यह तो कहा गया कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इम्प्रूव हुई है और दूसरी बात सरेन्डर ऑफ डेकोइट्स की कही गई है। पहले के बारे में मैं अभी न कह कर बजट के समय निवेदन करूंगा। सरेण्डर वाले पोइन्ट पर मैं अर्ज करूंगा।

बलवन्त सिंह के बारे में श्री हरिकृष्ण व्यास ने कहा कि उसको सरेण्डर कराया जा रहा है।

इस तरह की और भी चीजें मेरे नोटिस में आई। मैं यह कह दूं कि इस सिलसिले में यह भी कहा गया है कि बलवन्तसिंह ने पहले चीफ मिनिस्टर को और मुझे यह इतला देदी थी कि उसकी जान खतरे में है और उसकी रक्षा का इन्तजाम होना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बलवन्त सिंह नहीं हैयात ने।

श्री रामकिशोर व्यास—पर यह गवर्नमेंट नहीं कर सकी। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि बलवन्त सिंह के खिलाफ पहले भी कई डकैती और मर्डर के केसेज़ थे, उसने सरेण्डर किया और नागरिक की हैसियत से रहने लगा था।

हयात के बारे में जिनके लिये यह कहा जाता है कि उसने गवर्नमेंट को यह इन्फोर्म कर दिया था कि उसकी जिन्दगी खतरे में है और फिर भी उसकी कोई हिफाजत नहीं की गई, यह बात सही नही है। हादी साहब जो सदन के माननीय सदस्य हैं, वे आये थे मेरे पास और उनके साथ १-२ आदमी और आये थे। मुमकिन है उसमें हयात साहब हों। उनकी शिकायत यह थी कि बलवन्तसिंह लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल करना चाहता है और एक्चुअली किया था, लोगों पर दबाव

[श्री रामकिशोर व्यास]

डाला था इसलिये इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उन्होंने इसके लिये दरख्वास्त भी दी। उन्होंने लिस्ट बता दी कि फलां-फलां आदमियों से वसूल किया। वह दरख्वास्त मैंने आई० जी० पी० के पास इन्क्वायरी के लिये भेज दी। यह चीज मुझे मालूम नहीं थी और न उन्होंने जबानी भी जब बातचीत हुई थी कहा था कि उनकी जान खतरे में है। उनकी तो शिकायत यही थी कि बलवन्तसिंह लोगों से जबरदस्ती रुपये वसूल कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि अगर ऐसा है तो जांच करके उसको सजा दी जायगी; अगर वह ऐसा करता है तो। चुनांचे मैंने वह दरख्वास्त इन्क्वायरी के लिये आई० जी० पी० के पास भेज दी। आखिर में बलवन्तसिंह और उनके आपस में झगड़ा हो गया और बलवन्तसिंह ने उनको मार डाला।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक सैकिंड, दरख्वास्त और आई थी क्या? पहली का तो आपने जिक्र किया।

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे पास तो एक ही एप्लीकेशन आई थी, मुझसे मिलकर एप्लीकेशन दी थी दूसरी मुझे नहीं दी थी। उसके बाद वे मार दिये गये। शिकायत न तो हयात गवर्नमेंट के सामने लाये थे और न ही वे गवर्नमेंट की नोटिस में लाये थे कि उनकी जान को खतरा है और इसलिये गवर्नमेंट ने उनकी हिफाजत का कोई प्रबन्ध नहीं किया। इस प्रकार की चीज वे नोटिस में नहीं लाये। वे तो यही नोटिस में लाये कि उसकी इस प्रकार की एक्टीविटीज़ हैं, लोगों से नाजायज तौर पर पैसा वसूल कर रहा है। उसके बाद व्यासजी ने बताया कि पर्सनल झगड़े हमेशा से चलते आ रहे थे। पोइन्ट जो रहता है वह सरेन्डर के बारे में है। सांकड़ा का प्रश्न भी आया, सरेन्डर की क्या सारी पोलिसी है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि डेकोइटीज़ को खत्म करने के कई तरीके हैं। या तो उनसे डाइरेक्ट एन्काउन्टर करके खत्म करें। यह भी हो सकता है कि भावना में परिवर्तन हो जाय। वह आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है और इसके लिये बहुत से कारण हो सकते हैं, सब के मन के विचारों के बारे में कोई कहा नहीं जा सकता, विचारों में परिवर्तन लाया जाय। उससे क्राइम्स में कमी आवेगी, यह भी एक थ्योरी है। उसी थ्योरी को लेकर श्रद्धेय व्यासजी ने सांकड़ा में प्रयोग किया और बहुत सारे डकैतों को समझाया और जिससे बहुतों ने नागरिक जीवन में रहना शुरू किया। यह एक अनुभव था, एक्सपेरिमेंट था जिसको कि जांचना था कि इससे कितना लाभ होने वाला था, कहां तक पूरा हो सकता है और नहीं हो सकता है। वे खुद ही इसको एक्सपेरिमेंट बताते हैं और मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था और किया जाना चाहिए। जहां इस तरह के इलाके हों कि जहां कोई कानून न हो, डाका नहीं डाला तो वह आदमी ही क्या; जहां इस तरह की भावना चल रही हो कि अगर एक आदमी डाका न डाले तो शादी विवाह नहीं हो सकते। तो इस तरह के इलाकों में वहां के वातावरण में परिवर्तन लाया जाय, स्कूल खोली जाय, जागृति और चेतना का काम किया जाय। वहां एक अजीब बात और है। उसे एक्स ट्राइब्स का देश कहते हैं। इस तरह का इलाका हो, जहां कि लोग इस काम में लगे हों कि वहां का रहने वाला ज्यादा

[श्री रामकिशोर व्यास]

चोरी-डाके डालने वाला हो और इस प्रकार का वातावरण बन गया हो, चोरी को बुराई न समझते हों, बल्कि उसको पसन्द करते हों और जब तक डाका नहीं डाला तो शादी विवाह न हो, इस कुए का पानी पीयेगा तो डाका जरूर डालेगा, तो जहां इस प्रकार का वातावरण उन इलाकों में हो तो वहां के वातावरण में परिवर्तन किया जाना एक प्रयोग मात्र ही हो सकता है और यह प्रयोग सांकड़ा में भी किया गया, करना चाहिए और उससे लाभ भी हुआ।

वहां मैं गया। जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है गवर्नमेन्ट ने हमेशा कोऑपरेट किया, गवर्नमेन्ट के पास जो साधन उपलब्ध थे उनको काम में लिया। वहां के अफसरों से पूछा कि जिन लोगों ने सरेन्डर किया उनकी कितनी शिकायतें हैं; चोरी की डाके की और उनका क्या रहन सहन है ? उन्होने कहा कि अब तक ज्यादा शिकायतें नहीं हैं और आगे उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा, वे कह नहीं सकते। दो एक साल का अनुभव रहा तो उससे पता चला कि उन लोगों ने डाके नहीं डाले। बलवन्तसिंह के लिए कहा गया, जरूर वापिस भाग गया; यह नहीं कहा गया कि कोई आदमी सरेन्डर करे और वापिस भाग जाय तो उसकी जिम्मेदारी व्यासजी पर हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है।उन्होने एक्सपेरिमेन्ट किया था, चला जा भी सकता है। सरेन्डर के बारे में पोलिसी यही है कि कोई भी डकेत सरेन्डर करना चाहे तो जरूर करे, कानूनी स्वरुप जो है उसको पूरा किया जायगा। कानूनी स्वरूप में कमी कभी नहीं करते; उसके बाद जो सरेन्डर करना चाहे करे। उसके बाद जीवन सिंह की बात भी आयी और उस पर भी बहुत जोर दिया गया। उस सिलसिले में भी आपसे मैं निवेदन करूं कि यह बारबार कोशीश चलती रही है कि जोधपुर डिविजन में जहाँ पर कि 'डकैत ज्यादा हैं, उनको खत्म किया जाय और पुलिस से हम बार बार कहते रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डकैतों के इन गैंग्ज़ को खत्म करना चाहिए और इन्डिविजुअल डकैतों को भी, पाली के इधर का इलाका हैं उसमें जीवनसिंह के साथ एन्काउन्टर करके, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। उस सिलसिले में भी बात आयी कि दूसरा हो सकता है और सरेन्डर होता हो तो सरेन्डर हो, नहीं तो जल्दी से जल्दी खत्म करो। सरेन्डर करने से पहले वह विश्वास चाहता था और वह यह चाहता था कि मोहनसिंहजी भाटी यह कह दे कि आपस में जो बातचीत होगी उसकी पाबन्दी होगी, तो मैं सरेन्डर करता हूँ। मोहनसिंहजी ने यह कहा कि माथुर साहब यह कह दें कि जो बातचीत होगी उसकी पाबन्दी होगी तो मैं कह दूंगा। इस तरह की चीजें मेरे नोटिस में लायी गई। तो मैंने यह कह दिया कि पुलिस अधिकारी हैं, कोई भी सरेन्डर करे तो कानूनी स्वरुप में हो और उसके अनुसार ही वह मुशतहक होगा। सबजुडिस आश्वासन देने........

(अश्रव्य)

तो उस सम्बन्ध में बातचीत हुई। प्रश्न यह आया कि रेकर्ड हुआ या नहीं। रेकर्ड नहीं हुआ। ऐसी चीजें रेकर्ड में आती नहीं हैं। अब तक जितनी भी बाते आयीं वे जुबानी आयी थीं और नेगोशियेशन्स के रुप में थीं, चाहे ऑफिसर्स ने की हों या दूसरों ने की हों। ऐसी बातें तो कम होती है

[श्री रामकिशोर व्यास]

कि कोई अचानक ही आ जाय। ज्यादातर तो समझाने बुझाने पर ही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर वह सरेन्डर करने को तैयार है, इन शर्तों के साथ तो ठीक है करिये बात, कोशिश करिये और इसी वजह से मोहनसिंहजी से बात हुई और मथुरादासजी से बात हुई, लेकिन वह जो बातें हुई उसमें कुछ बातें मुझको नहीं जंची; स्पष्ट उसके लिए नहीं कहा। फिर उसको कहा, वह तैयार नहीं हुआ। जमानत वाली बात थी तो हमने कहा कि इस तरह की वह चीज हमारे हाथ में नहीं है। अदालत चाहेगी तो जमानत लेगी और नहीं चाहेगी तो नहीं लेगी।

दूसरी चीज यह रेज़ हुई कि साहब, पुलिस वहां गई थी तो उसको एरेस्ट क्यों नहीं कर लिया। जब पुलिस वहां मौजूद थी तो फिर उसने न तो सरेन्डर किया और न ही उसने उसे एरेस्ट किया। उसके लिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि अलबत्ता पुलिस जो है वह नेगोशियेट करने के लिए गई थी उसके यहां, जहां कि वह अकेला ही नहीं था लेकिन और भी बहुत से आदमी आसपास मौजूद थे उसकी हिफाज़त करने के लिए। दूसरा यह है कि नेगोशियेशन जो हैं वह सोफ्ट कोर्नर से चलती है। ऐसा नहीं होता है एकाएक कि उसी वक्त वह चीज़ खत्म हो जाय और बहुत जल्दी ही नेगोशियेशन टूट जाय। नेगोशियेशन खत्म नहीं हुआ था और आगे चलने की बात थी। इसलिए उस वक्त एरेस्ट करने की चीज़ इसमें नहीं थी। बात चल रही थी। अगर वह सरेन्डर न हो और नेगोशियेशन टोटल्ली ब्रेक अप हो जाते, तो वह बात आती एरेस्ट करने वाली। नेगोशियेशन चल रहे हैं। टोटल्ली ब्रेक अप न हो जायं, तब तक एरेस्ट करने वाली बात आती नहीं है। इसलिए सारी परिस्थिति इस प्रकार की थी कि एरेस्ट होने की बात बराबर नहीं थी। जब यह मालूम हुआ कि नेगोशियेशन्स खत्म हो गये हैं तो उसको पर्स्यु किया। स्पेशल पार्टी ले गए, फोर्स ले गये और उसके दो लेफ्टिनेन्ट्स को फिनिश कर दिया। एक को तो अभी दो-एक हफ्ते पहले ही खत्म किया है। उसके खिलाफ जो बात चल रही है वह हाउस के सामने कहना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो स्थिति यहां पैदा हुई है उसका स्पष्टीकरण मैंने किया। जहां तक सरेन्डर करने की बात है वह करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ कर सकते हैं कि कानूनन सुलूक के वे जो मुस्तहक़ हैं वह उनके साथ होगा। उसके लिए हम रियायत करने को तैयार नहीं हैं। किसी भी गवनमेंट के सामने वे अपने आपको सरेन्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

अब कुछ बातें एम. ई. एस. ब्लॉक्स के सिलसिले में कही हैं। एक तो सरदारशहर के बारे में कही है और दूसरी सांकड़ा के बारे में। सरदारशहर के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने यह फरमाया है कि वहां कुछ काम नहीं हुआ है, एक्चुअल वर्क स्टार्ट होने से पहले सर्वे करना जरूरी हो जाता है। सर्वे नहीं हुआ था तो सर्वे हो रहा है। सर्वे की वजह से एक्चुअल वर्क शुरू नहीं हो सका। वह करीब २ अब खत्म हो गया है।

श्री चन्दनमल वैद—ओपनिंग सेरेमनी सर्वे के बाद होती तो क्या ठीक नहीं होता?

श्री रामकिशोर व्यास—वह पहले ही होता है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

दूसरी बात सांकड़ा के लिए कही है कि कुछ नहीं हुआ। वह किस हद तक ठीक है। वह इस हद तक ठीक है कि सांकड़ा में एम. ई. एस. की प्रगति जितनी सन्तोषजनक होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि एम. ई. एस. ब्लॉक्स में ज्यादातर एग्रीकलचर का काम होता है और वहां पीपल्स का पार्टीसिपेशन होता है। सांकड़ा के ब्लाक एरिया में खेती की पोसीबिलीटीज नहीं हैं। पीपल्स पार्टीसिपेशन बिल्कुल कम है। फेसिलिटीज कम होने की वजह से वर्क जितना सन्तोषजनक होना चाहिए था वह नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा चेन्ज करना है। वहां ऊन उपजाने के लिए वेटरनरी की चीजें तथा पशु सम्बन्धी चीजों पर ध्यान देकर वहां करना चाहते हैं। यही वजह है कि एग्रीकलचर साइड में प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हुई है।

एक बात और कही थी। मैं जानकारी कर रहा हूँ और जानकारी करने के बाद कहूंगा।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—श्री मोहनसिंहजी भाटी को कुछ नहीं कहना है। (श्री भाटी को लक्ष्य करते हुए) इनके एक्सप्लेनेशन के बाद में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री मोहनसिंह भाटी—कुछ लोगों ने मेरे बारे में कहा है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने (श्री रामकिशोर व्यास ने) सारा बतला दिया, उसके बाद भी कुछ कहना चाहते हैं? फेक्ट्स की कोई बात हो तो कहिये। आपकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है गवर्नमेंट ने।

Now we adjourn to meet again this evening at 4 P. M.

(सभा की कार्यवाही १२ बजकर ५५ मिनिट पर सायंकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-८ मार्च, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

राजस्थान विधान सभा

छठी बैठक, गुरुवार, दिनांक ८ मार्च, सन् १९५६ ई०

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में (मध्यान्होत्तर) ४ बज कर १५ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सन् १९५६-५७ के आय-व्ययक की प्रस्तुति के समय आय-व्ययक भाषण

श्री अध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(करतल-ध्वनि)

श्रीबृजसुन्दरशर्मा(वित्त मंत्री):—महोदय, मैं राजस्थान राज्य का १९५६-५७ का वार्षिक वित्तीय लेखा प्रस्तुत करता हूँ। मुझे चालू वर्ष का आय व्ययक प्रस्तुत करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

२. आगामी वित्तीय वर्ष का आय-व्ययक कुछ भिन्न पृष्ठ भूमि के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवसान हो रहा है और हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ पर हैं। देश का लक्ष्य समाज को समाजवादी ढांचे में ढालना है और यह स्वीकार किया गया है कि हमारी आर्थिक और सामाजिक नीति का उद्देश्य इस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिये।

३. प्रथम पंचवर्षीय योजना ने लोगों के मस्तिष्क में एक चेतना उत्पन्न करने तथा उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति एवं प्राप्ति कराने में महत्वपूर्ण योग दिया है। योजना के तैयार करने के समय देश को युद्ध और विभाजन के द्वारा उत्पन्न गंभीर उथल-पुथल, विशेषत: अन्न और आवश्यक कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा। कृषि और सिंचन के कार्य-क्रमों की अभिपूर्ति के फलस्वरूप, खाद्यान्नों और कच्चे माल की कमी दूर हो गई है। औद्योगिक उत्पादन में तथा स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था में भी वृद्धि हुई है। परन्तु आवश्य-

Page No.83

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

कताओं के अनुरूप नियोजन की संभावनाओं को बढ़ाना संभव नहीं हो सका है और खाद्यानों के मूल्यों में जो गिरावट आई उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अर्थ-व्यवस्था में नियोजन की दर अपर्याप्त है और यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में विनियोजनों में वृद्धि पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक बल दिया जावे। अर्थ शास्त्रियों ने औद्योगीकरण पर अधिक जोर देने का परामर्श दिया है।

४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्दर पूरे किये जाने वाले लक्ष्यों का उद्देश्य और विस्तार राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा प्रकाशित रूप-रेखा के प्रारूप में बतलाया गया है। इसलिए, उन विचारों की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, विशद रूप में चर्चा करना अनावश्यक है। उनकी प्राप्ति के साधनों और उद्देश्यों पर योजना और कार्यकारी अधिकारियों के मध्य विभिन्न स्तरों पर हुए वाद-विवादों में पूर्ण रूप से विचार विमर्श हो चुका है।

५. यद्यपि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य-क्रम बनाते समय आने वाले लम्बे अर्से की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का दृष्टिकोण होना चाहिये तथापि बेरोजगारी जैसी तात्कालिक समस्याओं को यथा-संभव शीघ्र सुलझाने का प्रयत्न किया जाना जरूरी है। तद्नुसार इयत्तात्मक अनुमान दो मुख्य बातों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं:—

(क) प्रति वर्ष ५ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तथा।

(ख) योजना काल में १ करोड़ दस लाख से १ करोड़ २० लाख व्यक्तियों के लिये नये रोजगार पैदा करना।

६. यह स्पष्ट है कि विनयोजन की दर में वृद्धि होनी चाहिये और इसके लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र और राज्यों के संपूर्ण साधनों की जांच की है और प्रत्येक के लिये अतिरिक्त करों से आय के लक्ष्य निश्चित कर दिये हैं।

७. कुछ समय के लिये मूल्यों में गिरावट के सिवाय, जिसको रोकने के लिये भी भारत सरकार और राज्य सरकारें द्वारा कदम उठाये गये थे, गत दो वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। चालू आर्थिक प्रवृत्तियां भी अनुकूल है और भविष्य में उन्नति की आशा है।

८. आगामी वर्ष के लिये आयव्ययक के अनुमान बनाते समय जिस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखना चाहिये उसका दिग्दर्शन कराने के बाद गत दो वर्षों के आंकड़ों का विवरण देना और चालू वित्तीय वर्ष की कार्य व्यवस्था का सिंहावलोकन करना उपयुक्त होगा।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

१९५३-५४ के लेखे

१९५३-५४ में वास्तविक राजस्व आय १८८८.५० लाख रु० की हुई जिसके मुकाबले राजस्व से होने वाला वास्तविक व्यय १८३५.०९ लाख रु० का हुआ। इस वर्ष में ५३.४१ लाख रु० की बचत हुई। पूंजी लेखे पर कुल व्यय २७२.२१ लाख रु० का हुआ।

१९५४-५५ के लेखे

१०. मूलतः प्राप्तियों और व्यय दोनों के अन्तर्गत आयव्ययक अनुमान संतुलित स्थिति की प्रत्याशा करते हुये २१५५.११ लाख रु० के रखे गये थे। संशोधित अनुमानों में यह अंक २२११.०० लाख कर दिया गया जिसके मुकाबले में वास्तविक आय २२५४.४६ लाख रु० हुई।

११. व्यय के अनुमानों में सामाजिक कल्याण विभागों के लिए बढ़ा कर रकम रखने के अलावा विकास के शीर्षकों; जैसे सार्वजनिक निर्माण, सिंचन, विद्युत् आदि शीर्षकों के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर व्यय की व्यवस्था रखी गई थी। राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति १९५१-५२ और १९५२-५३ में न के बराबर थी। वास्तव में ठीक तौर पर कार्य १९५३-५४ में प्रारम्भ किया गया और १९५४-५५ में प्रगति में काफी तेजी आई। प्रगति को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान बढ़ाकर २१९०.९९ लाख रखे गये। बहुत से शीर्षकों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय प्रत्याशाओं से कम हुआ। इसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में कुल राजस्व व्यय, केवल २०६६.०० लाख रु० का हुआ।

१२. १९५४-५५ की वास्तविक प्राप्तियां २२११.०० लाख रु० के संशोधित अनुमान के मुकाबले में २२५४-४६ लाख रु० की हुई। इस द्वितीय वर्ष में १८८.४६ लाख रु० की बचत रही।

१९५५-५६ के आयव्ययक अनुमान

१३. कुल प्राप्तियों का अनुमान २२३०.०० लाख रु. रखा गया था। भू-राजस्व राज्य आबकारी कर, वन, मोटर गाड़ी अधिनियम, सिंचन, ब्याज, शिक्षा, उद्योग और रसद, नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्राप्तियां, केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान और सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और स्थानीय विकास निर्माण कार्यों आदि के लिए प्राप्तियां आदि महत्वपूर्ण शीर्षक थे जिनके अन्तर्गत अधिक प्राप्तियां होने की आशा की गई थी। भू-राजस्व के अन्तर्गत अनुमान में पुनर्ग्रहीत जागीरों से राजस्व के कारण २१० लाख रु. सम्मिलित थे। राज्य आबकारी कर के अन्तर्गत गत वर्ष के वास्तविक आंकड़ों तथा अवैध रूप से शराब खींचने को रोकने के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए आय में वृद्धि की आशा की गई थी। वनों के अन्तर्गत भी जागीरी वनों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा गया था। मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में मुख्यतः राज्य में

[श्री वृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

सड़क विकास के कारण सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से साल दर साल वृद्धि होती रही है। सिंचाई के अन्तर्गत लाये गए अतिरिक्त क्षेत्रों से होने वाली आय को पुर्वानुमानों में सम्मिलित कर लिया गया था। गत वर्षों में काटे गये आयकर के प्रत्यर्पण के कारण बकाया की वसूली को ध्यान में रखते हुए ब्याज के अन्तर्गत अधिक आय का अनुमान किया गया था। शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता और शिक्षण शुल्क में वृद्धि के कारण बढ़ी हुई प्राप्तियों की आशा थी। उद्योग और रसद के अन्तर्गत अधिक आय का अनुमान किया गया था क्योंकि गंगानगर शुगर फैक्ट्री, जो सरकार के पास पट्टे पर थी, से होने वाली सकल प्राप्तियां व्ययों के लिए, व्यय के अनुमानों में व्यवस्था करने के बाद जोड़ दी गई थी। नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत अन्तर्राजकीय और प्रति रक्षा सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा रखी गई रकम सम्मिलित करली गई थी। सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के कारण, प्राप्तियों का अनुमान, वर्ष में किये जाने वाले व्यय के अंकों को ध्यान में रखते हुए, बढ़ा कर रखा गया था। महत्वपूर्ण शीर्षक जिसमें २५० लाख रु. से अधिक कमी दिखाई दी वह '१३—अन्य कर और महसूल' था। १ अप्रेल, १६५५ से अन्तर्राजकीय आगम-निगम करों की समाप्ति इस कमी के लिए उत्तरदायी थी। बिक्री कर से होने वाली आय और कस्टम्स ड्यूटीज की बकाया के संग्रहण के कारण १३२ लाख रु. का अनुमान रखा गया था। ऐसे कुछ शीर्षक और भी हैं। जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में कमी प्रदर्शित करते हैं।

१६५५-५६ के संशोधित अनुमान (प्राप्तियां)

१४, वास्तविक आंकड़ों की प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान २१७३.५२ लाख रु. का आता है जिसमें ५६.४८ लाख रु. की शुद्ध कमी है। संघीय आयकारी कर, निगम कर के अलावा आय पर कर, स्टाम्प, वन, पंजीयन, मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, अन्य कर और महसूल, कारागार तथा बन्दी बस्तियां, पुलिस, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग और रसद, विविध विभाग, बहुप्रयोजन नदी योजनाओं से प्राप्तियां, अर्धवार्षिकी की सहायता में प्राप्तियां, लेखन सामग्री तथा मुद्रण और विविध में सुधार हुआ है। अन्य शीर्षकों में कमी है जिनमें से राजस्व, राज्य आबकारी कर, सिंचन, ब्याज, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, नागरिक निर्माण कार्य, केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान, सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और स्थानीय विकास कार्य निर्माण मुख्य हैं। 'भू-राजस्व' के अन्तर्गत पुनर्ग्रहित जागीरों से त्याशित राजस्व के अंक में ६० लाख रु. की कमी है, इसका कारण यह है कि प्रत्याशित मात्रा में जागीरें, पुनर्ग्रहित नहीं की जा सकीं और कुछ संग्रहणों में भी विलम्ब होगया प्रतीत होता है। राज्य आबकारी करके अन्तर्गत अनुज्ञा-शुल्कों में कमी के कारण हानि को पूरा करना संभव नहीं हुआ और इसलिए ५ लाख रु. की कमी दिखलाई गई है। सिंचन ऐसा शीर्षक है जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ है; इसके विपरीत कमी हुई है। इसका कारण यह है कि सिंचन की प्राप्तियां भू-राजस्व की प्राप्तियों के साथ मिल जाती हैं। सिंचिन के दायित्वों के निर्धारण का कार्य सिंचन विभाग को हस्तांतरित

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

किया जा रहा है। दरें भी बढ़ा दी गई हैं और भविष्य में सुधार की आशा है। 'व्याज' के अन्तर्गत आय कर के प्रत्यर्पण के लिए हमारे अभ्यर्थनों के केवल आधों का ही भुगतान दिये जाने की आशा है इसलिए कमी हो गई है। 'शिक्षा' के अन्तर्गत योजनाओं की प्रगति कम होने के कारण केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता कम होगी और चूंकि शिक्षण शुल्क में वृद्धि को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित नहीं किया जा सका, इस कारण भी कमी हुई है। कार्य की प्रगति मन्द होने के कारण नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदानों के अन्तर्गत भारत सरकार से कम रकम प्राप्त होगी।

१९५५-५६ के संशोधन अनुमान (व्यय)

१५. व्यय में भी वृद्धियां और कमियां हुई हैं। संशोधित अनुमानों का जोड़ २४६६.२६ लाख रु० के आय व्ययक अनुमान के मुकाबले में २४२०.८५ लाख रु० का होता है। वृद्धियां-१०-वन, १३-अन्य कर और महसूल (कस्टम्स विभाग के अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग को सूचना वेतन (Notice Pay) और वेतन दिये जाने के कारण), १९-सिंचन, नौचालन, तट बंधन और जल विकास निर्माण कार्य संघीय वित्तीय एकीकरण समझौते (फेडरल फाइनेन्शियल इन्टीग्रेशन एग्रीमेंट) के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों से काम पूरा किया जायगा। २२-ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज (केन्द्रीय ऋणों पर व्याज की बकायाओं के भुगतान और १७ और ५२ शीर्षकों को कम स्थानांतरणों के कारण), २५-सामान्य प्रशासन (विस्तारीकार्य कलाप २६-पुलिस (कानून और व्यवस्था की स्थिति की दृष्टि से बढ़े हुए व्यय और पहले के दो दायित्वों के भुगतान के कारण), ३८-चिकित्सा (स्वीकार की गई अतिरिक्त विकास योजनाओं के कारण), ३९-जनस्वास्थ्य (ग्राम जल प्रदाय योजनाओं के लिए बढ़ी हुई व्यवस्था और अवक्षयण संचित निधि को अंशदान की बकाया और वर्ष में स्वीकृत अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के लिए व्यवस्था), ५४- दुर्भिक्ष (भारत सरकार से प्राप्त बढ़ी हुई सहायता की दृष्टि से निधि को अधिक स्थानान्तरण करने के कारण), ५५-अधिवार्षिकी भत्ते (निवृत्ति वेतन के मामलों का जल्दी निबटारा), ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण (बढ़ा हुआ उत्पादन), ५७-विविध (विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत, विशेषतः प्रमुख व्यक्तियों के आगमन के कारण) और ६३-असाधारण व्यय (रसद विभाग की समाप्ति में विलंब) के अन्तर्गत दिखाई गई हैं।

१६. बहुत से शीर्षक ऐसे हैं जिनमें महत्वपूर्ण कमी हुई है, जैसे ७-भू-राजस्व (जिनके पुनर्ग्रहित की जाने की आशा थी ऐसी कुछ जागीरों को पुनर्ग्रहित न किये जाने के कारण क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत बचत होने की संभावना है), ८-राज्य आबकारी कर (मदिरा, अफीम आदि के क्रय के लिए कम भुगतान किये जाने की संभावना है), १७-सिंचन निर्माण कार्यों पर व्याज-(वाणिज्यिक)-(कार्यों की आशा से अधिक मंद गति के कारण), ३६-वैज्ञानिक विभाग (कम व्यय), ३७-शिक्षा (विकास योजनाओं के देर से आरम्भ करने तथा साज सामान और अन्य सामग्री का क्रय न करने के कारण), ५२-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत पर व्याज (योजनाओं की

[श्री वृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

प्रगति धीमी होने के कारण), ५०-राजस्व से वित्त-पोषित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (संशोधित वर्गीकरण के कारण इस शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली व्यवस्था ५०-नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दी गई है) ११ पंजीयन , १२-मोटरगाडी अधिनियम के कारण व्यय, ४०-का-ग्राम विकास, ४१-पशुचिकित्सा , ४२-सहकारिता और ४७- विविध विभाग के अन्तर्गत मूलतः अपनाये गए अंकों की तुलना में कुछ कमियां हुई हैं। अन्य शीर्षकों में वृद्धि या कमी नहीं है।

१७. शुद्ध परिणाम यह है कि व्यय में मूल अनुमानों के ऊपर ४८.४४ लाख रु० की कमी हुई है। खर्चे की प्रगति से दीखता है कि संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित राशियों को खर्च करना विभागों के लिए संभव नहीं हो सके और हो सकता है कि कुछ शीर्षकों में वास्तविक व्यय संशोधन अनुमानों में रखे गये व्यय से कम रह जाय। यह भी संभव है कि कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियां कुछ ज्यादा हो जाएं।

१८. संशोधित अनुमानों के अंकों के अनुसार राजस्व में २४७.३३ लाख रुपये का घाटा आता है जब कि मूल रूप से २३६.२६ लाख के घाटे की आशा की गई थी। किंतु आशा है कि चालू वर्ष में घाटा २०० लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

१९. पूंजी व्यय संबंधी कार्य-क्रम के अन्तर्गत कुल अनुमान १५१५.११ लाख रुपये का था क्योंकि चालू वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण योजनाओं को पूरी करने के लिए विकास संबंधी शीर्षक के अन्तर्गत बढ़ा कर व्यवस्था की गई थी। कुछ एक शीर्षकों में वास्तविक प्रगति इतनी नहीं हुई है जितनी कि आशा थी और वास्तविक खर्चे के अनुमानित अंको से कम होने की आशा है। पर कुछ शीर्षक ऐसे भी हैं जिनमें प्रगति अपेक्षाकृत अच्छी रहने के कारण अनुपूरक मांगे लेनी पड़ीं।

२०. "६८- सिंचन आदि कार्यों का निर्माण" के अन्तर्गत आयव्ययक अनुमान के ६५७.५२ लाख रुपयों के स्थान पर संशोधित अनुमान ५०३.४७ लाख का है। ऐसा कार्यों की प्रगति धीमी होने के कारण है। "७०-सार्वजनिक स्वस्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत" के अन्तर्गत कुछ थोड़ी सी वृद्धि है। "७१-कृषि सुधार और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत" नया शीर्षक है। वर्गीकरण में परिवर्तन हो जाने के कारण कम्प्रैशरों संबंधी व्यवस्था इस शीर्षक के अन्तर्गत की मानी चाहिये। "७२ औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत" के अन्तर्गत राजस्थान वितीय निगम (Rajasthan Financial Corporation) तथा बीकानेर जिप्सम के और अधिक हिस्से खरीदने तथा सरकारिता के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चलाई गई कर्णधार योजनाओं (Pilot Schemes) को कार्यान्वित करने के लिये अनुपूरक अनुदान मांगना पडा। "८०-का-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत" के अन्तर्गत ३९०.८५ लाख के मूल अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान

[श्री बृजसुन्दर शर्मा वित्त-मंत्री]

१०७१.८६ लाख का है क्योंकि १९५२-५३ और १९५३-५४ में उभय पक्षीय कार्यों के लिये पंजाब सरकार द्वारा ९०६ लाख रुपये राजस्थान के नाम में लिख दिये गये हैं जब कि आय-व्ययक अनुमान तैयार करते समय पंजाब सरकार ने हमें केवल १९२.७७ लाख रुपयों की ही सूचना दी थी। "८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे" के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सड़कों के लिये व्यवस्था बढ़ाई गई है। "८१-का-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के लिये संशोधित अनुमानों में काम की प्रगति धीमी होने तथा स्थिर संयंत्र और मशीनें (Plant and Machinery) न आने के कारण, काफी कम व्यवस्था दिखाई गई है। "८२-राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय कार्यों के पूंजी लेखे" के अन्तर्गत भी प्रगति धीमी होने के कारण कमी दिखलाई गई है। "८५का-राजकीय व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत" के अन्तर्गत पुराने लेखों से संबंधित समायोजन किये जाने के कारण वृद्धि हुई है।

२१. चालू वर्ष के कार्य कलापों का पुनर्निरूपण करते समय मैंने विभिन्न मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत कमी या वृद्धि का मोटे रूप से लेखा प्रस्तुत कर दिया है। विस्तृत स्पष्टीकरण आय-व्ययक स्मृति-पत्र में दिया गया है। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों की विशिष्टताएं बतलाई गई हैं। फिर भी मैं विकास विभागों से संबंधित कार्यवाहियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा।

२२. शिक्षा के क्षेत्र में १९५५-५६ में ८०० नये प्राथमिक विद्यालय, २५ माध्यमिक विद्यालय, और २० उच्च विद्यालय खोले गये हैं। १०० प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है और १२ आदर्श स्कूल बुनियादी माध्यमिक स्कूलों में बदल दिये गये हैं।

२३. सैकिन्डरी एज्यूकेशन कमीशन की सिफारिशों के अनुसरण में २५ उच्च विद्यालय बहु प्रयोजन विद्यालयों (हाइयर सैकिन्डरी स्कूल्स) में परिवर्तित कर दिये गये हैं। राजकीय विद्यालयों में निम्न शिल्पों की शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है :—

(१) धातु का कार्य :

(२) बढ़ईगिरी,
(३) दर्जी का काम,
(४) कताई और बुनाई,
(५) प्रारंभिक कृषि इंजीनियरिंग,
(६) चमड़े का काम,
(७) गृह विज्ञान, और
(८) शिल्पशाला का कार्य,

[श्री बृजसुन्दर शर्मा वित्त-मंत्री]

२४. शिक्षितों में बेरोजगारी को दूर करने के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ में प्राथमिक विद्यालयों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ३०० शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

२५. "नागरिक निर्माण कार्य" और "जन स्वास्थ्य" के अन्तर्गत १९५५-५६ में लगभग १,४०० मील लम्बाई की सड़कें तैयार हो जायगीं। योजना में सम्मिलित सड़कों के अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय और सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण भी हाथ में लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें ये है;—

(१) शेरगढ़-पोकरन सड़क,
(२) हनुमानगढ़-अबोहर सड़क,
(३) रानीवाड़ा-देरा सड़क,
(४) सवाई माधोपुर-पाली सड़क, और
(५) बांसवाड़ा-नागवाड़ा सड़क पर माही नदी के ऊपर पुल।

कई सारे भवन भी बनकर तैयार हो चुके है और कुछ में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में बाहर के रोगियों के लिये वार्ड के अलावा कोटा में अस्पताल और उदयपुर अस्पताल में अतिरिक्त वार्डों का निर्माण भी चल रहा है। जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज में अस्पताल का भवन, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय का भवन तथा जयपुर का उच्च न्यायालय का भवन उन थोड़े से महत्वपूर्ण भवनों में से है जिन्हें चालू वर्ष में हाथ में लिया गया है।

२६. जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत सरकारी जल-प्रदाय गृहों (Water Works) में कुछ सुधार करने के अतिरिक्त निम्न लिखित जल प्रदाय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये नगर समितियों (Municipal Board) को ऋण दिये गये:—

(१) अलवर	(२) उदयपुर	(३) गंगानगर
(४) बालोतरा	(५) पाली	(६) भादरा।

पाली और अलवर की जल-प्रदाय योजनाऐं पूरी हो चुकी है और उन्होंने नियमित रूप से पानी पहुँचाना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गये राष्ट्रीय जल प्रदाय व सिंचन कार्य-क्रम के अन्तर्गत ११-अन्य जल प्रदाय योजनाओं का संपादन आरंभ कर दिया गया है। इन पर लगभग ६० लाख रुपयों की लागत लगेगी।

२७. विद्युत व यंत्र विभाग (Electrical and Mechanical department) ने काम दिलाने की सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से ३ बड़ी बड़ी योजनाओं (१) तापीय शक्ति केन्द्र

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

का विकास, (२) राजस्थान की विद्युत् योजना अर्थात् भाखरा नागल परियोजना और (३) शहरी व ग्रामीण विद्युत् योजना—को आरम्भ किया।

२८. इन योजनाओं के संबंध में अधिक प्रगति नहीं हो सकी। तापीय शक्ति केन्द्रों के लिये बहुत सी चीजें, साज सज्जा और सामान टैकनिकल कोऑपरेशन मिशन की सहायता के अन्तर्गत प्राप्त करना है। इस साज सज्जा के लिये अपेक्षित राशि डाइरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज़ एन्ड डिस्पोज़ल्स के द्वारा व्यय करने के लिये उपलब्ध कर दी गई है। हिन्डोन–करोली, निवाई-टोंक, रायसिंहनगर-जैतसर-विजयनगर, लक्ष्मनगढ़-रावलगढ़, गंगानगर-रायसिंहनगर, रतनगढ़-सीकर और जयपुर रींगस के बीच विद्युत् वाहक लाइनों के लगाने का काम जारी है।

२९. राज्य के औद्योगिक विभाग की प्रवृत्तियां भी विकासोन्मुखी हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास और उन्नति, हाथ करघों, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास तथा अन्य विकास योजनाओं के विस्तार पर सरकार गंभीर विचार कर रही है। राज्य की खनिज संपत्ति की खोज और विकास का भी एक कार्य-क्रम बनाया गया है।

३०. कृषि के क्षेत्र में भी सराहनीय प्रगति हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। बीज के लिये उत्कृष्ट कोटि का गेहूँ गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में वितरित किया गया है। खरीफ की फसल व आलुओं के लिये भी क्रमशः ८०० और ६८० मन बीज वितरित किये गये हैं। फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये ६५,००० फलों के पौधे व छोटी पौध किसानों को दी गई। किसनों को अपनी भूमियों में फल उपजाने को प्रोत्साहित किया गया है। कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये गत वर्ष के ६,३३४ मन के मुकाबले में इस वर्ष ९,६३८ मन बीज खरीदे और बांटे गये। साधारण खादों और वैज्ञानिक खादों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया है। मार्च १९५६ के अन्त तक लगभग १,५०० टन अमोनियम सल्फेट बांट दिया जायगा। राज्य भर के अन्दर वैज्ञानिक खाद के प्रयोग का प्रदर्शन करने हेतु कृषकों की भूमियों में लगभग ५,००० प्लॉट निःशुल्क बनाये गये हैं। उन पर लगी लागत वसूल हो गई है क्योंकि कृषकों को इस बात का निश्चय हो गया है कि वैज्ञानिक खादों प्रयोग से फसल की उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है। नये कुओं का निर्माण करने के लिये कृषकों को ३० लाख रुपयों की वित्तीय सहायता पहुँचाई गई है। आशा की जाती है कि इस वर्ष लगभग २,००० नए कुए बनकर तैयार हो जावेंगे। बहुत से किसानों को एअर।कम्प्रैशरों द्वारा कुए गहरे करने की सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई। धान की खेती करने की जापानी पद्धति भी लोकप्रिय होती जा रही है।

३१. ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं तथा विस्तारक अधिकारियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि शिक्षा का भी पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है। बुनियादी कृषि स्कूलों तथा विस्तारक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त उदयपुर में एक नया कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

३२. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा की ओर अधिक सुविधायें पहुँचाने की भी व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान में १५ नये औषधालय खोले जा चुके हैं और २० नये औषधालय खोलने की योजना हाथ में है। उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा में नये पशु चिकित्सालय खोले गये हैं। पाली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में निर्माण कार्य चल रहा है। तीन पर्यटक औषधालयों के अलावा चालू वर्ष में तीन इकाइयों की ओर वृद्धि की गई है। महामारी के प्रकोप से छूत की बीमारियों को फैलने पर नियन्त्रण करने से रोकने के लिए प्रभावकारी कार्यवाही की जा रही है।

३३. पशु अभिजनन प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

३४. अलवर जिले के किशनगढ़ बास नामक स्थान पर अखिल भारतीय कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत एक मार्ग दर्शक कुक्कुट विकास केन्द्र खोला गया है। १६५४ में बीकानेर में एक पशु चिकित्सालय महाविद्यालय स्थापित किया गया था। राज्य में पशु चिकित्सा जानने वालों की कमी को दूर करने के लिये १६५५ में एक २ वर्ष का डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किया गया है। कॉलेज में कम्पाउण्डरों का एक ६ महीने का कोर्स भी शुरू किया गया है।

३५. राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर २६ फरवरी से ४ मार्च तक नागौर में एक अखिल भारतीय पशु कुक्कुट मेला हुआ था।

(हंसी)

प्रथम पंचवर्षीय योजना

३६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये रखे गये कुल २४२३.४ लाख रुपयों में से चालू वर्ष के अन्त तक लगभग २१७१.४ लाख तक व्यय होने की सम्भावना है जिससे लगभग २५२.०० लाख रुपये की कमी प्रकट होती है।

३७. **कृषि व ग्राम-विकास**—कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें कृषि, पशु चिकित्सा और पशु-पालन, वन, सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को छोड़ते हुए सहकारिता और ग्राम विकास आते हैं। कुल २८४.३ लाख की राशि रखी गई थी जिसमें से पांच वर्ष की अवधि में हुए व्यय की राशि लगभग २४५ लाख होती है। सिंचाई के क्षेत्र में रखी गई ७७२.३ लाख की राशि के मुकाबले में ३१ मार्च, १६५६ के अन्त तक व्यय के ६०० लाख तक पहुँचने की सम्भावना है। इस विषय में यह बात याद रखने की है कि मूल रूप से इसके लिये केवल ५०३ लाख रुपये रखे गये थे और १६५३-५४ में किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप यह राशि बढ़ाकर ७७२.३ लाख करी गई थी। इसी प्रकार "विद्युत" (Power) के अन्तगत मूल रूप से ४०.०८ लाख रुपये ही रखे गये थे जो योजना काल के तीन वर्ष समाप्त होने के बाद में बढ़ा कर २६१.६ लाख किये गये। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये स्वीकार किये

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

गये ७५.५ लाख इसमें सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत के क्षेत्र में व्यय में १ करोड़ कम रह जाने की आशा है।

३८. उद्योग के अन्तर्गत मूल रूप से रखे गये ३८.५ लाख रुपयों के मुकाबले में १९५४-५५ के अन्त तक का वास्तविक व्यय तथा चालू वर्ष का संशोधित अनुमान कुल ३३.४० लाख रुपये का होता है।

३९. परिवहन के अन्तर्गत सड़कों के लिये रखी गई व्यवस्था ४०० लाख से बढ़ा कर ५५० लाख कर दी गई थी और योजना काल के अन्त तक का व्यय लगभग ५२२.८४ लाख होगा।

४०. सामाजिक सेवाओं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, मकानों का निर्माण, पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति, श्रम और श्रम-कल्याण सम्मिलित हैं, के अन्तर्गत रखे गये ५३५.७ लाख रुपयों की तुलना में कुल व्यय ५२८ लाख तक पहुँचेगा।

४१. सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों, स्थानीय विकास कार्यों, क्षुद्र सिंचन कार्यों तथा अल्प आय वाले व्यक्तियों के लिये मकान बनाने के लिये कुल ६१८.५ लाख रुपयों की व्यवस्था है, जिसमें से ५ करोड़ से अधिक व्यय करना सम्भव नहीं हो सकेगा। (भाखरा और चम्बल को छोड़ कर) लगभग ३० करोड़ के कुल आवंटन में से सब क्षेत्रों में मिला कर करीब ४ करोड़ की कमी होगी। ऐसा होना अनिवार्य था क्योंकि मूल रूप से रखी गई १५.२१ करोड़ की धन राशि को योजना काल के अन्तिम दो वर्षों में ही बढ़ा कर ३१ करोड़ किया गया और ऐसी सूरत में प्रशासकीय मशीनरी का काम संतोसजनक ही कहा जा सकता है।

४२. वास्तविक उद्देश्य पूर्ति के क्षेत्र में भी परिणाम काफी सफल रहे हैं। सदन का अधिक समय लिये बिना मैं मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सफलताओं का ही संक्षेप में उल्लेख करूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के ठीक आरम्भ के समय सड़कों की कुल लम्बाई केवल १०,७५४ मील थी। पांच वर्ष की अवधि के अन्त तक यह १३,१७४ मील हो जायगी। सिंचाई के अन्तर्गत सब संधिपत्रांतर्गत राज्यों में मिला कर तालाबों बंधों आदि से सिंचित होने वाले कुल क्षेत्र का विस्तार लगभग ५ लाख एकड़ था। अब यह अंक ८.२५ लाख तक पहुँच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग ३.२५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में और सिंचाई होने लगी है। कृषि के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ गया है। लगभग १५,००० कुएं बनाये गये हैं और बहुत से नये क्षेत्रों में कृषि होने लगी है। सामाजिक क्षेत्र में सफलता के आंकड़े काफी ऊंचे हैं। चिकित्सा के अन्तर्गत सवाई मानसिंह अस्पताल के विस्तार के अलावा, जो कि पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित मुख्य कार्यक्रम था, बहुत से नये औषधालय भी खोले गये हैं और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधायें पहुँचाई गई हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

४३. शिक्षा के अन्तर्गत योजना काल में ५८० प्राथमिक विद्यालय, ८४ माध्यमिक विद्यालय, ४४ उच्च विद्यालय, ६ इन्टरमीजिएट कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और एक इंजनीयरिंग कॉलेज खोले गये हैं। इनमें वे विद्यालय सम्मिलित नहीं हैं जो अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत खोले गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ७,२३८ प्राथमिक विद्यालय, ८२४ माध्यमिक विद्यालय, २२७ उच्च विद्यालय, २३ पुरुषों के इन्टर कॉलेज, ४ स्त्रियों के इन्टर कॉलेज, १२ पुरुषों के डिग्री कॉलेज और २ स्त्रियों के डिग्री कालेज हो जायेंगे।

४४.—जल प्रदाय के अन्तर्गत मौजूदा जल प्रदाय गृहों में सुधार करने के अलावा कई नगरों में नलों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। ऋण देकर कई नगरों में नगरपालिकाओं को जलदाय गृह स्थापित करने के योग्य बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रदाय में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। इस सम्बन्ध में सब और सन्तोष की भावना व्याप्त है। पंचायत विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण जल बोर्ड की मार्फत, जो कि गत वर्ष बनाया गया है, काफी क्षेत्र में इस सुविधा का विस्तार करना सम्भव हो सका है। सारे राज्य में इस प्रकार के संगठन का जाल सा बिछा हुआ है। सम्पूर्ण योजना काल में ग्रामीण जल प्रदाय के लिये रखे गये १ करोड़ रुपयों में से अकेले १९५५-५६ में ७० लाख रुपये व्यय करना सम्भव हो सका है।

४५. १९५६-५७ के आयव्ययक अनुमानों की चर्चा करने से पूर्व मैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। सामुदायिक विकास खंडों में कृषि, पशु पालन, स्वास्थ्य और सफाई तथा कला और शिल्प के व्यापक विकास कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की कार्यवाहियां केवल कृषि सम्बन्ध विस्तार तक ही सीमित रहती हैं जिसमें पशु-पालन और सहकारिता भी सम्मिलित हैं।

४६. भारत में विस्तार सेवा का कार्य संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में किये जाने वाले विस्तार कार्य के आधार पर आरम्भ किया गया है। इस सेवा का उद्देश्य व्यापक ग्रामीण कार्य करने के लिये एक ऐसा राष्ट्रीय विस्तारक संगठन स्थापित करना है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके और सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के सम्मिलित विकास में सहायता पहुँचा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के एक चौथाई भाग में विस्तार सेवा योजना लागू कर दी जायगी और बाकी का तीन चौथाई भाग द्वितीय योजना काल में इसके अन्तर्गत आ जायगा। किसी विस्तारक अभिकर्ता, ग्राम सेवक अथवा विस्तारक अधिकारी का कार्य पुलिस के सिपाही की तरह कानून और व्यवस्था को कायम रखना या राजस्व अधिकारी की तरह सरकारी रकम की वसूली करना नहीं है वरन् किसान को अपनी कार्य कुशलता और आय में वृद्धि करने में सहायता करना तथा उसे अपने स्वयं के लिये, अपने परिवार के लिये, अपने पड़ौसियों के लिये व अपनी संस्थाओं के लिये ग्रामीण जीवन के प्रति सन्तोष और प्रगति का अनुभव करने में सहायता करना है। किसान को चाहिए कि वह विस्तारक अभिकर्त्ता को पथ-प्रदर्शक और सलाहकार के रूप में देखे। कृषि सम्बन्धी विस्तार के कुछ ठोस उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित-मंत्री)]

(१) किसान को वह ज्ञान और सहायता देना जो उसे और भी अधिक कुशलता से खेती करने के योग्य बनावें,

(२) उसकी आय बढ़ाना. उसे अपना भोजन आप पैदा करने, अच्छा खाने और अच्छी तरह रहने के लिये उत्साहित करना, और

(३) ग्रामीण जनों में सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोविनोद सम्बन्धी, बौद्धिक विकास संबंधी तथा आत्मिक विकासपूर्ण जीवन की भावना उत्पन्न करना।

४७. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा से ग्रामीण जनता में काफी उत्साह पैदा हुआ है और उन्होंने इसमें काफी सहायता व सहयोग दिया है तथा अब तक इस आन्दोलन को महान सफलता प्राप्त हुई है। श्रम दान, धन दान और वस्तु-दान द्वारा जनता ने इसमें महत्वपूर्ण योग दिया है और भारत के 'क' व 'ख' श्रेणी के राज्यों की तुलना में राजस्थान का स्थान कहीं ऊंचा है। हमारे विकास खंडों में हुए कार्यों की भारतीय व विदेशी सभी दर्शकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

४८. मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकास कार्य-क्रम को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में सक्रिय भाग लिया है

४९. अब मैं १९५६-५७ के आय व्ययक अनुमानों पर आता हूँ।

५०. जैसा मैंने पहले कहा है आगामी वर्ष, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, के लिये अनुमान तैयार करते समय बहुत सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। १९५३-५४ के वास्तविक अंकों तथा गत और वर्तमान वित्तीय वर्ष की गतिविधियों के पुनर्निरूपण से निश्चय ही १९५६-५७ के प्रस्तावों के लिये काफी सामग्री मिलती है लेकिन खास बात जो ध्यान में रखने की है उसका संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने द्वितीय योजना की अवधि के लिये वित्तीय साधनों की स्थिति का अनुमान लगाते समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के राज्य के आय-व्ययकों पर प्रभाव का विस्तार के साथ निरीक्षण किया था और निश्चित मार्ग बतला दिया था जिसके अनुसार आगामी वर्ष के अनुमान तैयार किये जाने चाहिए। अनुमानों में सबसे पहले राजस्व लेखे गत उस व्यय का ध्यान रखा जाना जरूरी था जिसके व्यय का दायित्व हम अपने ऊपर ले चुके हैं। इसके अन्तर्गत विविध सेवाओं के संधारण के लिये साधारण रूप से अपेक्षित व्यवस्था तथा वह अतिरिक्त आवतक व्यय आता है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास संबंधी कार्य क्रमों के लागू करने के फल स्वरूप इसलिये आवश्यक हो गया है कि हम विकास के जिस स्तर तक पहुँच गये हैं उसे बनाये रखें जिसे कि हमें करना ही है चाहे द्वितीय योजना के अन्तर्गत कोई नया विकास कार्य किया जाय या न किया जाय। इन निर्देशों के अनुरूप विकास संबंधी व्यय के कुछ मदों में कतिपय समायोजन

८

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)]

किया जाना पड़ा है। इसके अतिरिक्त जैसा कि संघ के वित मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में कहा है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नियंत्रक महा लेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) के परामर्श से पूंजी सम्बन्धी व्यय के मदों के पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में निर्णय किया है जो महत्व रखता है। इस निर्णय के अनुसार ऐसी योजनाओं का व्यय जो लेखा परीक्षण सम्बन्धी नियम संग्रह (Audit Code) की परिभाषा के अनुसार पूंजी व्यय की कोटि में आती हो, पर जिनकी लागत २०,००० रुपयों से अधिक हो का व्यय जो कि अब तक सम्बन्धित राजस्व शीर्षक के अन्तर्गत ही दिखाया जाता था अब से आगे पूंजी व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाया करेगा।

५१. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक कार्यों पर कुल ४८०० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से १८ प्रतिशत सिंचन और विद्युत पर, १२ प्रतिशत कृषि सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खडों पर, १९ प्रतिशत उद्योग और खनिज पर, २९ प्रतिशत परिवहन और संचार पर तथा २० प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया जायगा जिनमें विस्थापितों के लिये मकान बनाने की योजना तथा उनका पुनर्वास भी सम्मिलित है।

५२. योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद अभी जो अनुमान लगाया गया है उससे प्रकट होता है कि चालू राजस्व, अतिरिक्त करों, ऋणों, विदेशी सहायता तथा अन्य साधनों की गणना करने के बाद १२०० करोड रुपये का घाटे का बजट रहेगा और फिर भी ४०० करोड़ की ऐसी कमी रह जायगी जिसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतिरिक्त करों से ४५० करोड रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से राज्यों का हिस्सा २२५ करोड़ रुपये होता है। अपने राज्य से अतिरिक्त कर लगा कर ८ करोड़ रुपये प्राप्त करने को कहा गया है।

५३. राज्य सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के अनुसार १६७ करोड़ रुपये की लागत दिखाई गई थी। सम्पूर्ण आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य की योजना की उच्चतम सीमा केवल १०१ करोड़ रुपये रखी गई है और कार्य-क्रम में भी इसी के अनुसार संशोधन किया गया है। १९५६-५७ के लिये कार्य-क्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है, जो काम पहले से चल रहे हैं वे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाय और केवल ऐसे नये काम ही हाथ में लिये जायं जिनके कारण आवर्तक व्यय अधिक न बने।

५४. अब मैं सामान्य राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों के विषय में कहूंगा। एक बात महत्व की है जिसे बतलाना जरूरी है क्योंकि उसका राज्य की प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा संकेत मद्य निषेध जांच समिति की सिफारिशों की ओर है। (करतल ध्वनि)

५५. समिति की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है कि यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है तथापि द्वितीय योजना काल में मद्य निशेध पूर्णतया

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)]

लागू करना संभव नहीं होगा। (हियर-हियर एवं करतल ध्वनि) परन्तु सरकार धीरे धीरे मद्य की दुकानों को बंद करने व समिति के कुछ सुझावों को योजना काल में कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी। आशा की जाती है कि १९५६-५७ में भी राजस्व को हानि होगी। इस ओर से तथा अफीम की मात्रा में धीरे धीरे कमी करने के कारण लगभग १५ लाख का घाटा होने का अनुमान है।

५६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास योजनाओं से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली ऐसी सहायता को सम्मिलित करते हुए जिसका विकास विषयक कार्यक्रम से सम्बन्ध नहीं है, कुल राजस्व प्राप्तियां २३२२.२६ लाख रुपये को होती हैं। राजस्व की प्राप्तियों की खास खास मदे इस प्रकार हैं—

का-राजस्व के मुख्य शीर्षक,

गा-सिंचन, नौचालन, तट बंधन और जल निकास कार्य

झ-ऋण सेवाएं,

चा-नागिरिक प्रशासन,

जा-नागरिक निर्माण कार्य और विविध सार्वजनिक सुधार

ञा-विविध, और

डा-असाधारण मद

५७. का-राजस्व के मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत १९५३-५४ और १९५४-५५ की वास्तविक आय क्रमशः १४, २०, ३६, ५६८ रुपये और १५, १३, ६४, ०८२ हुई। चालू वर्ष के आय का अनुमान १४, १०, ६२,००० रुपये रखा गया था। वास्तविक आय की प्रगति को देखते हुए संशोधित अनुमानों का अंक १३, ८६, ०२,००० रुपये रखा गया है। वृद्धियां संघीय आबकारी कर, आय कर की प्राप्तियों के हिस्से, मोटर गाड़ी कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा अन्य करों और महसूलों, में हुई है। कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत कमियां भी हुई हैं पर मुख्य शीर्षक जिसमें महत्वपूर्ण कमी हुई है भू-राजस्व है, जिसमें जागीरों से प्राप्ति कम हुई है क्योंकि जागीरें उस हदतक पुनर्ग्रहित नहीं की जा सकता हैं जितनी कि आशा थी।

५८. आगामी वर्ष के लिए "का-राजस्व के मुख्य शीर्षकों" के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकों का योग रु० १५, २७, ३०,००० आता है। संघीय आबकारी कर, तथा संपत्ति कर के हिस्से के लिये भारत सरकार से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर संशोधित अनुमानों से अधिक राशि का अनुमान लगाया गया है। "चर-निगम करके अतिरिक्त आय पर कर" के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित की तुलना में कम अनुमान लगाया गया है। "भू-राजस्व" के अन्तर्गत पुनर्ग्रहित जागीरों से संशोधित अनुमानों के १५० लाख के मुकाबले २०० लाख रुपये

[श्री वृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)]

की आय को सम्मिलित करने के कारण अधिक प्राप्तियों की आशा है। "आठ–राजकीय आबकारी कर" में कमी दिखलाई देती है। आय के साधनों में वृद्धि के लिये अपनाये गये उपायों के कारण अन्य शीर्षकों में सुधार दिखाया गया है।

५९. 'गा-सिंचन नौचालन तट बन्धन और जल निकास कार्य'—प्रस्तावित अनुमानों के अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने के कारण सिंचाई सम्बन्धी प्राप्तियों के अन्तर्गत राशि बढ़ा कर दिखाई गई है।

६०. 'डा-ऋण सेवायें'—०.७१ लाख रुपयों की कमी मुख्यतः इस लिए है कि गत वर्षों में काटे गये आय कर के प्रत्यर्पण प्राप्ति के एक विशेष मद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि आधे से ज्यादा दावों (Claims) का फैसला चालू वर्ष में ही हो जायगा।

६१. 'चा-नागरिक प्रशासन' कई वृद्धियों व कमियों के परिणाम स्वरूप शुद्ध कमी हुई है।

६२. 'जा-नागरिक निर्माण कार्यों' के अन्तर्गत वृद्धि अन्तर्राजकीय, आर्थिक व सामरिक महत्व की सड़कों के लिए अनुदान को मुख्यतः सम्मिलित करने के कारण से है।

बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से प्राप्तियों में भी कुछ वृद्धि है।

६३. तापीय विद्युत केन्द्रों के अन्तर्गत नाम मात्र के ०.५ लाख रुपये के लाभ की आशा की जाती है।

६४. 'ञा-विविध' के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों पर सहायता सम्बन्धी व्यय के बकाया जो अब तक आपति में पडे थे, की संभावित वसूली के कारण पर्याप्त वृद्धि हुई है।

६५. 'केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान' के अन्तर्गत कमी दिखाई गई है क्योंकि गैडिगल समिति की सिफारिशों के अनुसार आने वाली रकम आ चुकी है।

६६. 'डा-असाधारण मदों' के अन्तर्गत केवल नाम मात्र की प्राप्तियां दिखाई गई हैं। सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और स्थानीय विकास कार्यों के कारण प्राप्तियों सम्बन्ध व्यय के अंकों से है जो द्वितीय पन्चवर्षीय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास योजनाओं के अधीन दिखाई गई हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा वित्त-मंत्री]

६७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विकास योजनाओं के सम्बन्ध में १९५६-५७ में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली १७६.७० लाख रुपये की रकम सामन्य आय के अंकों में जोड़ कर और अतिरिक्त कर लगाने के उपायों के परिणाम स्वरूप राजस्व लेखे गत उगाहे जाने वाले ८४ लाख रुपयों २ लाख रुपये 'स्टाम्पस' के अन्तर्गत, १० लाख 'मोटर गाड़ी अधिनियमों के अन्तर्गत करों' के अन्तर्गत, ३० लाख 'बिक्रीकर' के अन्तर्गत, २६ लाख सिंचाई दरों में वृद्धि के कारण और १६ लाख अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत, को जोड़ने पर कुल प्राप्तियों का अनुमान २४९८.९६ लाख रुपयों का बैठता है ।

६८. ऐसे सामान्य व्यय जिसका दायित्व स्वीकार किया जा चुका है का अनुमान २२२६.६२ लाख रुपये आता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हाथ में ली जाने वाली विकास योजनाओं से सम्बन्धित राजस्व लेखे गत व्यय का अनुमान ४३२३५ लाख रुपयों का है इसलिये राजस्व से किये जाने वाले कुल व्यय का अनुमान २६९८.९७ लाख रुपये होता है ।

६९. 'क-राजस्व के मुख्य शीर्षक:—राजस्व पर सीधे मांगों' के अन्तर्गत '७-भू-राजस्व' में वृद्धि क्षति पूर्ति के लिए बढ़ा कर की गई व्यवस्था, पटवारियों को दिये जाने वाले गृह किराये तथा वेतन दरों के युक्तियुक्त बनाये जाने के कारण हैं ।

७०. '८-राजकीय आबकारी कर' के अन्तर्गत अफीम की मात्रा में कमी तथा मदिरा के उपयोग में सम्भावित कमी के कारण अफीम और मदिरा के क्रय के लिए कम राशि की व्यवस्था रखी गई है ।

७१. 'वन' के अन्तर्गत वृद्धि विकास योजना के लिये बढ़ा कर व्यवस्था करने के कारण हैं ।

७२. 'अन्य कर और महसूल, के अन्तर्गत कमी अन्तर्राज्यीय आगम-निगम कर के हटा दिये जाने के कारण कर्मचारी वर्ग में कमी कर दिये जाने से है । नौकरी से हटाने की सूचना देने पर दिये जाने वाले वेतन तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के लिये अपेक्षित असाधारण व्यवस्था को कम कर दिया गया है । अन्य शीर्षकों में मामूली हेर फेर है ।

७३ 'ग-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन और जल निकास निर्माण कार्य का राजस्व लेखा—कमी मुख्यतः पूंजी लेखे के स्थानान्तरण के कारण हैं ।

७४. "१९-सिंचन नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास निर्माणकार्य (अवाणिज्यिक)" के अन्तर्गत कुछ भी व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसके अन्तर्गत संघीय वित्तीय एकीकरण समझौते के अन्तर्गत अनुदान से वित पोषित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्था की जाया करती थी । समस्त कार्य मार्च १९५६ तक समाप्त हो जावेंगे ।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

७५. 'डा-ऋणसेवा'—ब्याज के व्यय के लिए वर्ष की आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्था की गई है।

७६. 'चा-नागरिक प्रशासन'—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत गौण मदों में वृद्धियां हैं, पर वे मुख्यतः स्वर्गीय महाराणासाहब उदयपुर के देहावसान के कारण महाराजप्रमुख और उनके कार्यालय के लिए दिए जाने वाले भत्ते की व्यवस्था में कमी हो जाने के कारण प्रतुसंतुलित हो गई हैं।

७७. 'पुलिस' के अन्तर्गत संशोधित की तुलना में ५.४८ लाख रुपये की वृद्धि है।

७८. 'शिक्षा' के अन्तर्गत प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रम के पूरा हो जाने के कारण आवर्तक व्यय में काफी वृद्धि हुई है। प्रथम योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं के सम्बन्ध में लगभग १ करोड़ रुपयों का आवर्तक दायित्व आ जाता है। विकास की व्यवस्था के अतिरिक्त विकास योजनाओं के सम्बन्ध में जितने व्यय का दायित्व स्वीकार किया जा चुका है उसका अनुमान ३,७६,००,००० रुपये होता है। इसमें विकास योजनाओं का व्यय शामिल कर देने से शिक्षा के मद पर राजस्व से होने वाले व्यय का योग ४,८६,००,००० होता है।

७९. "जन स्वास्थ" के अन्तर्गत पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण और शहरी जल प्रदाय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार किये गये अधिक कर्मचारी वर्ग के लिये बढ़ा कर रखी गई व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

८०. 'चिकित्सा' 'कृषि' 'पशु-चिकित्सा' और 'सहकारिता' विकास कार्यों के शीर्षक हैं और विकास योजनाओं के लिये बढ़ा कर की गई व्यवस्था के कारण इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि प्रकट होती है।

८१. 'उद्योग और रसद' के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विकास योजनाओं सम्बन्धी व्यवस्था के अतिरिक्त गंगानगर शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए बढ़ा कर व्यवस्था की गई है।

८२. शीर्षक '५०-नागरिक निर्माण कार्यों' के अन्तर्गत व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि अन्तर्राजकीय और प्रतिरक्षा के महत्व की सड़कों के लिए विशेष रूप से दी गई राशि से तथा केन्द्रीय वित्त पोषित होने वाले सड़क सम्बन्धी निर्माण कार्य इसमें सम्मिलित कर लिए गये हैं। सड़कों की सड़क निधि से लम्बाई में वृद्धि हो जाने तथा संधित्रांतर्गत राज्यों से प्राप्त होने वाली पुरानी सड़कों की दशा खराब होने के कारण सड़कों का संवारण व उनकी मरम्मत के लिये राशि बढ़ादी गई है।

८३. वर्ष के दौरान में पूंजी की लागत को ध्यान में रखते हुए "५२" शीर्षक के अन्तर्गत व्यय के भुगतान के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की गई है।

८४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी व्यय की बात चलाने से पहले व्यय के अनुमानों की एक विशेषता बतला देना जरूरी है। सरकार ने विभिन्न वर्गों के राज्य कर्मचारियों के वेतन दरों

[वृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

को युक्तियुक्त बनाने तथा जहां तक हो सके उनमें सुधार करने के लिए अपने वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान वेतन दरों में संशोधन करने का निश्चय किया है । कम वेतन भोगी कर्मचारियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए २५० रुपये मासिक से कम पाने वाले राज्य कर्मचारियों को १ मार्च, १९५६ से संशोधित दरों में एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव है। (हर्ष-ध्वनियें) हमारे सम्पूर्ण वेतन दर अधिकांश 'क' अथवा 'ख' श्रेणी के कार्यों की तुलना में खराब नहीं हैं । वेतन दरों के इस युक्ति युक्त कारण के परिणाम स्वरूप अन्ततः एक करोड़ से भी अधिक का अतिरिक्त खर्चा बैठेगा पर १९५६-५७ में १५ से २० लाख रुपये तक अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है । अतः नए मदों के अन्तर्गत १५ लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।

सरकार इस बात से भिज्ञ है कि वेतन में मामूली सी वृद्धि करने से अल्प वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों के जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी करने में कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिलेगी । वेतन में छोटी सी वृद्धि अधिक कल्याणकारी नहीं है । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किस सीमा तक नीचे के स्तर के कर्मचारियों को सरकार द्वारा बुनियादी सामाजिक सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराना संभव हो सकता है । जहां तक शिक्षा का प्रश्न है लड़कियों की शिक्षा राजस्थान में स्नातक (Graduate) के स्तर तक निःशुल्क है । लडकों की शिक्षा भी कुछ एक स्थानों को छोड़ कर माध्यमिक (Middle) स्तर तक निःशुल्क है । उच्च कक्षाओं में शुल्क माफ करके राज्य कर्मचारियों के लड़कों को सहायता दी जा रही है । इतना पर्याप्त नहीं है इसलिये सरकार ने और भी सुविधा देने का निर्णय किया है । २५० रुपये से कम वेतन पाने वाले समस्त नॉन गजेटेड कर्मचारियोंके लड़के या लड़कियों से स्नातक के स्तर तक कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

(करतल ध्वनि)

चिकित्सीय सहायता के नियमों को भी उदार बनाया गया है तथा और भी अधिक सहायता सहायता पहुँचाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

सरकार ने वेतन की कोई सीमा निर्धारित किये बिना राजकीय बीमा योजना को समस्त राज्य कर्मचारियों पर लागू करने का भी निर्णय किया है । (करतल ध्वनि) अभी तक ३५ रु० से कम वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते । इस सुविधा से जीवन बीमे के अतिरिक्त राज्य कर्मचारी के लिए ऐसी संचित निधि की भी व्यवस्था हो जावेगी जिस पर वह सेवा से मुक्त होने के बाद निर्भर कर सके ।

कुछ एक प्रस्ताव और विचाराधीन हैं जो लागू हो जाने के बाद अल्प वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों को और भी लाभ पहुंचाने की दिशा में काफी सीमा तक सहायक होंगे ।

[बृजसुन्दर शर्मा (वित-मंत्री)]

८५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं सम्बन्धी राजस्व लेखे गत व्यय का कुल अनुमान ४३२.३५ लाख रुपयों की है।

८६. कुछ एक मदों को छोड कर जो अनिवार्य समझे गये है पूंजी लेखे गत व्यय के सारे कार्य-क्रम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनायें आती पूंजी व्यय हैं। कुल व्यवस्था १४,२०,९२ लाख रुपयों का है जिसमें से ४४७.२६ लाख रुपये "६८—सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यो के निर्माण" के लिये, ५६.६४ लाख रुपये "७०—सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत" के लिये, ७.०० लाख रुपये "७१—कृषि सुधार व अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत" के लिये, १८.२३ लाख रुपये, "७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत" के लिये, ३९७ ७१ लाख रुपये "८०-का—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत" के लिये, ३२०.५५ लाख रुपये, "८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत" के लिये, १९७.१० लाख रुपये "८१-का—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत" के लिये, ३.९१ लाख रुपये "८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत" के लिये, ०.९० लाख रुपये "८३—निवृत्ति वेतनों के एक मुश्त दान" के लिये तथा ६.४५ लाख रुपये "८५—राजकीय व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के लिये हैं।

१९५६-५७ के दौरान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन कार्य क्रम

८७. दूसरी पचवर्षीय योजना के पहले वर्ष १९५६–५७ के लिये कुल राशि २०७६.४३ लाख रुपये नियत किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह राजस्व, पूंजी और ऋण शीर्षकों के अन्तर्गत बटी हुई है। इसमें भाकरा नांगल परियोजनाओं के सम्मिलित निर्माण-कार्यो के लिये २५८.२४ लाख रु. रखे गये हैं। इस राशि की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार की मारफत की जायगी। इस राशि को छोड़ कर राज्य की योजना के लिये १८०८.१९ लाख रुपये नियत किये जाने का प्रस्ताव है।

८८. कृषि:—१०४.३७ लाख रुपये—योजना-काल के लिये ६.४६ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जिसमें लघु सिंचन कार्यो के लिये रखे गये २.५ करोड़ रुपये शामिल हैं। १०४.३७ लाख रुपये का व्यय १९५६–५७ के दौरान में किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि में से ४० लाख रुपये लघु सिंचन कार्यो के लिये रखे गये हैं। कृषि कॉलेज पर भी काफी रुपया खर्च होगा। प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण विभागों का विस्तार करने का विचार है। गांवों के तालाबों को और अच्छा बनाने के लिये तथा कुओं के निर्माण हेतु ऋण देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

८९. पशु पालन:—१९.९७ लाख रुपये—योजना-काल के लिये नियत किए गए, १.८६ करोड़ रुपए में से १९५६-५७ के दौरान में केवल १९.९७ लाख रुपये खर्च करने का विचार है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पशु-चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर, का विस्तार करने, नये औषधालय

[बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

(Dispensaries) खोलने, भेड़ और ऊन संबंधी सुधार-कार्य का विस्तार करने, गौशालाओं, पौल्ट्रीज और डेरीज़ के विकास के लिये आरंभिक कार्यवाही करने के काम हाथ में लिये जायेंगे।

९०. सहकारिता :—२६.०० लाख रुपये—पांच वर्ष के लिये नियत की गई १.७२ करोड़ रुपये की राशि में से अनुमानतः २६ लाख रुपये आगामी वर्ष में खर्च किये जाने को हैं। सहकारी समितियों की अंश पूंजी में दिये जाने वाले १७.६ लाख रुपये शामिल हैं।

९१. वन:—१५.०० लाख रुपये—इस विभाग के लिये २ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। इसमें से १५ लाख रुपये १९५५-५६ के दौरान में खर्च होने को हैं। सीमाबन्धन (Demarcation) और बन्दोबस्त के लिये ४ लाख रुपए, वाणिज्य उपयोगी वृक्ष लगाने (Commercial Plantatious) के लिये ३ लाख रुपये, भूमि-संरक्षण के लिये १ लाख रुपये तथा सज्जा-सामग्री (Equipments) और कार्यकारी योजना (Working Plans) के लिये २.६४ लाख रुपये रखे गये हैं। शेष राशि अन्य योजनाओं पर खर्च की जायगी।

(आंधी के कारण भाषण का रुक जाना एवं परस्पर वार्त्ता)

९२. राष्ट्रीय विस्तार सेवा:—१८०.०० लाख रुपये—१९५६-५७ के दौरान में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर, उनको सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित करने पर और स्थानीय विकास कार्यों पर १.८ करोड़ रुपये खर्च किये जाने को हैं। इनमें से अनुमानतः १.५ करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर व उनमें से कुछ खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित करने पर, तथा ३० लाख रुपये स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च किये जायेंगे। ३० लाख रुपये की इस राशि में वे ८.८५ लाख रुपये शामिल हैं जिनके जनता द्वारा नकद दिये जाने की संभावना है।

९३. सिंचाई (भाखरा और चम्बल योजनाओं को सम्मिलित करते हुए)—७३९.८७ लाख रुपये—१९५५-५६ के दौरान में समाप्त किये जाने वाले या चालू कार्यों के लिये ७३९.८७ लाख रुपये की व्यवस्था करने का विचार है जिसमें से १८२.०० लाख रुपये राजस्थान के कोटा बैरेज के लिये हैं। अनुमानतः ८०.०० लाख रुपये राजस्थान के अन्तर्गत भाखरा नहर व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिये और राणा प्रताप सागर बन्ध विषयक प्रारंभिक कार्य के लिये १.९ लाख रुपये रखे गये हैं। प्रथम योजना काल के अन्त में कार्यान्वित होने जा रही ३० मध्यम सिंचन योजनाओं की पूर्ति पर अनुमानतः डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। शेष १.१२करोड़ रुपये कमी के क्षेत्रों में स्थायी सुधार करने वाले सिंचन कार्यों में खर्च किये जायंगे। इसमें राजस्थान केनाल योजना पर खर्च होने वाली २१.०० लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

९४. विद्युत शक्ति (Power) :—२९०.०० लाख रुपये—योजना के अन्तर्गत नियत की गई १९.०० करोड़ रुपये की राशि में से २.९ करोड़ रुपये १९५६-५७ के दौरान में खर्च किये

[बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

जाने को हैं। भाखरा योजना से संबंधित अधिक परिमाण में प्रदाय (Bulk Supply) स्थानीय वितरण योजनाओं पर अनुमानतः १.०२ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस राशि में २० लाख रुपये वह राशि सम्मिलित है जो पंजाब सरकार द्वारा केवलमात्र राजस्थान के लिये निष्पादित किये जाने वाले कार्यों पर खर्च होने को हैं, चंबल योजना पर ६.६ लाख रुपये खर्च करने का विचार है।

१.०६ करोड़ रुपये तापीय विद्युत शक्ति के विकास के लिये रखे गये हैं। इस योजना के लिये सज्जा-सामग्री मंगाने की आज्ञायें १९५५-५६ में दे दी गई हैं। गांवों में बिजली पहुँचाने के लिये २२.९१ लाख रुपये खर्च किये जाने के लिये प्रस्तावित हैं। जोधपुर बिजलीघर को पुनर्गठित करने के लिये २० लाख रुपये खर्च किये जाने हैं। अनुसंधान और सर्वेक्षण (Survey) के लिये १.७ लाख रुपये की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और गैर-सरकारी बिजली घरों की प्राप्ति और उनको पुनः चलाने के लिये ३.६६१ लाख रुपये रखे गये हैं। वर्तमान बिजलीघरों में अन्य सुधार करने के २०,०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

९५. **सड़कें**—२००.०० लाख रुपये—योजना में नियत ८.६६ करोड़ रुपये में से १.८३ करोड़ रुपये १९५६-५७ के दौरान में खर्च करने का विचार है। प्रथम योजना के अन्त में कार्यान्वित होने जा रहे निर्माण-कार्यों की समाप्ति पर अनुमानतः १.५ करोड़ रु. खर्च किए जायेंगे। ३० लाख रुपये भाखरा क्षेत्र में और ३.०० लाख रुपये एक पुल बांधने पर खर्च किये जाने के लिए प्रस्तावित है। इसमें १६.०० लाख रुपये बड़े शहरों व कस्बों आदि में सड़कों की उन्नति के लिये शामिल है।

९६. **उद्योग**—५६,०७ लाख रुपये—योजना में फिलहाल नियत की गई ६ करोड़ रुपये की राशि में से ५६.०७ लाख रुपये, १९५६-५७ के दौरान में, जयपुर में औद्योगिक सम्पदा (Industrial Estate) की स्थापना पर, खादी और ग्रामोद्योगों का कार्यभार सम्भालने पर और हाथ करघा उद्योग के विकास पर खर्च किये जाने को हैं। छः उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हैं। कुटीर उद्योगों व छोटे पैमाने के उद्योगों को धन की सहायता देने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बात का भी प्रयत्न जारी है कि कई करोड़ की पूंजी से बड़े कारखाने निजी क्षेत्र में चालू किये जावें।

९७. **खनिज**—०.६० लाख रुपये—योजना में रखे गये ५ लाख रुपयों में से १९५६-५७ में ६० हजार रुपये खनिज और भूगर्भ विभाग के संचालक के कार्यालय को शक्तिशाली बनाने के लिये व्यय किये जावेंगे। खास जोर इस बात पर है कि विभाग द्वारा परिमापन व अन्वेक्षण के कार्यों को करने के लिये संचालक के कार्यालय में इंजीनियरों और परिमापकों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाय।

९८. **शिक्षा**—११०.०० लाख रुपये—योजना में रखे गये १० करोड़ रुपयों में से १९५६-५७ में ११०.०० लाख व्यय करने का प्रस्ताव है। अनुमानतः ६०० प्राथमिक

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

विद्यालय खोले जावेंगे। १९५६-५७ में कुछ प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय बना दिया जायगा व नए माध्यमिक विद्यालय भी खोले जावेंगे। जोधपुर में अनुमानतः ९ लाख की लागत का एक केन्द्रीय पोलीटेकनीक (Poly Technique) भी खोला जावेगा। विश्व विद्यालय के स्तर की शिक्षा, जिसमें कि राजकीय महाविद्यालय खोलना सम्मिलित है, पर भी लगभग १०.०० लाख व्यय किये जावेंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा सामाजिक शिक्षा के लिये भी पर्याप्त धन रखा गया है।

९९. **शहरी जल प्रदाय**—४०.०० लाख रुपये—कुल १.२२ करोड़ में से आगामी वर्ष में ४० लाख व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। यह सारी रकम राजस्थान के विभिन्न शहरों में चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिये रखी गई है।

१००. **ग्रामीण जल प्रदाय**—४०.०० लाख रुपये—योजना में रखे गये २ करोड़ रुपयों में से ४० लाख व्यय करने का विचार है। इस राशि का उपयोग राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय मण्डल की मार्फत देहाती इलाकों में पीने के पानी के कुओं के नवीनीकरण करने व नये कुए बनाने के लिये किया जायगा।

१०१. **चिकित्सा व स्वास्थ्य**—३४.५२ लाख रुपये—१९५६-५७ में ३४.५२ लाख रुपये आधुनिक औषधियों के कार्य-क्रम पर खर्च किये जावेंगे और ३ लाख से नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जावेंगे। यह राशि योजना में रखे गये ४ करोड़ रुपयों में से व्यय की जायगी। अधिकांश राशि पुरानी योजनाओं को चालू रखने पर व्यय की जायगी। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण तथा जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं आती हैं।

१०२. **मकानों का निर्माण**—६६.०० लाख रुपये—योजना में रखे गये २.७ करोड़ रुपयों में से १९५६-५७ में ६६.०० लाख व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। ३६.००' लाख रुपये औद्योगिक भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों के लिये किराये के छोटे छोटे मकान बनाने पर व ३० लाख अल्प आय वाले लोगों के लिये मकान बनाने की योजना पर, जो राज्य में पहले से ही चल रही है।

१०३. **श्रम**—३.६० लाख रुपये—योजना में रखे गये ४५ लाख रुपयों में से ३.६ लाख रुपये १९५६-५७ में व्यय किये जावेंगे। व्यय मुख्यतः श्रम कल्याण केन्द्र खोलने दस्तकारियों के प्रशिक्षण तथा केन्द्रीय संगठन को अधिक शक्तिशाली बनाने पर किया जावेगा।

१०४. **सामाजिक कल्याण**—२७.०० लाख रुपये—योजना में रखे गये २.२ करोड़ रुपयों में से १९५६-५७ में २७.०० लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। व्यय मुख्यतः अनुसूचित जन जातियों, अनुसूचित जातियों, जरायम पेशा जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सम्बन्धी योजनाओं के

[श्री बृजसुन्दर शर्मा वित्त-मंत्री]

चालू रखने पर किया जावेगा। इन चालू रखी जाने वाली योजनाओं का सम्बन्ध शिक्षा, सिंचाई, स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता, सचार, उद्योग और जन स्वास्थ्य आदि से है।

१०५. **जन संपर्क**—५.०० लाख रुपये—योजना में रखे गये ३६ लाख रुपयों में से ५ लाख रुपए १९५६-५७ में व्यय करने का विचार है। यह राशि मुख्यत: केन्द्रीय संगठनों तथा फील्ड प्रचार के संगठनों को शक्तिशाली बनाने पर व्यय की जावेगी।

१०६. भाखरा की मंडिया :—२०.०० लाख रुपये-योजना में रखे गये ५०.०० लाख रुपयों में से १९५६-५७ में २० लाख के भाखरा क्षेत्र में मंडियों के विकास पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

१०७. सांख्यिकी और कृषि भूमियों का संघनन :—१.६० व ३.५० लाख रुपये योजना में सांख्यिकी (Statistics) के लिये रखे गये १० लाख रुपयों में से १९५६-५७ में मुख्यत: योजना विभाग से संबद्ध केन्द्रीय ब्यूरो को शक्तिशाली बनाने के लिये १.६ लाख रुपये व्यय किये जावेंगे व कृषि भूमियों के संघनन के कार्यक्रम में ३.५० लाख रुपये की संपूर्ण राशि कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षित करने और संगठन स्थापित करने पर व्यय की जायगी।

१०८. सामान्यत: यद्यपि निम्न शीर्षक योजना आयोग द्वारा राजकीय योजना में सम्मिलित नहीं किये गये थे फिर भी इनके लिये व्यवस्था रखी गई है :—

१. मुद्रण	३.०० लाख रुपये
२. सामान्य प्रशासन	३.५ लाख रुपये
३. विकास सम्बन्धी गाडियों का प्रतिस्थापन...........	१ लाख रुपये
४. भवन	२०.६० लाख रुपये
५. परिमापन व बन्दोबस्त	४७.८० लाख रुपये

योजना पर वाद विवाद करते समय सदन के माननीय सदस्यों ने मुद्रण और सामान्य प्रशासन की संस्थापना में वृद्धि को शेष योजना का एक महत्वपूर्ण अंग समझा। इसी प्रकार भवनों तथा विकास संबंधी गाड़ियों के प्रतिस्थापन के व्यय को सारी योजना का अनिवार्य अंग समझा गया। इसलिये १९५६-५७ के लिये इन शीर्षकों के अंतर्गत अविच्छिन्न व्यय की व्यवस्था की गई है।

१०९. सारांश में १९५६-५७ के आय व्ययक अनुमानों में कुल २४९८.९६ लाख रुपये की प्राप्तियां हैं और २६६८.९७ लाख का व्यय जिससे राजस्व लेखे में १७०,०१ लाख के घाटे की संभावना है। पूंजी व्यय के कुल अनुमान १४२०.९२ लाख के आते हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

११०. राजस्व में १.७ करोड़ की कमी नहीं बनी रहेगी । व्यय के अनुमानों में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के लिये सिंचाई, संचार, भवन आदि निर्माण कार्यों की व्यवस्था सम्मिलित है, जो ऋणों से वित्त पोषित किये जावेंगे तथा जिनसे पूंजी संपत्ति में अभिवृद्धि होगी। इस व्यय को पूंजी के अंतर्गत ले जाना उपयुक्त होगा । इस मामले पर विचार हो रहा है और यदि इस व्यय को यहां से स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया तो यह अंतर कम हो जायगा । इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता को भी कुछ कम ही सम्मिलित किया गया है, पर आशा यह है कि कतिपय क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त होने वाली सहायता आशा से कहीं अधिक होगी । संबंधित मंत्रालय इनकी सही सीमा नहीं बतला सकें हैं । अतः सहायता में वृद्धि से भी राजस्व के घाटे की कमी पूरी होने में योग मिलेगा । व्यय में भी कमी हो सकती है । इस प्रकार वर्तमान घाटे का विस्तार, जिसके लिये अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, काफी कम होने की संभावना है ।

१११. कर जांच समिति (Taxation Enquiry Commission) की सिफारिशों पर विचार हो रहा है और कुछ उपायों के लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान में कर लगा कर कुछ और राशि प्राप्त कर लेना संभव हो सकेगा ।

११२. पूंजी व्यय :—जहां तक पूंजी व्यय का संबंध है उसकी अभिपूर्ति केन्द्रीय सहायता व जनता से ऋण लेकर की जायगी । जनता से ऋण लेकर २०० लाख रुपये तक साधन जुटाने का प्रस्ताव है । यदि आवश्यक हुआ तो जनता से लिये जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाई जा सकती है ।

११३. अल्प बचत योजनाओं से संग्रह किये गये धन का हमारा भाग भी हमें मिल जावेगा। लोक लेखे से लगभग १४२.७२ लाख मिलने की आशा है । जब तक कि द्वितीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये ऋण की सहायता प्राप्त नहीं होती आवश्यक धन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) द्वारा उपलब्ध कर लिया जायगा । आगे और कुछ कहने से पहले मैं अल्प बचत योजना के कार्य से सदन को परिचित कराना चाहता हूं ।

११४. अल्प बचत योजना का विकास संबंधी कार्य क्रम के लिये साधन जुटाने में बहुत महत्व है । हमारे राज्य में इस योजना को बढ़ावा केवल १९५४ के आरम्भ में दिया गया । १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में केवल ६२.६७ लाख रुपये एकत्र हुए । १९५४-५५ में एकत्र हुए रुपयों की राशि ११६.७९ लाख तक पहुंच गई । चालू वर्ष के अंकों से गत वर्ष की तुलना में सुधार प्रकट होता है । नवम्बर १९५५ के अन्त तक शुद्ध १११.२० लाख रुपये एकत्र हुए और आशा की जाती है कि इस मास के अन्त तक यह अंक १७५ लाख तक पहुंच जायगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये हमने २ करोड़ प्रति वर्ष की दर से १० करोड़ का लक्ष्य रखा है । यह तो साधारण सीमा है और हम सब लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम इस निश्चित लक्ष्य से आगे बढ़ जाएं । अल्प बचत योजना मुख्यतः इसलिये है कि साधारण जनता राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में धन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

लगाने में भाग ले सकें। मितव्ययता की आदत डालने के तथा विकास योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करने के अलावा यह इनमें धन लगाने वालों के लिये भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के लिये धन संचय का साधन है। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों और उनकी मार्फत राज्य की जनता से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक धन राशि एकत्र करने के समस्त संभव प्रयत्न करें।

११५. नियोजन-रोकड़ शेष व "न्यास निधियों" के नियोजन ३१ मार्च, १९५५ को १४७९. ७८ लाख के थे। ३१ मार्च, १९५६ को इन सब नियोजनों के १५२०. ७५ लाख होने की आशा है। ४०. ९७ लाख रुपयों की शुद्ध वृद्धि जिन वृद्धियों व कमियों के कारण हुई है वे स्मृति पत्र में बतलाई गई हैं।

११६. अधिविकर्ष:—संचित निधियों के अन्तर्गत धारित १२३८. ४१ लाख गवर्नमेन्ट प्रोमिजरी नोटों में से १२१७.५७ लाख रुपये के अंकित मूल्य के प्रोमिजरी नोट विकास सबंधी पूंजी की लागत वाले निर्माण कार्यों तथा सिंचाई व वाणिज्य विभागों आदि की अन्य योजनाओं के निमित्त धन प्राप्त करने के लिये राजस्थान सरकार के केन्द्रीय चालू खाते में अधिविकर्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिभूति के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के पास रखे हैं। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध १०.७५ करोड़ रुपये तक के अधिविकर्ष की अनुमति दे रखी है। ७ अप्रैल, १९४९ को संधि-पत्रांतर्गत राज्यों से प्राप्त अधिविकर्ष लेखा ३९७. २९ लाख का था। ३१ मार्च १९५५ को ५६१.५० लाख रुपये का अधिविकर्ष था। यह ठीक २ बतलाना बहुत कठिन है कि ३१ मार्च १९५६ को अधिविकर्ष की क्या स्थिति होगी क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वर्ष की समाप्ति तक कितना पूंजी व्यय होता है तथा केन्द्र से कितनी सहायता प्राप्त होती है।

११७. ऋण स्थिति:—केन्द्रीय सरकार से ३१ मार्च, १९५५ तक (विस्थापित-व्यक्तियों के लिये ४२७.१८ लाख के ऋणों के अलावा) कुल १०१०.७८ लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया गया। वर्ष के दौरान में १०७४. २० लाख रुपयों का ऋण और प्राप्त होने की आशा है जिसे मिलाकर (पुनर्वास ऋणों के अतिरिक्त) कुल ऋण २०८४. ९८ लाख हो जावेगा। इस राशि में भाखरा परियोजना के अन्दर किये जाने वाले कार्यों के लिये ऋण की सहायता सम्मिलित है, उभय पक्षीय कार्यों के लिये नहीं। इस दायित्व के विरूद्ध पूंजी, व्यय, जिससे पूंजी संपत्ति में भी वृद्धि हुई है, २५६९. ९० लाख का होता है।

११८. पुनर्वास ऋणों में से, जितनी वसूली होती जाती है उसी के अनुसार पुनर्भुगतान किया जा रहा है। अन्य ऋणों की मुख्य राशि की किश्तों और ब्याज का पुनर्भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। भाखरा के उभयपक्षीय कार्यों के संबध में उसमें भाग लेने वाले समस्त राज्यों ने यह समझौता कर रखा है कि ब्याज पूंजीकृत कर दिया जाय और ऋण की राशि में जोड़ दिया जाय। राजस्थान में भाखरा के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के वास्ते लिये गये ऋण का ब्याज

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

बराबर चुकाया जा रहा है। मुख्य पूंजी के पुनर्भुगतान का अभी समय नहीं आया है। भूमि के विक्रय और सुधार शुल्क से प्राप्त होने वाली पूंजी सम्बंधी प्राप्तियों को परियोजना के लिये लिए गए ऋण की राशि को कम करने के लिये प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है।

११९. अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं गत पांच वर्षों के राजस्व और व्यय का दिग्दर्शन कराना चाहूंगा।

१९५०-५१ में राजस्व प्राप्तियां १४६०.५३ लाख की थीं। वे बढ़कर १९५१-५२ में १५५५.१९ लाख, १९५२-५३ में १८१५,०० लाख, १९५३-५४ में १८८८.५० लाख और १९५४-५५ में २२५४.४६ लाख हुईं। १९५५-५६ का संशोधित अनुमान २१७३.५२ लाख का है। १९५६-५७ का आय व्ययक अनुमान २४९८.९६ लाख प्रस्तावित किया गया है। यह प्रकट होगा कि इस पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः वृद्धि हुई है। इसी प्रकार व्यय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह १९५०-५१ में १३६१.२९ लाख था और बढ़कर १९५१-५२ में १५७४.७६ लाख, १९५२-५३ में १५९६.४६ लाख, १९५३-५४ में १८३५.०९ लाख, १९५४-५५ में २०६५.०० लाख और १९५५-५६ के संशोधित अनुमानों में २४२०.८५ लाख हो गया। १९५६-५७ का आय-व्ययक अनुमान २६६८.६७ लाख का है।

१२०. पूंजी की दिशा में १९५०-५१ का वास्तविक अंक २००.७३ लाख का था। १९५६-५७ का आय व्ययक अनुमान १४२०.९२ लाख का है। वृद्धि कई गुनी है।

१२१. व्यय के अंकों का विशद रूप से विश्लेषण करने पर प्रकट होगा कि जन-उपयोगी और कल्याणकारी विभागों का व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। १९४८-४९ के वास्तविक व्यय के अंक ५४७.६४ लाख के थे और १९५६-५७ के आय-व्ययक अनुमान २६५९.३३ लाख तक जाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत एकीकरण से पहले वर्ष के वास्तविक व्यय के अंक ३४५.१५ लाख के थे और गत वर्ष के ६३६.०६ लाख के वास्तविक व्यय तथा संशोधित अनुमान के ७९९.७८ लाख की तुलना में १९५६-५७ के लिये प्रस्तावित व्यवस्था १०३२.७० लाख की होती है। प्रशासन पर हुई वृद्धि विलय से पूर्व के वर्ष की तुलना में महत्व पूर्ण नहीं है। यह व्यय १९४८-४९ के २५५.३७ लाख से बढ़कर १९५५-५६ के संशोधित अनुमानों में केवल ५४३.४२ लाख का हुआ है। १९४८-४९ में विविध व्यय कुल ३२४.७३ लाख का था जब कि १९५६-५७ के आय व्ययक के अनुमानित अंकों में से यह घटाकर केवल १६१.२७ लाख रह गया है। वाणिज्यिक विभागों के व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। १९४८-४९ में यह ९९.०१ लाख था। १९५४-५५ में बढ़कर २२३.५४ लाख हो गया। चालू वर्ष का संशोधित अनुमान ३५८.८८ लाख का है और आगामी वर्ष के अनुमानों में ४५३.९६ लाख रुपयों की राशि प्रस्तावित की गई है।

१२२. उपसंहार—यह स्पष्ट है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के हेतु गत दो वर्षों में की गई प्रगति को कायम ही नहीं रखा गया है, वरना चालू वर्ष में इसकी गति को तीव्र भी किया गया है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अंत तक हमारी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर चुकेगी और हम सुख और संतोष की सांस ले सकेंगे तथा शक्ति और दृढ़ता के साथ सब क्षेत्रों में और भी उन्नति करने की योजना बना सकने में समर्थ होंगे। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं तो प्रगति के मार्ग के मील के पत्थर मात्र हैं। वास्तविक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तो संचार, सिंचाई, विद्युत, उद्योग और सामाजिक सेवाओं संबंधी समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं के पूरी हो जाने के बाद ही प्राप्त होगी। उस समय तक पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था भी कल्याणकारी राज्य के उपयुक्त नवीन व्यवस्था में बदल जायगी। दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन तो अभी ही आ गया दिखाई देता है। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और मुझे पूर्ण निश्चय है कि ईश्वर की कृपा और इस सदन के सहयोग से हम पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे।

—जयहिन्द—

(करतल ध्वनि) (५. ४१ सायं)

श्री अध्यक्ष—Now we adjourn for tomarrow morning.

(आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य की प्रतियें माननीय सदस्यों को वितरित करने सम्बन्धी अनौपचारिक चर्चा के पश्चात् सदन की कार्यवाही ५ बज कर ५० मिनिट पर, कल दिनांक ६ मार्च, १९५६ के प्रातः ८. ३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ८ मार्च, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।